सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

एमएसएमई का सशक्तीकरण

वार्षिक प्रतिवेदन
2016–17

www.sidbi.in www.sidbistartupmitra.in www.standupmitra.in

मिशन

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

एमएसएमई के लिए ऋण-प्रवाह सुगम व सुदृढ़ बनाना और एमएसएमई पारितंत्र के वित्तीय एवं विकासपरक, दोनों प्रकार के अंतरालों की पूर्ति करना।

प्रगति

एक दृष्टि में

(₹ करोड़)

यथा 31 मार्च	1991	2001	2011	2015	2016	2017
कुल आस्तियाँ	5,309.2	17,089.8	51,216.8	60,855.0	76,478.5	79,682.3
बकाया संविभाग	5,176.8	14,570.6	46,053.6	55,342.6	65,632.1	68,289.6
पूँजी - अधिकृत	500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
- प्रदत्त	450.0	450.0	450.0	450.0	487.0	531.9
आरक्षितियाँ एवं निधियाँ	44.9	3,611.6	5,868.4	9,329.6	11,108.3	13,069.5
कुल आय (प्रावधान-पश्चात्)	425.1	1,619.4	3,433.0	5,938.5	5,559.5	6,266.5
निवल लाभ	35.6	477.4	513.8	1,417.1	1,177.5	1,120.2
शेयरधारकों को लाभांश	5.0	67.5	112.5	112.5	94.7	93.9
औसत बकाया संविभाग पर प्रतिलाभ (%)	0.7	3.3	2.0	3.8	2.9	2.5
निवल बकाया संविभाग के प्रतिशत के रूप में मानक आस्तियाँ	100.00	95.63	99.72	99.22	99.27	99.56
पूँजी व जोखिम आस्ति का अनुपात (%)	13.90	28.12	30.60	36.69	29.86	28.42

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30(5) के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट 21 जुलाई, 2017 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत।

विषय-सूची

प्रेषण पत्र

निदेशक मंडल

निदेशकों की समितियाँ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट

2016-17

वार्षिक प्रतिवेदन

अध्याय

01. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम – कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण

02. व्यवसाय संबंधी पहलकदमियाँ तथा समग्र परिचालन

03. संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक पहलकदमियाँ

04. प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन

सिडबी का अंकेक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण (परिशिष्ट-I)

सिडबी और इसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं का समेकित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण (परिशिष्ट- II)

प्रेषण-पत्र

21 जुलाई, 2017

सचिव,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली.

महोदया,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सिडबी के काम-काज संबंधी वार्षिक लेखे तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 30(5) के प्रावधानों के अनुसार हम निम्नलिखित दस्तावेज़ एतद्वारा अग्रेषित कर रहे हैं -

(1) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वार्षिक लेखे की प्रति; तथा

(2) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के काम-काज के संबंध में निदेशक-मंडल की रिपोर्ट की प्रति

भवदीय

(अजय कुमार कपूर)
उप प्रबंध निदेशक

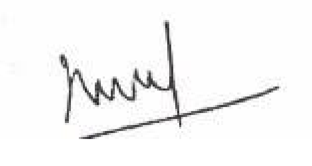

(मनोज मित्तल)
उप प्रबंध निदेशक

संलग्न.: यथोपरि

निदेशक मंडल
(यथा 31 अगस्त, 2017)

श्री मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

श्री मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

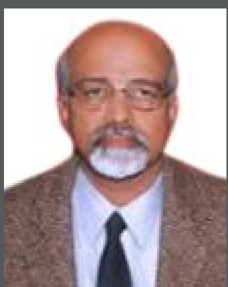

श्री सत्यानंद मिश्रा

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी

श्री जे. चंद्रशेखरन

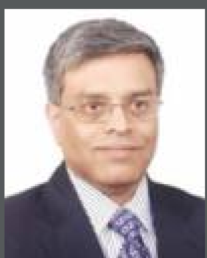

श्री पंकज जैन

श्री जी. ए. ताडस

श्री एस. हरिहरन

श्रीमती स्मिता भारद्वाज

निदेशकों की समितियाँ
(यथा 31 अगस्त, 2017)

कार्यपालक समिति

श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री जे. चंद्रशेखरन
श्री एस. हरिहरन
श्री सत्यानंद मिश्रा

जोखिम प्रबंधन समिति

श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री जी. ए. ताडस
श्री जे. चंद्रशेखरन

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

श्री सत्यानंद मिश्रा, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री जी. ए. ताडस
श्री पुष्पिंदर सिंह (बाह्य विशेषज्ञ)

मानव संसाधन संचालन समिति

श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री पंकज जैन
श्री जे. चंद्रशेखरन
श्री सत्यानंद मिश्रा
डॉ. (श्रीमती) चित्रा राव (बाह्य विशेषज्ञ)

इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति

श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
श्री सत्यानंद मिश्रा

लेखापरीक्षा समिति

श्री सत्यानंद मिश्रा, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री पंकज जैन
श्री जी. ए. ताडस
श्री एस. हरिहरन

उच्च राशियों की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री पंकज जैन
श्री जी. ए. ताडस
श्री जे. चंद्रशेखरन
श्री एस. हरिहरन

ग्राहक सेवा समिति

श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री जे. चंद्रशेखरन
श्री एस. हरिहरन

वसूली समीक्षा समिति

श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री पंकज जैन
श्री जी. ए. ताडस

पारिश्रमिक समिति

श्री पंकज जैन
श्री एस. हरिहरन
श्री सत्यानंद मिश्रा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

सिडबी का निदेशक मंडल और प्रबंधन, बैंक की वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अत्यन्त हर्ष के साथ सूचित करता हूँ कि एमएसएमई की वित्तीय, विकासपरक एवं संवर्द्धनशील ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में कई पहलकदमियाँ की हैं।

इस वर्ष आपके बैंक के तुलनपत्र का आकार 4.2% बढ़कर ₹79,682 करोड़ हो गया है। बैंक के एमएसएमई ऋण बकाया में भी 4% की बढ़ोत्तरी दर्ज़ हुई और वह 31 मार्च 2017 को ₹68,290 करोड़ हो गया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एमएसएमई क्षेत्र हेतु ऋण-उपलब्धता में वृद्धि करने और मौजूदा योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सिडबी ने कई स्वतःस्फूर्त उपाय किये हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान की गयी कुछ कारोबारी पहलकदमियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

- विजया बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये, ताकि पात्र एमएसई को विजया बैंक की 1-वर्ष की एमसीएलआर (वर्तमान में 8.65%) पर वित्तीय सहायता दी जा सके। सिडबी इसका पुनर्वित्तीयन करेगा। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के साथ भी इसी प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये, जिसमें एमएसएमई की सहायता के लिए वित्तीय एवं गैर-वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग/साझेदारी की जाएगी।
- ऋण-प्रदायगी माध्यमों में व्यापकता लाने के उद्देश्य से सिडबी ने एमएसएमई क्लस्टरों में आठ उद्योग संघों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- लघु वित्त बैंकों को मज़बूत करने और उनके ईक्विटी एवं संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए दो सुविधाएँ शुरू की गयी हैं, जो इस प्रकार हैं-
  - ईक्विटी निवेश प्रदान करना, ताकि लघु वित्त बैंकों की स्थापना/पूँजीकरण हो सके, जिससे वे, खासकर घरेलू स्रोतों से ईक्विटी की आवश्यकता संबंधी आरंभिक ईक्विटी/पूँजी अंतराल को पूरा कर सकें।

- अल्प वित्त संस्थाओं/एनबीएफसी के लघु वित्त बैंक में रूपान्तरित होने के उपरान्त सिडबी उन्हें पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा।

- अपने उत्कृष्ट ग्राहकों के लाभार्थ सिडबी ने मौजूदा विशेषाधिकार-प्राप्त ग्राहक योजना (पीसीएस)- का एक नया प्रकार पीसीएस (प्रीमियम) आरंभ किया। इस योजना के अंतर्गत अच्छे कामकाज वाले मौजूदा ग्राहकों को उनकी वार्षिक गैर-परियोजना विशिष्ट निवेश योजनाओं के लिए बढ़ी हुई वार्षिक ऋण-सीमा प्रदान की जाएगी।

- सिडबी और एनएसई की सहायक संस्था एनएसई स्ट्रैटजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (एनएसआईसीएल) ने पहला रिसीवेबल्स एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. (आरएक्सआईएल) स्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि आरएक्सआईएल पहली ऐसी संस्था है, जिसने 09 जनवरी 2017 को 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' (ट्रेड्स) का परिचालन शुरू किया है। ट्रेड्स (भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार संचालित) संस्थागत प्रणाली है, जिसमें अनेक वित्तदाताओं के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर एक पारदर्शी बोली-प्रक्रिया के ज़रिए एमएसएमई के ट्रेड रिसीवेबल्स का वित्तपोषण किया जाता है और जिसमें अनेक वित्तदाता प्रतिभागिता करते हैं।

सिडबी ने लगातार 'ऋण से अधिक' सहायता-प्रदायगी का दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें बैंक हितधारकों (एमएसएमई और अन्य वित्तीय संस्थाओं, दोनों) की वित्तीय ज़रूरतों के साथ-साथ उनकी संवर्द्धनशील एवं विकासपरक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। सिडबी को एमएसएमई पारितंत्र के विकास के लिए नोडल संस्था का जिम्मा दिया गया है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि वह इस क्षेत्र की वित्तीय, संवर्द्धनशील एवं विकासपरक ज़रूरतों की पूर्ति समेकित और समग्र रूप से करे। उदाहरण के लिए एमएसएमई के प्रत्यक्ष वित्तपोषण के साथ-साथ, सिडबी क्लस्टर-विकास, ग्रामीण उद्योगीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल एवं उद्यमिता विकास, एमएसएमई सलाह सेवाओं, नवोन्मेष एवं संपोषण-संवर्द्धन, बाजार लिंकेज आदि क्षेत्रों में सक्रियता से सहायता दे रहा है। इन संवर्द्धनशील एवं विकासपरक पहलकदमियों का उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पडा है। इनसे एमएसएमई क्षेत्र में 2.3 लाख से अधिक लोगों को फायदा हुआ है। इसके अलावा 1.5 लाख से अधिक रोज़ंगार के अवसर पैदा हुए हैं और 80,000 से अधिक इकाइयाँ स्थापित हुई हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रामीण उद्यम हैं।

इसके साथ ही, सिडबी अपनी सहयोगी और सहायक संस्थाओं के ज़रिए एमएसएमई के लिए कई तरह की एकीकृत सेवाएँ मुहैया कराता है, जो इस प्रकार हैं-

- सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)- जिसका उद्देश्य एमएसएमई को उद्यम पूँजी (वीसी) सहायता प्रदान करना है;

- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)- जिसका उद्देश्य देश में 'निधि से वंचित सूक्ष्म उद्यमों का निधीयन' है;

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), ताकि एमएसई को दिए गये ₹200 लाख तक के संपार्श्विक-रहित/तृतीय-पक्ष गारंटी-मुक्त ऋणों के लिए ऋण गारंटी कवरेज दिया जा सके;

- रिसीवेबल्स एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. (आरएक्सआईएल), ताकि एमएसएमई की प्राप्य राशियों की वसूली तेजी से हो सके;

- स्मेरा रेटिंग लिमिटेड (स्मेरा)- जिसका उद्देश्य एमएसएमई की क्रेडिट रेटिंग करना है;

- इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि. (आईएसटीएसएल) - जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संबंधी सलाह और परामर्श सेवा देना है, और

- इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आइसार्क)- जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का तेजी से समाधान करना है।

इन सहयोगी और सहायक संस्थाओं की सफलता को देखते हुए, आपका बैंक इन वर्तमान आस्तियों के दायरे को बढ़ाने और साथ ही, सिडबी के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप नयी आस्तियों की स्थापना के नवीन अवसरों का आकलन करना जारी रखेगा। उदाहरण के लिए आरएक्सआईएल जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित बाजारों का एमएसएमई की अन्य वित्तीय एवं कारोबारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विस्तार किया जा सकता है।

इस प्रकार एमएसएमई क्षेत्र को मज़बूत करने और इसे और अधिक गतिशील बनाने की दिशा में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सिडबी पूर्ति और अनुपूर्ति करता है।

हाल के वर्षों में भारत सरकार ने कई प्रकार की पहलकदमियाँ की हैं, जैसे- मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, आदि। इनका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था, और खासकर एमएसएमई क्षेत्र की समावेशी तथा टिकाऊ आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना है। सिडबी का प्रयास है कि हमारे राष्ट्र और विशेषकर एमएसएमई को सफलता की उच्चतर मंजिलों की ओर ले जाने के लिए भारत सरकार जो पहलकदमियाँ कर रही है, उनमें मदद करे। इस उद्देश्य से सरकार के कार्यक्रमों में सहायता के लिए सिडबी ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जो इस प्रकार हैं:'

- मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत 'सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस' (स्माइल),
- डिजिटल पहलकदमियाँ जैसे "www.sidbistartupmitra.in" नामक वेबपोर्टल की स्थापना। इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप उद्यमियों को हितधारकों, यानी संपोषकों, पथप्रदर्शकों, फरिश्ता नेटवर्कों, उद्यम पूँजी निधियों आदि से जोड़ना है।
- स्टैंड-अप ऋणों के लिए "www.standupmitra.in" तथा
- मुद्रा ऋणों, स्टैंड-अप ऋणों और ₹2 करोड़ तक के एमएसएमई ऋणों के लिए "www.udyamimitra.in" ।

सिडबी की कोशिश रहेगी कि एमएसएमई-केन्द्रित जितनी भी योजनाएं हैं, उन सबको प्रौद्योगिकी से अधिक से अधिक जोड़कर चलाया जाए, ताकि एमएसएमई बिना बाधा के इन योजनाओं का लाभ ले सकें, फिर चाहे उन्होंने कोई भी वित्तीय साझेदार क्यों न चुना हो।

भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के मूल्यवान योगदान को ध्यान में रखते हुए, सिडबी ने हमेशा ही इस क्षेत्र के त्वरित और उच्चतर विकास में अधिक से अधिक सहायता की है। एमएसएमई को नयी उपलब्धियाँ पाने और उच्चतर संवृद्धि-स्तर हासिल करने, नवोन्मेषी उत्पाद शुरू करने, प्रक्रिया और प्रदायगी में तेजी लाने तथा वित्तीय एवं विकासपरक अंतरालों का समाधान देने, इस क्षेत्र को पहले से और अधिक मज़बूत, सुदृढ़, गतिशील, टिकाऊ तथा अधिकाधिक समावेशी एवं प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में जो भूमिका सिडबी निभाता चला आ रहा है, उसे वह निरन्तर ज़ारी रखेगी।

(मोहम्मद मुस्तफा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट 2016-17

बैंक का निदेशक-मंडल आपके बैंक के 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के समग्र व्यवसाय एवं परिचालनों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष का अनुभव कर रहा है।

आपके बैंक की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत सन् 1990 में भारत के एमएसएमई का संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास करने तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के मध्य समन्वयन करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गयी। एमएसएमई को वित्तीय सहायता (क) एमएसएमई को उधार देने के उद्देश्य से बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को अप्रत्यक्ष वित्त तथा (ख) जोखिम पूँजी, टिकाऊ वित्त/ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण, प्राप्य वित्त, सेवा क्षेत्र वित्तीयन, आदि चुनिंदा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष वित्त के रूप में दी जाती है।

I. व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

यथा 31 मार्च 2017, आपके बैंक का बकाया संविभाग 4% बढ़कर ₹68,290 करोड़ हो गया, जबकि 31 मार्च 2016 को यह ₹65,632 करोड़ रहा था। आपके बैंक का कुल आस्ति आधार वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹76,478 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4.2% बढ़कर ₹79,682 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय बढ़कर ₹6,346 करोड़ हो गयी, जबकि पिछले वर्ष यह ₹5,785 करोड़ रही थी। वर्ष का कर-पूर्व लाभ ₹1,687 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,636 करोड़ था। कर-पश्चात् एवं आस्थगित कर-समायोजन उपरान्त निवल लाभ ₹1,120 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,177 करोड़ रहा था। आपके बैंक ने वर्ष के लिए 18% लाभांश घोषित किया है और प्रारंभ से अब तक निर्बाध रूप से लाभांश देता चला आ रहा है।

II. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान व्यावसायिक पहलकदमियाँ

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को सहायता में वृद्धि के उद्देश्य से कई व्यावसायिक पहलकदमियाँ कीं। कतिपय महत्त्वपूर्ण पहलकदमियाँ निम्नवत् हैं-

- एमएसएमई क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी शर्तों पर ऋण-प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने विजया बैंक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। इसका उद्देश्य पात्र एमएसई को विजया बैंक की 1-वर्ष की एमसीएलआर (वर्तमान में 8.65% प्रतिवर्ष) पर वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जिसके लिए आपका बैंक पुनर्वित्त देता है। इसके अलावा, आपका बैंक 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों को लगभग 9.5% पर सावधि ऋण भी देता है।

- विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय क्षेत्रों में एमएसएमई से सहयोग/साझेदारी के उद्देश्य से, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के साथ इसी प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- ऋण-प्रदायगी माध्यमों का विस्तार करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने विभिन्न उद्योग संघों के साथ आठ रणनीतिक समझौता ज्ञापन निष्पादित किए हैं।

- लघु वित्त बैंकों को सुदृढ़ करने और उनके संसाधन आधार में वृद्धि करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने दो सुविधाएं आरंभ कीं, जो इस प्रकार हैं:

  - लघु वित्त बैंकों की स्थापना/ पूँजीकरण हेतु ईक्विटी निवेश, खास तौर से स्वदेशी स्रोतों से ईक्विटी की आवश्यकता की दृष्टि से,

ताकि उनकी आरंभिक ईक्विटी/पूँजी संबंधी अंतराल की पूर्ति हो सके।

- अल्प वित्त संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लघु वित्त बैंकों में रूपान्तरण के उपरान्त आपका बैंक उन्हें पुनर्वित्त प्रदान करेगा।

- अपने अच्छे कामकाज वाले ग्राहकों की और अधिक संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक ने वर्तमान विशेषाधिकार-प्राप्त ग्राहक योजना यानी पीसीएस को नये रूप पीसीएस (प्रीमियम) में उतारा, जिसके अंतर्गत आपका बैंक अपने अच्छे कामकाज वाले ग्राहकों को उनकी वार्षिक गैर-परियोजना विशिष्ट निवेश योजनाओं के लिए बढ़ी हुई वार्षिक ऋण सीमाएँ प्रदान करेगा।

- प्राप्य वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयास किए गए-

- आपके बैंक ने एनएसई की सहायक संस्था एनएसई स्ट्रैटजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर पहला रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (आरएक्सआईएल) स्थापित किया। आरएक्सआईएल जनवरी 09, 2017 को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम्स (ट्रेड्स) का परिचालन आरंभ करनेवाली पहली संस्था है। ट्रेड्स कई वित्तदाताओं के माध्यम से एमएसएमई के व्यापारिक प्राप्यों के वित्तपोषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशन में चलनेवाली संस्थागत प्रणाली है। इससे पारदर्शी बोली-प्रक्रिया के माध्यम से एमएसएमई के व्यापारिक प्राप्यों का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर वित्तपोषण करने में मदद मिलेगी, जिसमें कई वित्तदाता प्रतिभागिता करेंगे।

III. पूर्ववर्ती प्रयासों का स्तरोन्नयन

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने ₹10,000 करोड़ का 'सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस' (स्माइल) आरंभ किया, ताकि अपेक्षित ऋण-ईक्विटी अनुपात को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत आसान शर्तों पर अर्ध-ईक्विटी की प्रकृति वाला सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2017 के अंत तक कुल ₹3,586 करोड़ के ऋण मंजूर किए गये।

- 'एमएसएमई ग्रोथ इनोवेशन एंड इन्क्लूजिव फाइनेंस (एमएसएमई - आईआईएफ)' परियोजना के लिए आपके बैंक ने विश्व बैंक ऋण-व्यवस्था की संविदा की है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को उनके शुरुआती चरणों से लेकर विकसित होने तक नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों के ज़रिए वित्त की उपलब्धता में सुधार करना है। यथा 31 मार्च 2017, इस ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत कुल 1061 एमएसएमई को ₹1,945 करोड़ की सहायता प्रदान की गयी।

IV. डिजिटल पहलकदमियाँ

- स्टार्ट-अप पारितंत्र के अंतरालों को पूरा करने संबंधी अपने प्रयासों में तेजी लाने के एक उपाय के रूप में आपके बैंक ने 'www.sidbistartupmitra.in' नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निर्मित किया। इस पोर्टल की मदद से देश भर में कहीं भी स्थित स्टार्ट-अप उद्यमी विभिन्न हितधारकों, जैसे- संपोषकों, पथप्रदर्शकों, फरिश्ता नेटवर्कों, उद्यम पूँजी निधियों, आदि से संपर्क कर सकते हैं। इस पोर्टल को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से भी मदद मिल रही है। यथा 31 मार्च 2017, इस प्लेटफॉर्म पर 5,890 स्टार्टअप्स, 105 संपोषक और 86 निवेशक पंजीकृत हो चुके हैं।

- 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना के सुचारु क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके बैंक ने 'www.standupmitra.in' नामक वेब-पोर्टल विकसित किया। इसे आवेदन फॉर्म प्राप्त करने, सूचना देने, पंजीकरण करने, हैंडहोल्डिंग के लिए संपर्क देने, ट्रैकिंग ऑर मॉनिटरिंग के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ₹2 करोड़ तक के एमएसएमई ऋणों के लिए www.udyamimitra.in नाम का इसी प्रकार का एक और पोर्टल आरंभ किया गया है, जो

भारतीय बैंक संघ के समर्थन-युक्त वैश्विक ऋण-बाज़ार बनकर उभरा है। यथातिथि इन दोनों पोर्टलों ने 2,047 उद्यमों को ऋण सुविधा तक पहुँच दी है।

V. व्यवसाय परिचालन

V.1. ईक्विटी/जोखिम पूँजी

क. प्रत्यक्ष जोखिम पूँजी सहायता

- सिडबी स्टार्ट-अप सहायता योजना (एसएएस) के अंतर्गत स्टार्ट-अप्स और शुरुआती चरण वाले उद्यमों को प्रत्यक्ष रूप से सुसंरचित सहायता दे रहा है। सिडबी ने एसएएस के व्यवसाय मॉडल के सत्यापन के लिए नैसकॉम और इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज राउंड टेबल (iSPIRT) के साथ भी औपचारिक समझौता किया है। संचयी रूप से 47 स्टार्ट-अप्स को ₹66 करोड़ की सहायता मंजूर की गयी है।

ख. निधियों की निधि परिचालन

- वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश करने के लिए बैंक ने निधियों की निधि के रूप में ₹2,000 करोड़ का इंडिया ऐस्पिरेशन फंड (आईएएफ) स्थापित किया है। इसका शुभारम्भ 18 अगस्त 2015 को माननीय वित्त मंत्री ने किया। संचयी रूप से 35 एआईएफ को ₹1,146 करोड़ की प्रतिबद्धता की गई है।

- देश में एमएसएमई के लिए दीर्घकालिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, सिडबी ने 07 अप्रैल, 2016 को जीवन बीमा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम में इंडिया एस्पिरेशन फंड के साथ सहनिवेश के लिए ₹200 करोड़ की राशि आवंटित की। समझौता ज्ञापन के अधीन सकल प्रतिबद्धता ₹104.50 करोड़ रही।

- स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार ने आपके बैंक में ₹10,000 करोड़ की स्टार्ट-अप के लिए निधियों की निधि (एफएफएस) स्थापित की, ताकि वैकल्पिक निवेश निधियों में योगदान किया जा सके, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि की दुगनी राशि स्टार्ट-अप्स में निवेश करेंगी। सरकार ने मार्च 2016 में ₹500 करोड़ तथा मार्च 2017 में ₹100 करोड़ जारी किए। वर्ष के दौरान एफएफएस के अंतर्गत 17 वैकल्पिक निवेश निधियों को कुल ₹623.50 करोड़ प्रतिबद्ध किए गए।

- एमएसएमई मंत्रालय की निधि "नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्द्धन योजना (ऐस्पायर)" के अंतर्गत सिडबी को ₹60 करोड़ संवितरित किए गए, ताकि वह ऐसी उद्यम पूँजियों में निवेश हेतु निधि का प्रबन्धन कर सके, जिनका निवेश ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि उद्योगों में स्टार्ट-अप्स तथा शुरुआती चरण वाले उद्यमों पर केन्द्रित है। यथा 31 मार्च 2017 सिडबी ने ऐस्पायर निधि के अंतर्गत 4 वैकल्पिक निवेश निधियों में ₹39.50 करोड़ की प्रतिबद्धता की है।

V.2 टिकाऊ विकास

- आपका बैंक भारत के एमएसएमई क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता रहा है, जिसके लिए वह न केवल पर्याप्त और सस्ती ऊर्जा दक्षता/ हरित वित्त प्रदान करता है, बल्कि एमएसएमई-समूहों के मध्य जलवायु नियंत्रण के फायदों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे- जाइका, एएफडी और केएफडब्ल्यू के साथ द्विपक्षीय ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्वच्छ उत्पाद तथा ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों/ उत्पादन प्रक्रियाओं में निवेश को बढ़ावा देकर आपका बैंक संकेंद्रित ऋण योजनाएं परिचालित करता रहा है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, CO_2 उत्सर्जन में कमी लाना तथा भारतीय एमएसएमई की लाभप्रदता में दीर्घ-

कालिक रूप से सुधार करना है। सिडबी की इन ऊर्जा-दक्षता पहलकदमियों से CO_2 में 11.2 लाख टन की कमी आई है।

- इस संबंध में, एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि आपका बैंक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ मिल कर, विश्व बैंक नीत जीईएफ वित्तपोषित ऊर्जा दक्षता परियोजना को परिचालित कर रहा है। यह परियोजना 10 उद्योग समूहों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य है- लक्ष्यगत एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश की मांग में वृद्धि करना तथा वाणिजक वित्तपोषण प्राप्त करने हेतु उनकी क्षमता का निर्माण करना। समग्रत: इस परियोजना में 1200 से अधिक संक्षिप्त लेखापरीक्षाएँ तथा 750 विस्तृत ऊर्जा लेखापरीक्षाएँ की गई। इस परियोजना में 670 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को कार्यान्वयन सहायता प्रदान की गई।

- इसके अलावा, आपका बैंक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ मिलकर विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजना-" पार्श्र्वल रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी" का क्रियान्वयन कर रहा है। यह लगभग ₹251 करोड़ (37 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की समूह निधि तथा ₹41 करोड़ (6 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की तकनीकी सहायता वाली गारंटी निधि है। इस परियोजना का उद्देश्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा एस्को-क्रियान्वित परियोजनाओं को दिए गए ऋणों के लिए आंशिक जोखिम कवर प्रदान करना है।

- एमएसएमई इकाइयों को अपनी बिजली और ईंधन की लागत में कमी लाने और अपनी वर्तमान प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करने तथा छत पर लगने वाले सोलर फोटो वोल्टाइक अथवा सोलर थर्मल सिस्टम संस्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एंड टु एंड एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन (4 ई सॉल्यूशन्स) नामक उत्पाद आरंभ किया है।

- आपके बैंक को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) के लिए "राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था" नामित किया है। सीजीएफ की स्थापना संयुक्त संघ ने की है, ताकि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन परिशमन तथा अनुकूलन संबंधी कार्यों के लिए मदद की जा सके। इस मान्यता को अब जीसीएफ के बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है, जिससे आपके बैंक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन परिशमन और अनुकूलन के संबंध में महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं तैयार करने और उनके क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने का रास्ता खुल गया है।

VI. अल्प वित्त

- अल्प वित्त जगत में आपका बैंक एक अग्रणी वित्तीय संस्था है और यह अल्प वित्त संस्थाओं को ईक्विटी, अर्ध-ईक्विटी तथा सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देना जारी रखे हुए है। साथ ही, यह विभिन्न उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण-पद्धतियों की तरफदारी और उनका क्रियान्वयन भी करता है। मार्च 2017 तक, बैंक ने 100 अल्प वित्त संस्थाओं की क्षमता विकसित की थी और उन्हें ₹12,714 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे 356 लाख लोग लाभान्वित हुए। इनमें अधिकतर महिलाएँ हैं।

- अल्प वित्त संस्थाओं के नैगम अभिशासन और परिचालन-दक्षता में वृद्धि करने तथा अल्प वित्त क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण-प्रवाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपका बैंक बाज़ार-निर्माता की भूमिका निभाता रहा है। इसके लिए उसने कई उपाय किए हैं, जैसे- क्षमता निर्धारण रेटिंग, संविभाग लेखा-परीक्षा, आचार-संहिता मूल्यांकन, आदि। उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण-प्रदायगी तथा निर्दिष्ट आचार-संहिता को बढ़ावा देना सिडबी के प्रमुख प्रयास हैं। इसके अलावा, इस साधन के मानकीकरण के

लिए आपके बैंक ने अन्य हितधारकों के परामर्श से एक सामंजस्यपूर्ण आचार संहिता मूल्यांकन साधन (एचसीटी) विकसित करके उसका प्रायोगिक रूप से उपयोग आरंभ किया। तैयारशुदा एचसीटी जारी कर दिया गया है और वर्तमान में 37 अल्प वित्त संस्थाओं के आचार-संहिता मूल्यांकन संबंधी कार्रवाई चल रही है।

VII. संवर्धनशील एवं विकासपरक (पीएंडडी) सहायता

एमएसएमई क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के अपने प्रयास के क्रम में, आपका बैंक 'क्रेडिट प्लस' दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें ऋण के साथ-साथ, इस क्षेत्र के संवर्धन व विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों, जैसे-उद्योग-समूह विकास, ग्रामीण उद्योगीकरण, प्रौद्योगिकी-उन्नयन, कौशल तथा उद्यमिता विकास, एमएसएमई परामर्शी सहायता, नवोन्मेषण व संपोषण संवर्धन, बाज़ार-लिंकेज़, आदि के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान करता है। बैंक के संवर्धनशील एवं विकासात्मक प्रयासों से, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम क्षेत्र के 2.3 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए, 1.5 लाख से अधिक रोज़गार सृजन तथा 80,000 से अधिक इकाइयों की स्थापना में मदद मिली, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण उद्यम हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्नवत् है:

- #### उद्योग-समूह विकास

उद्योग-समूह विकास, आपके बैंक के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में एक है, जिसके अंतर्गत कौशल विकास, उद्यम विकास, बाज़ार-लिंकेज़ का निर्माण, विभिन्न विशेषज्ञ सेवाएँ, आदि शामिल हैं। आपका बैंक, अपने सूक्ष्म उद्यम संवर्धन कार्यक्रम (एमईपीपी) के माध्यम से, ग्रामीण-उद्योग-समूहों पर भी ध्यान केन्द्रित करता है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजित करने हेतु व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों का संवर्धन करना है। एमईपीपी का अब तक 26 राज्यों के 126 जिलों में कार्यान्वयन हो चुका है, जिसके माध्यम से कुल 42,500 ग्रामीण उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं।

- #### कौशल एवं उद्यमिता विकास

एमएसएमई उद्यमियों की तकनीकी और प्रबन्धकीय क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, आपका बैंक प्रतिष्ठित प्रबन्ध/प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता देता है, ताकि वे "कौशल-सह-प्रौद्योगिकी-उन्नयन कार्यक्रम (स्टुप)" तथा "लघु उद्योग प्रबन्ध कार्यक्रम (सीमैप)" जैसे सुव्यवस्थित प्रबन्ध/कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर सकें। अपनी स्थापना के समय से सिडबी ने 1,563 स्टुप आयोजित किए हैं, जिससे लगभग 32,810 प्रतिभागी लाभान्वित हुए तथा 302 सीमैप आयोजित किए हैं, जिससे लगभग 9,100 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं।

- #### एमएसएमई परामर्श

  - आपके बैंक ने, नए/वर्तमान उद्यमियों को, एमएसएमई संबंधी सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों की जानकारी, सिडबी /वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ सरकारी सब्सिडियों /लाभों की सूचना देने, ऋण-लिंकेज़, उधारी परामर्श तथा एमएसएमई को सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए, सेवानिवृत्त बैंकरों को सूचना भागीदारों के रूप में नियुक्त किया है। इन एमएसएमई परामर्श केन्द्रों (एमएसी) से अब तक 13,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लाभान्वित हो चुके हैं।

  - आपके बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमाणित ऋण परामर्शदाता (सीसीसी) योजना के कार्यान्वयन हेतु पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। 11 जुलाई, 2017 को प्रारंभ की गई इस योजना के अनुसार, एमएसएमई ईको-सिस्टम के लिए एक नियामक ढाँचे के अंतर्गत ऋण-सलाहकारों की एक टीम नियुक्त की जाएगी। इससे ऋण-तक-पहुँच में, विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों को, सुगमता होगी। आपके बैंक ने इस योजना में प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फ़ायनांस (आईआईबीएफ़) तथा समन्वयन के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ अनुबंध किया है।

- वित्तीय साक्षरता

  - आपका बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफ़आईडी), यूनाइटेड किंगडम सरकार के सहयोग से, चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के लिए, विशेषरूप से यहाँ की महिलाओं के लिए निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम (पीएसआईजी) कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में, महिला सशक्तीकरण में सहायता करने के लिए द्विआयामी रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें जन-समुदाय तथा संस्था गत स्तर, दोनों रूपों में कार्य किया जाता है। सामुदायिक स्तर पर, इस कार्यक्रम में अब तक 2.17 लाख महिलाओं को वित्तीय साक्षरता एवं लैंगिक मुद्दों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा व्यापक जागरूकता शिविरों के माध्यम से 89,000 समुदाय-सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न की गई है।

  - पीएसआईजी कार्यक्रम ने, महिलाओं की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के साथ-साथ, उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक मानसिक अभिवृत्ति भी पैदा की है। संभवत: सर्वाधिक नाटकीय परिणाम यह रहा है कि इसने ग्रामीण महिलाओं को जाली योजनाओं और चिट-फंड आदि में धन लगाने से दूर किया है और इसमें 32% से 2% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। अन्य दृष्टव्य प्रभावों में उनकी स्वच्छता संबंधी स्थितियों में सुधार शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तुरंत बाद कई महिलाओं ने शौचालयों का निर्माण करवा लिया।

- डिजिटल वित्तीय साक्षरता

  अतिलघु कारोबारियों को बहुअपेक्षित प्रेरणा प्रदान करने के लिए, आपके बैंक द्वारा सातों राज्यों में कुल 112 डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों (डीएफएलपी) का आयोजन किया गया, जिसमें 107 सूक्ष्म-व्यवसाय-समूहों ने भाग लिया तथा लगभग 6,500 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 40% महिला शिल्पकार थीं।

- नवोन्मेषण एवं संपोषण को बढ़ावा देना

  - आपके बैंक ने राष्ट्रीय नवोन्मेषी फाउंडेशन, अहमदाबाद को, ₹850 लाख के सूक्ष्म उद्यम नवोन्मेषी फंड (एमवीआईएफ) की स्थापना करने के लिए, समूह निधि सहायता प्रदान की, जिससे 200 से अधिक नवोन्मेषण लाभान्वित हुए।

  - इसी प्रकार, सफल उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा ज्ञानाधारित व प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित करने के लिए, सिडबी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में सिडबी नवोन्मेषण एवं संपोषण केन्द्र (एसआईआईसी) की स्थापना करने हेतु सहायता दी। सिडबी नवोन्मेषण एवं संपोषण केन्द्र (एसआईआईसी) ने अब तक अधुनातन प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में 69 नवारंभ (स्टार्ट-अप) इकाइयों का संपोषण किया है, जिनमें से 42 अब अगले स्तर में प्रवेश कर चुकी हैं।

  - बैंक ने, निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम (पीएसआईजी) के अंतर्गत, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), लखनऊ को उनके संस्थान में सिडबी वित्तीय समावेशन नवोन्मेषी केन्द्र (एससीआई-एफआई) की स्थापना करने में सहायता प्रदान की है।

VIII. संसाधन प्रबन्ध

- आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹53,807 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹65,731 करोड़ के संसाधन जुटाए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने घरेलू स्रोतों से ₹65,111 करोड़ तथा विदेशी मुद्रा में ₹620 करोड़ के संसाधन जुटाए।

IX. सिडबी के ऋण लिखतों की रेटिंग

आपके बैंक के अल्पावधि तथा दीर्घावधि के ऋण लिखतों की रेटिंग क्रिसिल व केयर रेटिंग्स द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान,

(क) क्रिसिल ने ₹1400 करोड़ के गैरजमानती बॉण्ड निर्गम कार्यक्रम के लिए क्रिसिल एएए /

स्टेबल रेटिंग तथा सावधि जमा कार्यक्रम हेतु एफएएए / स्टेबल रेटिंग (पुन:पुष्टि) एवं ₹2000 करोड़ के वाणिज्यिक पेपर कार्यक्रम को क्रिसिल ए+ (पुन:पुष्टि) की पुन:पुष्टि की तथा

(ख) केयर रेटिंग्स ने निम्नलिखित रेटिंग की पुन:पुष्टि की-

I. ₹ 38,000 करोड़ के आरआईडीएफ जमाओं तथा ₹ 21,276.60 करोड़ के गैरजमानती बॉण्ड के लिए केयर एएए; स्थिर (ट्रिपल ए; आउटलुक: स्थिर);

ii. केयर एएए (एफडी); स्थिर ट्रिपल ए (सावधि जमा); सावधि जमा हेतु आउटलुक:स्थिर

iii. ₹ 21,000 करोड़ के वाणिज्यिक पेपर (सीपी)/जमा-प्रमाणपत्र (सीडी) कार्यक्रम के लिए केयर एएए; स्थिर(ट्रिपल-ए; आउटलुक : स्थिर) / केयर ए1+ (ए वन प्लस)

iv. केयर रेटिंग्स ने सिडबी को जारीकर्ता रेटिंग हेतु केयर एएए (आईएस); स्थिर (ट्रिपल ए जारीकर्ता रेटिंग; आउटलुक:स्टेबल) की भी पुन: पुष्टि की।

X. मानव संसाधन

यथा 31 मार्च 2017, आपके बैंक में 1173 सक्रिय पूर्णकालिक स्टाफ सदस्य कार्यरत थे, जिनमें से 1023 अधिकारी, 97 श्रेणी III के स्टाफ और 53 अधीनस्थ स्टाफ-सदस्य हैं। कुल स्टाफ में से 205 अनुसूचित जाति (अजा), 82 अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा 217 अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। स्टाफ में 8 भूतपूर्व सैनिक, 29 दिव्यांग श्रेणी तथा 1 भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग, दोनों से संबंधित है। महिला कर्मचारियों की संख्या 254 थी।

XI. सहायक / सहयोगी संस्थाएँ

XI.1 सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) की स्थापना 1999 में निवेश प्रबन्ध कंपनी के रूप में उद्यम पूँजी निधियों के प्रबन्ध के उद्देश्य से की गई। शुरुआत से ही एसवीसीएल ने विविध क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता-युक्त, विकास-उन्मुख एमएसएमई को संवृद्धि पूँजी देना जारी रखा है। एसवीसीएल, वर्तमान में ₹1,883 करोड़ की समूह-निधि की सात विभिन्न निधियों के निवेश-प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही है।

XI.2 माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा):

मुद्रा की स्थापना 08 अप्रैल 2015 को आपके बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में देश के 'वित्त-वंचित' सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण के उद्देश्य से की गई । मुद्रा, उन बैंकों, अल्पवित्त संस्थाओं (एमएफआई), गैरबैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) तथा अन्य ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु कारोबारी इकाइयों को ऋण देने हेतु पात्र हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, मुद्रा ने ₹3,255 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु ₹ 1,80,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके प्रति 3,97,01,047 खातों को ₹1,80,528.54 करोड़ मंजूर किए गए। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु इस योजना में ₹2,44,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

XI.3 रिसिवेबल एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल):

रिसिवेबल एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) की स्थापना 25 फरवरी, 2016 को, भुगतान तथा निपटान प्रणाली (पीसएस) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से, टीआरईडीएस एक्सचेंज का परिचालन करने के लिए की गई। आरएक्सआईएल, सिडबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की अनुषंगी इकाई - एनएसई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसीएल) का एक संयुक्त उद्यम है। आरएक्सआईएल पहली इकाई थी, जिसे 01 दिसंबर, 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने टीआरईडीएस एक्सचेंज प्रारंभ करने का अनुमोदन दिया। तदनुसार, आरएक्सआईएल ने 09 जनवरी,

2017 को भारत का प्रथम टीआरईडीएस एक्सचेंज प्रारंभ किया। साथ ही इसने एमएसएमई के ट्रेड रिसीवेबल्स के वित्तपोषण का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है तथा साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेशानुसार, एनपीसीआई, एनएसीएच डेबिट तथा क्रेडिट निपटान सिस्टम के माध्यम से वित्तपोषण और चुकौती संबंधी दोनों कार्य सफलतापूर्वक निपटाए हैं।

XI.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई):

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना, भारत सरकार एवं सिडबी ने वर्ष 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के परिचालन हेतु की थी, जो सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को, ₹200 लाख तक की ऋण गारंटी, उन ऋणों के प्रति उपलब्ध करा रहा है जिनमें संपार्श्विक प्रतिभूति तथा / अथवा तृतीय पक्ष की गारंटियाँ उपलब्ध नहीं है।

इस गारंटी योजना ने 31 मार्च, 2017 तक कुल ₹1.29 लाख करोड़ के ऋणों को गारंटी सहायता प्रदान करके 27.72 लाख एमएसई ऋण खातों के सृजन में सहायता प्रदान की। 31 मार्च 2017 तक, सीजीटीएमएसई परिचालनों से अनुमानत: 90.61 लाख रोजगारों का सृजन हुआ।

XI.5 स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड:

सिडबी ने, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डीएंडबी) तथा अन्य कई सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ मिल कर, समर्पित एसएमई केन्द्रित तृतीय पक्ष रेटिंग एजेंसी के रूप में- एसएमई रेटिंग एजेंसी लिमिटेड (स्मेरा) का सितंबर 2005 में गठन किया, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को व्यापक, पारदर्शी रेटिंग प्रदान करती है। अपने गठन से लेकर आज तक, संचयी रूप से स्मेरा ने 31 मार्च 2017 तक कुल 40,764 एमएसएमई इकाइयों को रेटिंग प्रदान की, जिनमें से 98% सूक्ष्म एवं लघु इकाइयाँ हैं।

XI.6 इंडिया एमएसई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क):

इंडिया एमएसई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क) की स्थापना 11 अप्रैल, 2008 को हुई और इसने 15 अप्रैल, 2009 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुखत: एमएसएमई क्षेत्र की, गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का अभिग्रहण कर उनका निपटान करना है। आईसार्क के पास, 31 मार्च, 2017 तक ₹376.69 करोड़ की प्रबंधाधीन आस्तियाँ (एयूएम) थीं।]

XI.7 इंडिया एसएमई टेक्नॉलॉजी सर्विसेस लिमिटेड (आईएसटीएसएल):

इंडिया एसएमई टेक्नॉलॉजी सर्विसेस लिमिटेड (आईएसटीएसएल) की स्थापना वर्ष 2005 में हुई, जो ऊर्जा दक्षता, उद्योग-समूह विकास तथा मूल्यांकन अध्ययनों, क्षमता-निर्माण, जागरूकता निर्माण एवं कौशल विकास के लिए प्रौद्योगिकी सलाह व परामर्श-सेवाएँ प्रदान करता है। यह जैसे-प्रौद्योगिकी विकल्पों की जानकारी प्रदान करना, मैच-मेकिंग, वित्तीय समूहन तथा व्यावसायिक-सहयोग तथा सेमिनारों/बैठकों का आयोजन व बाज़ार-सपोर्ट जैसी विभिन्न सेवाए भी प्रदान करता है। आईएसटीएसएल, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार में श्रेणी-2 ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) के रूप में सूचीबद्ध है।

XII. पुरस्कार तथा सम्मान

- आपके बैंक को, उसके एसएमई विकास समाधानों तथा पहलकदमियों के लिए 'एसएमई विकास श्रेणी' में एडीएफआईएपी विकास पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ।
- आपके बैंक को, वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत संरचना प्रबंध, अनुप्रयोग विकास व प्रबंध, आईटी सेवा डेस्क एवं डाटा केन्द्र के लिए, ब्रिटिश मानक संस्थान (बीएसआई) द्वारा आईएसओ/आईईसी 27001:2013 मान्यता प्रदान की गई।

XIII. आभार-ज्ञापन

- बैंक का निदेशक मंडल, भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त बहुमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल विश्व बैंक समूह; जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका); डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूके; क्रेडिटांस्टाल्ट फर वीडरफब (केएफडब्ल्यू), जर्मनी; द ड्यूश जेसेलशॉफ्ट फर इंटरनेशनल

जुसमेनारबीट (जीआईजेड), जर्मनी; इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफडी), रोम; फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), फ्रांस तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) का भी आभारी है, जिनसे सहायता और तकनीकी सहयोग मिलता रहा है। बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय जीवन बीमा निगम, विभिन्न बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों के संवर्धन और विकास से जुड़े हुए हितधारकों से सिडबी को मिले सहयोग के लिए उनकी भूरिश: सराहना करता है।

- बैंक अपने सभी ग्राहकों तथा निवेशकों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता है तथा आगामी वर्षों में उनसे लगातार सहयोग की आकांक्षा रखता है। निदेशक-मंडल सिडबी के सभी स्तर के स्टाफ की सेवाओं की प्रशंसा करता है, जो सुदृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिबद्धता, ईमानदारी तथा समर्पण के साथ बैंक को विकास के उच्चतर पथ पर अग्रसर करने में वर्ष-पर्यन्त अनवरत रूप से कार्य करते रहे।

(अजय कुमार कपूर)
उप प्रबंध निदेशक

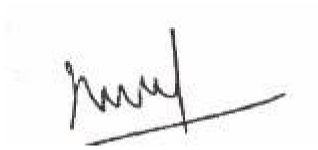

(मनोज मित्तल)
उप प्रबंध निदेशक

अध्याय - 1

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-कार्यनिष्पादन और दृष्टिकोण

आर्थिक संवृद्धि, रोजगार-सृजन और निर्यात की दृष्टि से एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में बरकरार है (तालिका 1.1)। भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में 51 मिलियन से अधिक उद्यम 117 मिलियन से अधिक रोजगार प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में देश के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में एमएसएमई का हिस्सा 33% रहा। विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई का हिस्सा 33% और निर्यात में 45% रहा। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-15 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में औसतन 7.4% की वृद्धि दर दर्ज़ की गई, जबकि विनिर्माण में 6.2% और सेवाओं में 7.1% की वृद्धि दर्ज़ हुई।

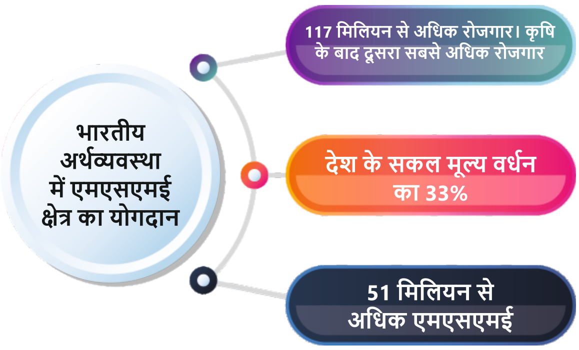

एमएसएमई दृष्टिकोण

- भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की कई पहलकदमियों के फलस्वरूप आशा है कि समग्रतः एमएसएमई क्षेत्र का स्वस्थ दर से विकास होगा। इन पहलकदमियों में से कुछ हैं- 'स्टैंड अप इंडिया' कार्यक्रम, 'शून्य अभाव-शून्य प्रभाव' योजना का शुभारंभ, ऋण गारंटी सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ किया जाना तथा एमएसई को ऋण गारंटी देने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पात्र सदस्य ऋणदात्री संस्था का दर्ज़ा देना। अन्य पहलकदमियों में ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स), सूक्ष्म इकाई ऋणों, स्टैंड-अप इंडिया ऋणों तथा फैक्टरिंग के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) की ऋण गारंटी योजना का परिचालन में आना, अजा/अजजा उद्यमियों की मदद के उद्देश्य से सार्वजनिक खरीद में अजा/अजजा केन्द्रों की स्थापना आदि शामिल हैं। केन्द्रीय बजट 2017-18 में कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय किए गए, जैसे ₹50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर को घटाकर 25% किया जाना, जिससे लगभग 6.7 लाख एमएसएमई के लाभान्वित होने की उम्मीद है और ₹2 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए प्रकल्पित कर की दर को घटाकर 8% के बजाय 6% किया जाना। इससे घरेलू उद्योगों को काजू, चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, चमड़े के जूता-चप्पल विनिर्माण में प्रयुक्त कलपुर्जों आदि के आयात के मामले में उच्च आयात शुल्क से राहत मिलेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार में 'दायित्व सहित' आधार पर फैक्टरिंग लेन-देन को शामिल किया, ताकि एमएसएमई के नकदी-प्रवाह में वृद्धि हो सके। इसके अलावा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर होनेवाले फैक्टरिंग के लेन-देन को भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र बनाया गया है। आशा है कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के इन स्वतः स्फूर्त प्रयासों से एमएसएमई पारितंत्र सुदृढ़ होगा तथा और अधिक समुत्थानशील एवं प्रतिस्पर्धी बनकर उभरेगा।

तालिका 1.1: एमएसएमई क्षेत्र- मुख्य विशेषताएँ

१.	2014-15 में उद्यमों की संख्या (मिलियन), जिसमें से	51.1
	क. पंजीकृत इकाइयों का प्रतिशत हिस्सा*	6%
	ख. अपंजीकृत इकाइयों का प्रतिशत हिस्सा*	94%
	ग. सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (अजा/अजजा/अपिव) का प्रतिशत हिस्सा *	51%
	घ. ग्रामीण इकाइयों का प्रतिशत हिस्सा*	55%
	ङ. महिला उद्यमियों का प्रतिशत हिस्सा*	7.4%
2.	2014-15 में रोजगार (मिलियन में)	117.1
3.	प्रति उद्यम औसत रोजगार (संख्या)	2.3
4.	प्रति रोजगार निवेश (₹ लाख)*	5.3
5.	उधार लेनेवाले उद्यमों का प्रतिशत*	7.3%
	क. संस्थागत स्रोतों से	5.2%
	ख. गैर-संस्थागत स्रोतों से	2.1%
	ग. उधार रहित/स्व-वित्तपोषित उद्यमों का प्रतिशत	92.7%
6.	2014-15 में भारत के सकल मूल्य-वर्धन में एमएसएमई मूल्यवर्धन का प्रतिशत हिस्सा	33.3%
7.	2014-15 में भारत के विनिर्माण में एमएसएमई का प्रतिशत हिस्सा	33.4%
8.	2014-15 में भारत के निर्यात में प्रतिशत हिस्सा	45%

* एमएसएमई गणना 2006-07 के अनुसार
स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, एमएसएमई मंत्रालय; एमएसएमई गणना 2006-07

अध्याय - 2

व्यावसायिक पहलकदमियाँ और समग्र परिचालन

नवोन्मेषिता, ग्रामीण उद्यमिता और कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिडबी ने 20 अक्टूबर 2016 को ₹60 करोड़ की 'एस्पायर' निधि आरंभ की। यहां द्रष्टव्य हैं (बाएं से दाएं) श्री अजय कुमार कपूर, उप प्रबंध निदेशक, सिडबी; श्री बी एच अनिल कुमार, आईएएस, संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार; श्री कलराज मिश्र, माननीय मंत्री, एमएसएमई; डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, आईएएस, तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी और सुश्री चित्रा रामकृष्ण, तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज।

सिडबी की स्थापना 1990 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत की गयी। यह भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है। साथ ही, यह इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के मध्य समन्वय भी स्थापित करता है। तदनुसार, सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र में तीन बिन्दुओं पर टिकाऊ विकास की दिशा में सदैव अग्रसर रहने का प्रयास किया है। वे बिन्दु हैं- लाभ (आर्थिक), लोग (सामाजिक) एवं ग्रह (पर्यावरण)। ये आर्थिक संपत्ति के सृजन, समतावादी समाज के निर्माण के उद्देश्य से उसके वितरण और पारितंत्रीय संपदा के संरक्षण में परिलक्षित होते हैं।

एमएसएमई के लिए सक्षमताकारक वित्तीय पारितंत्र के निर्माण के आर्थिक मोर्चे पर सिडबी ने नवोन्मेषपूर्ण ऋण उत्पादों, ऋण-प्रक्रियाओं तथा ऋण-माध्यमों के ज़रिए एमएसएमई की वैविध्यपूर्ण ऋण-आवश्यकताओं को पूरा करने की भरसक कोशिश की है। भारत में अल्प वित्त संस्थाओं की बहुलता वाले अल्प वित्त अभियान की अगुआई सिडबी ने की है। इसने 100 से अधिक अल्प वित्त संस्थाओं का पोषण करके उन्हें सुदृढ़ता प्रदान की है। इन अल्प वित्त संस्थाओं पर सिडबी ने शुरुआत में जो दाँव खेला था, उससे प्रोत्साहित होकर इनमें अन्य निवेशकों ने लगातार निवेश किया है। इससे सहायता-प्राप्त कुछ अल्प वित्त संस्थाएं विकसित होकर लघु वित्त बैंक बन चुकी हैं। सिडबी ने एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ वित्त की संस्कृति भी विकसित की है। बैंक ने एमएसएमई के लिए अन्य पहलकदमियों के अलावा उद्यम पूँजी, जोखिम पूँजी सुविधा और रिवर्स फैक्टरिंग की भी शुरुआत की, जिन्हें बाद में दूसरी संस्थाओं ने भी अपनाया।

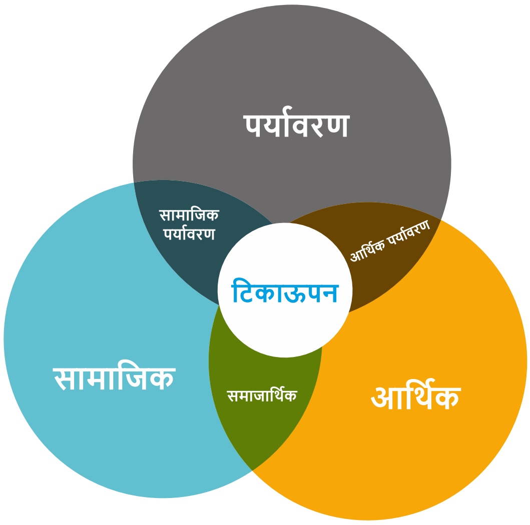

आर्थिक प्रभाव

सिडबी की वित्तीय सहायता ने समाज के विभिन्न स्तरों पर प्रभाव डाला है- जिसमें पिरामिड के निचले स्तर से लेकर मझोले उद्यमों तक, परंपरागत उद्योगों से लेकर उच्च-स्तरीय ज्ञान-आधारित उद्योगों तक और घरेलू उत्पादकों से लेकर निर्यात-संवर्धन तक के उद्यम शामिल हैं। सिडबी ने विभिन्न ऋण-उपायों के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के 360 लाख लोगों की ज़िन्दगियों को छुआ है।

रणनीतिक व्यावसायिक पहलकदमियाँ

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण एवं ईक्विटी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बैंक ने बहुत-से स्वतः स्फूर्त उपाय किए हैं।

नये साझेदारों के माध्यम से ऋण-प्रदायगी

- एमएसएमई क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धी शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिडबी ने विजया बैंक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। इसका उद्देश्य पात्र एमएसई को विजया बैंक का 1 वर्ष की एमसीएलआर (वर्तमान में 8.65% प्रतिवर्ष) पर वित्तीय सहायता देना है, जिसके लिए सिडबी पुनर्वित्त देगा। साथ ही, सिडबी 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों को लगभग 9.5% प्रतिवर्ष की दर पर सावधि ऋण भी देता है।
- विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय क्षेत्रों में एमएसएमई की सहायता के लिए सहयोग/साझेदारी के उद्देश्य से कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के साथ भी इसी प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये।

एमएसएमई क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिडबी ने विजया बैंक के साथ 20 फरवरी 2017 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। चित्र में बाएं से दाएं खड़े हैं - श्री बी एस रामा राव, कार्यपालक निदेशक, विजया बैंक, डॉ किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ विजया बैंक, श्री मनोज मित्तल, उप प्रबंध निदेशक, श्री के जी आलै, तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक एवं श्री ए सी साहू, महाप्रबंधक।

- ऋण-प्रदायगी माध्यमों में व्यापकता लाने के उद्देश्य से बैंक उद्योग संघों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन निष्पादित करता आया है। अब तक विभिन्न उद्योग संघों के साथ इस प्रकार के आठ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए जा चुके हैं।
- देश के एमएसएमई को लंबे समय तक संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सिडबी ने 7 अप्रैल 2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय जीवन बीमा निगम ने इंडिया एस्पिरेशन फंड में सह-निवेश हेतु ₹200 करोड़ की राशि आवंटित की है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कुल ₹104.50 करोड़ की वचनबद्धता हुई।

लघु वित्त बैंकों को सहायता

लघु वित्त बैंकों को सुदृढ़ करने और उनके ईक्विटी तथा संसाधन आधार को मज़बूती देने के उद्देश्य से बैंक ने दो सुविधाएँ आरम्भ कीं:

- लघु वित्त बैंकों की स्थापना/पूँजीकरण के लिए ईक्विटी निवेश करना, ताकि वे खास तौर से घरेलू स्रोतों से ईक्विटी-आवश्यकता की दृष्टि से, शुरुआती ईक्विटी/पूँजी अंतराल को पूरा कर सकें।
- अल्प वित्त संस्था/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लघु वित्त बैंक में रूपान्तरित होने के उपरान्त बैंक उनको पुनर्वित्त सहायता देगा।

विशेषाधिकार वित्त

अच्छे कार्य-निष्पादन वाले अपने ग्राहकों की संवृद्धि को आगे और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सिडबी ने वर्तमान विशेषाधिकार-प्राप्त ग्राहक योजना (पीसीएस) को पीसीएस (प्रीमियम) नाम से एक नये रूप में उतारा है, जिसमें सिडबी अपने अच्छे कामकाज वाले ग्राहकों को उनकी वार्षिक गैर-परियोजना-विशिष्ट योजनाओं के लिए बढ़ी हुई वार्षिक ऋण-सीमाएं देगा।

प्राप्य-राशियों की त्वरित वसूलीः

एमएसएमई को उनकी प्राप्य राशियों की त्वरित वसूली में मदद करने के उद्देश्य से सिडबी ने 1991 में प्राप्य-राशि वित्त योजना आरम्भ की थी। इस योजना में अच्छा काम कर रही क्रेता कंपनियों को एमएसएमई के मीयादी बिलों की भुनाई के लिए सीमाएँ दी जाती हैं, ताकि एमएसएमई को उनकी बिक्री की रकम जल्द मिल जाए। साथ ही, सिडबी क्रेता कंपनियों के आपूर्तिकर्ताओं (एमएसएमई) को बीजक भुनाई सुविधा भी देता है।

डिजिटल माध्यम से प्राप्य-राशि वित्तीयन में बढोत्तरी करने के उद्देश्य से बैंक ने निम्नलिखित उपाय किएः

ट्रेड्स का परिचालन आरंभः

सिडबी और एनएसई की सहायक संस्था एनएसई स्ट्रैटजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (एनएसआईसीएल) ने पहले रिसीवेबल एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) की स्थापना की। आरएक्सआईएल वह पहली संस्था है, जिसने 09 जनवरी 2017 को 'ट्रेड रिसीवेबल्स' डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) का परिचालन आरंभ किया। ट्रेड्स भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर चलनेवाली एक संस्थागत प्रणाली है, जिसमें कई प्रकार के वित्तकर्ताओं के माध्यम से एमएसएमई के व्यापारिक प्राप्यों का वित्तपोषण हो सकेगा। इसके ज़रिए एक पारदर्शी बोली-प्रक्रिया के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई के व्यापारिक प्राप्यों के वित्तपोषण में मदद मिलेगी जिसमें विविध वित्तप्रदाता प्रतिभागिता करते हैं। (बॉक्स 2.1)

बॉक्स 2.1: ट्रेड्स का परिचालन

प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए ट्रेड्स एक्सचेंज एक सरल प्रक्रिया का उपयोग करता है। केवल वे फैक्टरिंग इकाइयाँ नीलामी में शामिल होती हैं, जिनके बीजक दूसरी पार्टी ने सकारे हों। कई प्रकार के वित्तकर्ताओं को बीजकों पर बोली लगाने की अनुमति रहती है। उन्हें भुनाई/वित्तीयन-दर दर्ज़ करनी होती है। जो प्रतिभागी वित्तीयन/ब्याज की लागत वहन करता है, उसे बोली सकारने का अधिकार होता है। लागत-वहनकर्ता प्रतिभागी द्वारा बोली सकारने के बाद नीलामी संपन्न हो जाती है। बीजक के वित्तपोषण के पश्चात् एमएसएमई विक्रेता टी+1/टी+2 पर निधि प्राप्त करेगा (जो लागत-वहनकर्ता प्रतिभागी के बोली सकारने के समय पर निर्भर करेगा)। टी+1 पर वित्तकर्ता का बैंक-खाता नामे हो जाता है और विक्रेता का निर्दिष्ट बैंक-खाता जमा होता है। विक्रेता के खाते में तभी जमा प्रविष्टि होती है, जब वित्तकर्ता के निर्दिष्ट बैंक-खाते में सफलतापूर्वक नामे होता है। यह प्रथम चरण का निपटान है। दूसरे चरण के निपटान में, क्रेता उस वित्तकर्ता को चुकौती करेगा, जिसने संव्यवहार का वित्तपोषण किया था। दूसरे शब्दों में बीजक देय तारीख को क्रेता का खाता एनपीसीआई एनएसीएच ऑटो डेबिट प्रणाली के माध्यम का उपयोग करते हुए स्वतः नामे हो जाएगा, जिससे वित्तकर्ता/बैंकर के प्रति देयता का निपटान हो जाएगा। जिन इकाइयों का वित्तपोषण नहीं हो पाया, उनकी फैक्टरिंग के लिए निपटान के तृतीय चरण के रूप में क्रेता एमएसएमई विक्रेता को भुगतान हेतु ट्रेड्स एक्सचेंज का उपयोग कर सकता है।

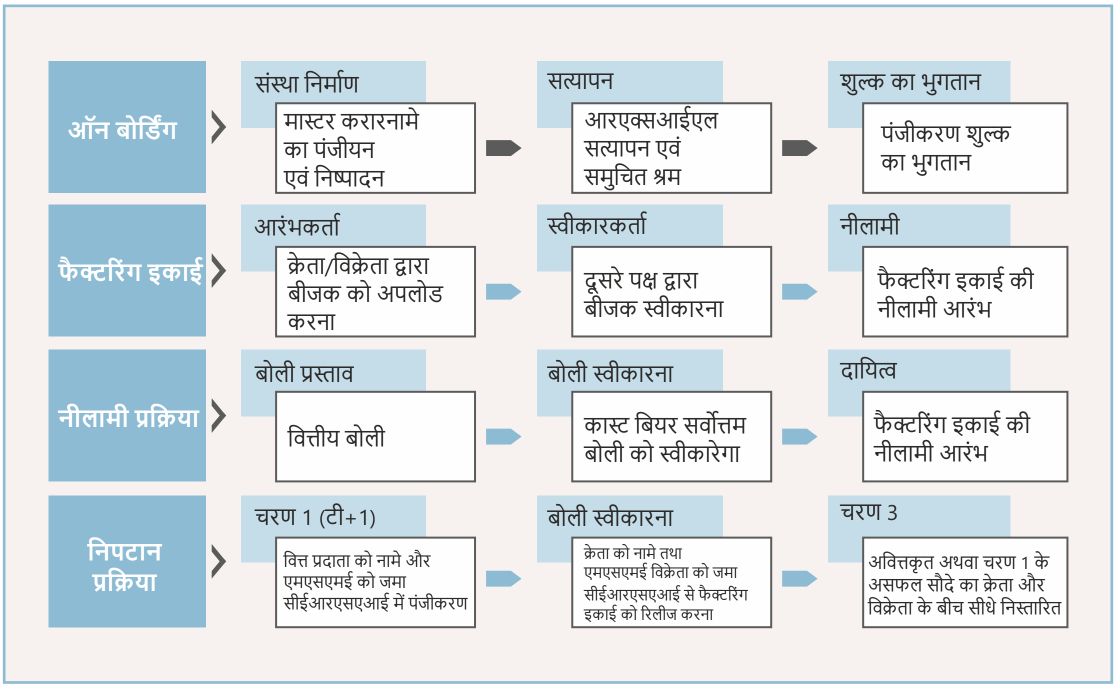

मौजूदा योजनाओं का स्तरोन्नयन

स्माइल योजना

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने ₹10,000 करोड़ का 'सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस' (स्माइल) आरंभ किया। इसका उद्देश्य अर्ध-ईक्विटी के रूप में सुलभ ऋण देना था, ताकि उदार शर्तों पर अपेक्षित ऋण-ईक्विटी अनुपात एवं सावधि ऋण प्राप्त किया जा सके। मार्च 2017 के अंत तक इस योजना के अंतर्गत कुल ₹3,586 करोड़ के ऋण दिए गये।

यथा 31 मार्च 2017 स्माइल योजना से 1,384 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं।

विश्व बैंक ऋण-व्यवस्था

सिडबी ने 'एमएसएमई ग्रोथ इनोवेशन एंड इन्क्लूजिव फाइनेंस' (एमएसएमई-आईआईएफ) परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण-व्यवस्था का करार किया है। इस परियोजना में एमएसएमई की शुरुआती अवस्था से लेकर उनके विकसित होने तक, नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों के माध्यम से वित्त दिलाते रहने पर ध्यान दिया जाता है। बैंक का लक्ष्य समावेशी आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना और रोजगार-सृजन होता है। यथा 31 मार्च 2017, उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 1061 एमएसएमई को कुल ₹1,945 करोड़ की सावधि ऋण सहायता दी गयी।

टिकाऊ वित्त

सिडबी भारत के एमएसएमई क्षेत्र के टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता आ रहा है। इसके लिए वह न केवल पर्याप्त एवं सस्ता ऊर्जा दक्षता/हरित वित्त देता है, बल्कि एमएसएमई-समूहों में जलवायु नियंत्रण के लाभों के बारे में जागरूकता भी फैलाता है। सिडबी ने विशिष्ट ऋण योजनाएँ परिचालित की हैं और जाइका, जापान, एएफडी, फ्रांस तथा केएफडब्ल्यू, जर्मनी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से द्विपक्षीय ऋण-व्यवस्थाएँ की हैं, ताकि ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों/ उत्पादन प्रक्रियाओं, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और छत पर लगने वाली सौर वोल्टाइक अथवा सौर तापीय प्रणाली उत्पादन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता

में वृद्धि करना, CO_2 उत्सर्जन में कमी लाना तथा भारतीय एमएसएमई की लाभप्रदता में सुधार लाना है। इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है- विश्व बैंक के नेतृत्व वाली जीईएफ द्वारा वित्तपोषित ऊर्जा-दक्षता परियोजना, जो सिडबी तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना 10 समूहों में क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य लक्षित एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता निवेश की माँग को बढ़ाना तथा उनकी क्षमता विकसित करना है, ताकि वे वाणिज्यिक वित्त प्राप्त कर सकें। समग्रतः इस परियोजना के अंतर्गत सरसरी तौर पर 1,200 लेखापरीक्षाएं तथा 750 विस्तृत ऊर्जा लेखापरीक्षाएं संपन्न की गईं। परियोजना में 670 से अधिक एमएसएमई को क्रियान्वयन सहायता दी गई है।

बैंक ने आद्योपान्त ऊर्जा दक्षता समाधान (4ई समाधान) भी आरंभ किया है, जो बिजली और ईंधन की लागत बचाने और अपनी मौजूदा प्रौद्योगिकियों के उन्नयन में एमएसएमई इकाइयों की मदद करनेवाला उत्पाद है।

4ई सफलता की एक कहानी

मेसर्स कुडू निटवियर प्रा. लि.- लुधियाना, पंजाब की धागे और पारंपरिक परिधान बनाने वाली इकाई। इसकी सालाना बिजली खपत थी 2,667 टीओई और सालाना बिजली बिल ₹5.2 करोड़ आता था। विस्तृत ऊर्जा लेखापरीक्षा में पता चला कि अधूरे प्रज्वलन, बॉयलर के असामान्य परिचालन तथा दोषपूर्ण डिजाइन के कारण यह इकाई कम क्षमता पर काम कर रही थी।

इस इकाई को 4-ई समाधान के अंतर्गत शामिल किया गया। बॉयलर बदलकर पूरी तरह स्वचालित उच्च दक्षता वाला पैकेज्ड बॉयलर लगाया गया। ऊर्जा दक्षता के कई उपाय किए गए, जिससे इकाई की ऊर्जा लागत में 12% की कमी आई। इकाई में ₹40 लाख का पूँजी निवेश हुआ, जिसकी भरपाई अवधि 2.67 वर्ष है। इस इकाई ने सूचित किया है कि उसके ऊर्जा खर्च में ₹15 लाख वार्षिक की बचत हुई है।

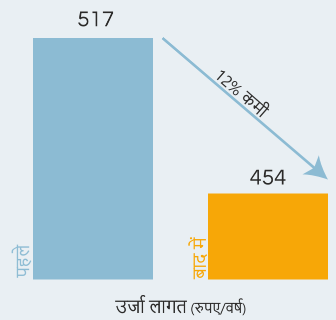

पर्यावरणीय प्रभाव

- एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में सिडबी अग्रणी रहा है। यह कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है, जैसे ग्लोबल एन्वायरन्मेंट फैसिलिटी (जीईएफ) द्वारा वित्तपोषित 'फाइनेंसिंग एनर्जी एफिशिएन्सी ऐट एमएसएमई'ज' नामक विश्व बैंक परियोजना जो भारत के लगभग 10 एमएसएमई-समूहों में चल रही है। साथ ही, यह राष्ट्रीय स्तर पर आद्योपान्त ऊर्जा दक्षता (4ई) समाधान देनेवाले उत्पाद के माध्यम से इस परियोजना के लाभों को और बढ़ा भी रहा है। इन परियोजनाओं ने CO_2 उत्सर्जन में जीवनपर्यंत 11.2 लाख टन की कमी लाकर पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
- बैंक एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ मिलकर, विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजना- 'पार्शियल रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी फॉर एनर्जी एफिशिएन्सी (पीआरएसएफ)' भी क्रियान्वित कर रहा है। आशा है कि इस परियोजना से 1,000 जीडब्ल्यूएच तक की उल्लेखनीय ऊर्जा-बचत होने तथा CO_2 के उत्सर्जन में 0.734 मिलियन टन की कमी आने की संभावना है।
- बैंक के ऊर्जा दक्षता संबंधी प्रयास से विभिन्न एमएसएमई में 10 से 25% ऊर्जा की बचत हुई है। इससे उक्त एमएसएमई की प्रत्यक्ष लाभप्रदता में वृद्धि हुई है।

इसके अलावा सिडबी एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ मिलकर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना- 'पार्शियल रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी फॉर एनर्जी एफिशिएन्सी (पीआरएसएफ)' का क्रियान्वयन भी कर रहा है, जिसमें लगभग ₹251 करोड़ (37 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का गारंटी निधि कॉर्पस तथा लगभग ₹41 करोड़ (6 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की तकनीकी सहायता शामिल है। इस परियोजना में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा एस्को-क्रियान्वित परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋणों को आंशिक जोखिम कवर देने का प्रावधान है। पीआरएसएफ में प्रतिभागिता यानी पीआरएसएफ गारंटी सहायता से ऊर्जा सेवा कंपनी वित्तीयन के लिए इच्छुक और पात्र बैंकों/गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ पाँच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। परियोजना के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं के लिए मानक संव्यवहार दस्तावेज़ विकसित करके इसकी वेबसाइट (http://prsf.sidbi.in) पर डाले गये हैं, ताकि ऊर्जा सेवा कंपनियाँ उससे लाभान्वित हो सकें।

विकासशील देशों में मान्यताप्राप्त संस्थाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन-कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित ग्रीन क्लाइमेंट फंड (जीसीएफ) ने सिडबी को 'राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था' के रूप में मान्यता दी है। जीसीएफ बोर्ड द्वारा उक्त मान्यता का अनुमोदन किया गया है, जिससे बैंक के लिए जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने का मार्ग सुगम हो गया है।

ईक्विटी में वृद्धि के उपाय

ऋण प्राप्त करने में एमएसएमई के समक्ष आनेवाली प्रमुख बाधा है उनके पूँजी आधार का निम्न स्तर, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त ऋण लेने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। साथ ही, ईक्विटी सहायता के अभाव के चलते इस क्षेत्र में नवोन्मेष भी बाधित हुआ है। इस अन्तराल को सिडबी कई तरह से दूर कर रहा है।

क. प्रत्यक्ष जोखिम पूँजी सहायता

- जोखिम पूँजी सहायता:

सिडबी ने 2009 में ₹2000 करोड़ की प्रतिबद्ध समूह निधि से एमएसएमई जोखिम पूँजी निधि (एमएसएमई-आरसीएफ) के तहत जोखिम पूँजी परिचालन आरम्भ किए। प्रत्यक्ष जोखिम पूँजी सहायता और निधियों की निधि परिचालनों, दोनों के लिए एमएसएमई-आरसीएफ का इस्तेमाल किया गया। यह निधि पूर्णतः प्रतिबद्ध हो चुकी है।

- स्टार्ट-अप सहायताः

सिडबी स्टार्ट-अप्स तथा शुरुआती चरण वाले उद्यमों को स्टार्ट-अप सहायता योजना (एसएएस) के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से सुसंरचित सहायता भी प्रदान करने वाला है। एसएएस के अंतर्गत व्यवसाय मॉडलों के सत्यापन के लिए सिडबी ने नैसकॉम और इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज राउंड टेबल (इस्पिरिट) के साथ औपचारिक समझौता भी किया है।

ख. निधियों की निधि का परिचालन

- इंडिया ऐस्पिरेशन फंडः

बैंक ने निधियों की निधि के रूप में ₹2,000 करोड़ का इंडिया ऐस्पिरेशन फंड (आईएएफ) स्थापित किया है, ताकि वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में निवेश किया जा सके। इसके फलस्वरूप आईएएफ के अंतर्गत ₹500 करोड़ तक की समूह निधि सहायता-प्राप्त एआईएफ एमएसएमई में निवेश करेंगे, जो सिडबी की वचनबद्धता के दुगने तक अथवा एआईएफ की समूह निधि के 50% (जो भी अधिक हो) होगा। जिन एआईएफ में ₹500 करोड़ से अधिक की समूह निधि होगी, वे एमएसएमई में निवेश करेंगे, जो सिडबी की वचनबद्धता के दुगने तक अथवा ₹250 करोड़ (जो भी अधिक हो) होगा।

- स्टार्ट-अप्स के लिए निधियों की निधिः

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2015 को घोषित किए गये 'स्टार्ट-अप इंडिया' प्रयास के अंतर्गत सरकार ने स्टार्ट-अप्स के लिए ₹10,000 करोड़ की निधियों की निधि स्थापित की। यह निधि अब सिडबी के पास है, ताकि वह एआईएफ में अंशदान कर सके। ये एआईएफ भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि से दुगना निवेश स्टार्ट-अप में करते हैं। मार्च 2017 तक सरकार ने ₹600 करोड़ जारी किए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार ने निधियों की निधि योजना के परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर जारी कर दिया।

- ऐस्पायर निधि:

'नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने संबंधी योजना' (ऐस्पायर) के लिए एमएसएमई मंत्रालय की निधि के अंतर्गत ₹60 करोड़ आवंटित किए गए और निधि के संचालन के लिए सिडबी को संवितरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि उद्योगों में स्टार्ट-अप्स/शुरुआती चरण वाले उद्यमों पर केन्द्रित उद्यम पूँजियों में निवेश करना है।

- भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समझौता ज्ञापनः

देश में नवोन्मेषी एमएसएमई के लिए दीर्घकालिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सिडबी ने 07 अप्रैल 2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया, जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम ने इंडिया ऐस्पायर फंड के साथ सह-निवेश के लिए ₹200 करोड़ की राशि विनिर्धारित की।

ईक्विटी सहायता का प्रभाव

- ₹1,107 करोड़ की ईक्विटी/अर्ध-ईक्विटी सहायता/प्रतिबद्धता
- 575 स्टार्ट-अप/एमएसएमई लाभान्वित
- 56 वैकल्पिक निवेश निधियों को सहायता दी, जिनका कुल ₹1809 करोड़ का ईक्विटी/अर्द्ध-ईक्विटी भंडार होगा।

प्रत्यक्ष ईक्विटी सहायता योजना	प्रदत्त सहायता (करोड़ ₹)	लाभग्राहियों की संख्या
जेम्स	1041 करोड़	528
स्टार्ट-अप सहायता योजना	66 करोड़	47
योग	1107 करोड़	575

निधियों की निधि के अंतर्गत निधि का नाम	प्रतिबद्ध राशि (करोड़ ₹)	वैकल्पिक निवेश निधियों की संख्या
इंडिया ऐस्पिरेशन फंड	1146 करोड़	35
निधियों की निधि परिचालन	624 करोड़	17
ऐस्पायर फंड	39 करोड़	4
योग	**1809 करोड़**	**56**

सिडबी की ईक्विटी सहायता –सफलता की कहानियाँ

'ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन' का निगमन अगस्त 2005 में हुआ। यह नासिक, महाराष्ट्र में स्थित एक अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा-प्रदाता है। ईएसडीएस की विशेषज्ञता डाटासेंटर सेवा, ऐप्लीकेशन विकास, उत्पाद विकास, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि में है। नवोन्मेष के ज़रिए व्यवसाय वृद्धि के उद्देश्य से सिडबी ने इसे वित्तीय वर्ष 2015 में ₹4.50 करोड़ की उप-ऋण सहायता प्रदान की। अपने सफल परिचालनों और व्यवसाय-विस्तार के फलस्वरूप कंपनी ने 2016 में म्हापे, नवी मुम्बई में 80,000 वर्गफुट क्षेत्रफल में अपना दूसरा डाटा सेंटर स्थापित किया। इसका राजस्व-अर्जन वित्तीय वर्ष 2015 के ₹35 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में ₹71 करोड़ हो गया। उल्लेखनीय है कि नये डाटा सेंटर का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने किया।

सेडेमैक मकेट्रॉनिक्स, पुणे प्रौद्योगिकी-उत्पाद कंपनी है, जो इंजनों और पावर-ट्रेनों के नियंत्रण पर ध्यान देती है। मोटरसाइकिलों और स्कूटरों में 'स्मार्ट इग्निशन' उत्पाद के रूप में प्रौद्योगिकीय निवेश को बढ़ावा देने और विदेश में विस्तार करने के उद्देश्य से सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2015 में उसे जोखिम पूँजी निधीयन के रूप में ₹4 करोड़ मंजूर किए और साथ ही, 2016 में प्रत्यक्ष ऋण योजना के अंतर्गत सावधि ऋण के रूप में ₹8 करोड़ तथा कार्यशील पूँजी योजना के अंतर्गत ₹8 करोड़ की सीमा मंजूर की। सिडबी के निवेश के उपरान्त तीन वर्ष में कंपनी ने 400% की वृद्धि दर्ज की और उसकी मालियत वित्तीय वर्ष 2015 के ₹15करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में ₹80 करोड़ हो गयी।

डिजिटल प्रयास

हाल की अवधि में भारत सरकार ने समाज के असेवित वर्गों के लिए वित्तीय योजनाएं आरंभ कीं: जैसे बहुत छोटे सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹10 लाख तक के मुद्रा ऋण, अजा/ अजजातियों तथा महिलाओं के लिए ₹10 लाख से लेकर ₹100 लाख तक के स्टैंड-अप इंडिया ऋण और उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट-अप्स की संवृद्धि के लिए अनुकूल पारितंत्र का निर्माण करते हुए नवोन्मेषिता के संवर्द्धन हेतु स्टार्ट-अप इंडिया योजना।

दूरस्थ स्थानों से भी इस प्रकार के ऋणों के लिए आवेदन करने में असेवित लोगों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों की परिधि को व्यापक बनाने के लिए बैंक ने स्टैंड- अप ऋणों के लिए www/standupmitra.in तथा मुद्रा ऋणों और ₹2 करोड़ तक के एमएसएमई ऋणों के लिए www.udyamimitra.in पोर्टल आरंभ किए। इन दोनों पोर्टलों की पैठ बॉक्स 2.2 में देखी जा सकती है।

बॉक्स 2.2 उद्यमी मित्र एवं स्टैण्डअप मित्र पोर्टल के अंतर्गत कार्यनिष्पादन (यथा 30 अप्रैल 2017)

मित्र पोर्टलों पर हिट्स की संख्या	स्टैंडअप मित्र: 16.16 लाख उद्यमी मित्र: 2.90 लाख
पंजीकरण	40,974
आवेदन	37,274 (ऑनलाइन 6,556)
मंजूरियाँ	32,304 (ऑनलाइन 1,700) स्टैंडअप इंडिया मंजूरियाँ: 29,730 कुल ₹6,107 करोड़ के लिए
लॉग-इन की गई शाखाओं की संख्या	102 बैंकों की 1.06 लाख शाखाएँ
लॉग-इन किए गए स्टैंडअप इंडिया सहायता केंद्रों की संख्या	5,321

स्टार्ट-अप पारितंत्र को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सिडबी ने "www.sidbistartupmitra.in" पोर्टल बनाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य स्टार्ट-अप उद्यमियों को विभिन्न हितधारकों जैसे- संपोषकों, पथप्रदर्शकों, फरिश्ता नेटवर्कों, उद्यम पूँजी निधियों आदि के संपर्क में आने में मदद करना था। इन डिजिटल प्रयासों की मुख्य विशेषताएं तथा उनके प्रभाव का वर्णन क्रमशः बॉक्स 2.3 और 2.4 में किया गया है।

बॉक्स 2.3 ऋण तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्रयास

स्टैंड-अप इंडिया शिविर: पहुँच को सुगम बनाने के लिए कार्य- निष्पादन से जुड़ा प्रयास, जिसमें विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता से मौके पर ही आकांक्षी उद्यमियों के आवेदन लिए जाते हैं।

चैंपियन एजेंसियाँ (सीएचए): चैंपियन एजेंसियाँ वे होती हैं, जिन पर हैंड-होल्डिंग के मामले में तब भरोसा किया जा सकता है, जब हैंड-होल्डिंग के लिए चिह्नित एजेंसी तत्संबंधी अनुरोध पर कार्रवाई करने में असमर्थ हो।

गारंटी कंपनियों के साथ एकीकरण: पोर्टल पर (31 मार्च 2017 को या उसके बाद) आवेदित किसी भी ऋण का एनसीजीटीसी रूल इंजन पर विश्लेषण किया जाएगा, ताकि गारंटी कवरेज की पात्रता के बारे में बैंकर की मोटे तौर पर बेहतर समझ बन सके।

दृश्य-श्रव्य चलचित्र: पहुँच का विस्तार करने के लिए पोर्टल पर सरल दृश्य-श्रव्य सक्षमताकारी नैविगेशन को अब 10 स्वदेशी भाषाओं में उपलब्ध करा दिया गया है।

आसान पहुँच किट- अब बैंक शाखाओं के डैशबोर्ड पर तत्काल गणना के लिए यह किट उपलब्ध कराया गया है।

सिडबी का स्टार्ट-अप मित्र पोर्टलः स्टार्ट-अप पारितंत्र के अंतरालों का समाधान करने संबंधी अपने प्रयासों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सिडबी ने ऑन-लाइन प्लेटफॉर्म "www.sidbistartupmitra.in" आरंभ किया। इसका उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 17 मार्च 2016 को किया। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों- यानी स्टार्ट अप उद्यमियों, संपोषकों, निवेशकों (फरिश्ता नेटवर्क/ उद्यम पूँजी निधियों), औद्योगिक निकायों, मार्गदर्शकों/सलाहकारों, बैंकों को इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाना था, ताकि शुरुआती चरण वाले और स्टार्ट-अप उद्यमों की वित्तीय एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यह मंच उद्यमियों को राज्य और केन्द्र सरकारों का भागीदार बनकर संपोषकों, निवेशकों, पथ-प्रदर्शकों तथा भारत में स्टार्ट-अप्स संबंधी सरकारी योजनाओं के साथ संपर्क में आने का मौका देता है। इस पोर्टल को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार से भी सहायता मिली है। इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 5890 स्टार्ट-अप, 105 संपोषक और 86 निवेशक पंजीकृत हैं।

बॉक्स 2.4 सिडबी के डिजिटल प्रयासों का प्रभाव

- विभेदकः पोर्टलों पर उपलब्ध विश्लेषणपरक डाटा से पता चलता है कि स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा तथा एमएसएमई ऋणों के अंतर्गत 38000 से अधिक मंजूरियों तक पहुँच (1962 ऑनलाइन और शेष ऑफलाइन, यानी उन शाखाओं में प्राप्त, जिन्होंने इनको पोर्टल पर अपलोड किया) दर्ज़ हो चुकी है। इसी प्रकार आठ विशेषज्ञ क्षेत्रों (अर्थात् आवेदन भरने/ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, उद्यमिता विकास कार्यक्रम/ डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रशिक्षण, मार्जिन राशि अथवा सब्सिडी, मेंटरिंग, कौशल-विकास -व्यवसाय-प्रशिक्षण, कारखाना-आवश्यकता, ऊर्जा दक्षता-सौर परियोजनाओं हेतु हैंडहोल्डिंग तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा में) 15,234 हैंडहोल्डिंग-अनुरोध दर्ज़ हुए हैं, और 9,478 पर कार्रवाई की गई है। इनमें सर्वाधिक तीन प्रकार के अनुरोध उद्यमिता विकास कार्यक्रम/डिजिटल साक्षरता, आवेदन भरने/परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और मार्जिन राशि अथवा सब्सिडी से संबंधित हैं।
- सत्याभासी ऋण बाज़ारः ऋण आवेदन कई बैंक प्राप्त करते हैं। साथ ही, बैंक ऐसे प्रस्ताव भी लेते हैं, जिनमें अन्य बैंकों ने रुचि नहीं दर्शायी हो और आकांक्षी आवेदकों को उत्तर-स्वरूप टेलीफोन कॉल मिलती हैं।
- कारोबार की आसानीः लगभग 1960 से अधिक ऑनलाइन प्रस्तावों पर कार्रवाई हुई है। इनकी संख्या प्रति सप्ताह 20 प्रस्ताव से बढ़कर 40 प्रति सप्ताह हो गई है, जिससे डिजिटल पहुँच के आकर्षण का संकेत मिलता है। अधिकतर प्रस्ताव ₹25 लाख के ऋण-दायरे वाले हैं और कार्रवाई शुरू होने में एक सप्ताह तक का समय लग रहा है। (88% ऑनलाइन प्रस्तावों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई हो रही है)।
- स्वयंसेवक ला रहे हैं बदलावः महिला उद्यमियों के लिए पथप्रदर्शक समर्थकारक सिडबी की 22 महिला अधिकारियों का स्वैच्छिक समूह है, जिसने केवल तीन महीनों में हैंडहोल्डिंग के 110 में से 67 अनुरोधों पर कार्रवाई की है। सिडबी की सहायता-प्राप्त स्वयंसेवक-महिला उद्यमियों का एक और समूह भी तैयार हो गया है, जो संवितरण के बाद की अवस्था में महिला उद्यमियों का पथप्रदर्शन करेगा, ताकि उद्यम स्थापित करने संबंधी उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद की जा सके।
- बाधाओं को पार करनाः स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत महिला एवं अजा/अजजा तक पहुँच का विस्तार करके (और इस प्रकार लिंग तथा असेवित/अल्पसेवित की बाधा पार करने के बाद) ये पोर्टल (10 भाषाओं की दृश्य-श्रव्य सामग्री के ज़रिए अनुमानतः 65% से अधिक आबादी में पैठ बनाते हुए) भाषा की बाधाओं के साथ-साथ शिक्षा और आयु संबंधी बाधाएं भी तोड़ रहे हैं। ऑनलाइन मंजूरियों के ज़रिए लगभग 357 जिलों (स्टैंड-अप इंडिया में 310) को कवर किया गया है। त्रिपुरा के उनकोटि तथा जम्मू-कश्मीर के गंदरबाल और कुपवाड़ा जिलों तक ऑनलाइन ही पहुँचा गया है। इस प्रकार भौगोलिक बाधाओं को पार किया गया है। उभयलिंगियों के साथ-साथ 40-50 वर्ष के आयु समूह तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले आकांक्षी व्यक्ति भी उद्यमी बने हैं। इससे पता चलता है कि रोजगार-प्राप्त लोग भी व्यवसाय के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक के आयु-समूह में महिला उद्यमियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। शिक्षा की दृष्टि से ऑनलाइन मंजूरियों में 42% कक्षा XII और उससे कम शिक्षितों तथा अशिक्षितों को की गयी हैं।

स्टैंड-अप पोर्टल से मिली सफलता की कहानी

श्रीमती वाइ.एल. ललिता कुमारी, आयु 49 वर्ष, निवासी पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश को एक ऐसे बैंकर के ज़रिए इस योजना का पता चला, जिससे वे ऋण के सिलसिले में मिलती रहती थीं। उन्होंने पोर्टल पर स्वतंत्र रूप से आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एलूरु शाखा ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत उन्हें ₹37.50 लाख का ऋण मंजूर किया। इकाई ने अगस्त 2016 में उत्पादन आरंभ किया और अब उसमें 15 श्रमिक काम करते हैं। इकाई का मासिक टर्नओवर ₹1.5 लाख से ₹2 लाख के बीच है।

अल्प वित्त

सिडबी देश में अल्प वित्त संस्था-आधारित अल्प वित्त पारितंत्र के विकास से जुड़ी अग्रणी वित्तीय संस्था है। विगत कुछ वर्षों में सिडबी पिरामिड के निचले स्तर पर स्थित जनता की वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी करने में सक्षम आपूर्ति-पक्ष समाधान प्रस्तुत करने वाले बाजार-निर्माता के रूप में उभरा है। सिडबी के अल्प वित्त संबंधी प्रयासों के ज़रिए यह संभव हुआ। इसके लिए सशक्त, व्यवहार्य और टिकाऊ अल्प वित्त संस्थाओं के नेटवर्क का सृजन और पोषण किया गया, ताकि वे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, खासकर महिलाओं को अल्प वित्त सेवा प्रदान कर सकें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सिडबी की पहलकदमियाँ ऐसी हैं, जिससे माँग और आपूर्ति, दोनों प्रकार की ज़रूरतें पूरी हो सकें। दूसरे शब्दों में सिडबी ने न केवल अल्प वित्त संस्थाओं को आगे सूक्ष्म इकाइयों को उधार देने के लिए ही वित्तीय सहायता प्रदान की है, बल्कि अल्प वित्त संस्थाओं तथा पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बहुत से विकासपरक और क्षमता विकास करने वाले उपाय भी किए हैं। मार्च 2017 तक बैंक ने लगभग 100 अल्प वित्त संस्थाओं का क्षमता-विकास किया और उन्हें ₹12,714करोड़ की वित्तीय सहायता दी, जिससे 356 लाख लोग लाभान्वित हुए। इनमें अधिकतर महिलाएँ हैं।

सिडबी की अल्प वित्त सहायता से गरीबों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने, जीविकोपार्जन के वैकल्पिक/ अतिरिक्त अवसर जुटाकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, ऋण के शोषणकारी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता में कमी लाने, परिवार और कारोबार के निर्णयों में सहभागिता में वृद्धि करने, वित्तीय मामलों की जानकारी बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा, आस्तियों की स्थिति, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के मानदंडों में वृद्धि करने में मदद मिली है।

लघु अल्प वित्तीय संस्थाओं का एक सम्मेलन 26 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। बाएं से दाएं: श्री एस. रामकृष्णन, तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक, सिडबी; श्री जिजि माम्मेन, मु का अ, मुद्रा; डॉ क्षत्रपति शिवाजी, तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी; श्री मनोज मित्तल, उप प्रबंध निदेशक, सिडबी और श्री पी. सतीश, कार्यपालक निदेशक, सा-धन, ऐसेट स्टेटस, हेल्थ एंड एजुकेशन पैरामीटर्स।

बॉक्स 2.5: अल्प वित्त का प्रभाव

महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से सूक्ष्म उद्यमिता हेतु सहायता देने संबंधी एडीबी-जेएफपीआर परियोजना के अंतर्गत इनसाइट डेवलपमेंट कन्सल्टिंग ग्रुप (आईडीसीजी) ने महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण के उपरान्त अंतिम-लाभग्राही सर्वेक्षण किया। उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तनों की सूचना दीः

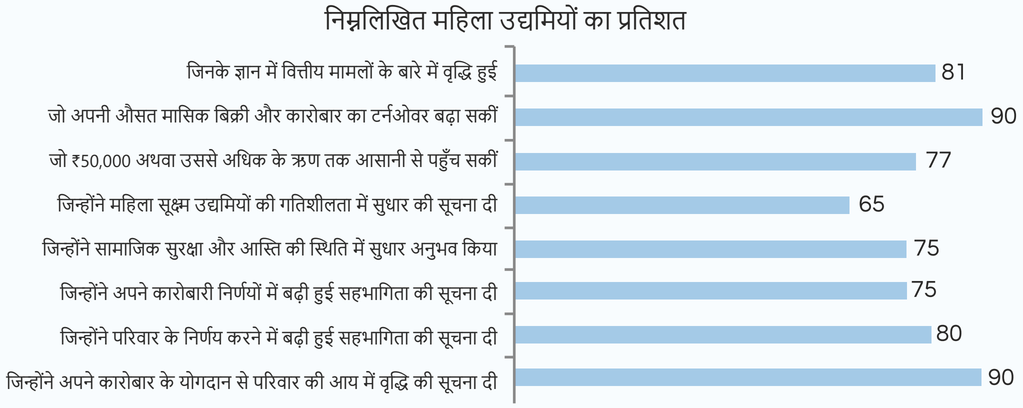

महिला सूक्ष्म उद्यमियों के समाजार्थिक प्रोफाइल में भी समुत्थानशीलता दिखाई पड़ती है।

- 95% विवाहित हैं और लगभग 72% एकल परिवारों में रहती हैं।
- 11% निरक्षर हैं, जबकि 26% ने हाई स्कूल तक पढ़ाई पूरी की है।
- 69% का खुद का कारोबार है और 23% परिवार की पूरी आय अर्जित करती हैं।

जवाबदेह वित्तपोषण के लिए सिडबी का प्रयास

अल्प वित्त संस्थाओं के नैगम अभिशासन और परिचालन-दक्षता में वृद्धि करने तथा क्षमता-आकलन रेटिंग, पोर्टफोलियो लेखा-परीक्षा, आचार-संहिता मूल्यांकन आदि उपायों के ज़रिए अल्प वित्त क्षेत्र को सुचारु रूप से पर्याप्त ऋण-प्रवाह में मदद करने के उद्देश्य से सिडबी बाजार-निर्माता की भूमिका निभाता रहा है। जवाबदेह ऋण-प्रदायगी और निश्चित आचार-संहिता का अनुपालन सिडबी की प्रमुख पहलकदमियाँ हैं। (बॉक्स 2.6)

बॉक्स 2.6 : जवाबदेह अल्प वित्त-प्रदायगी के उपाय

- ऋणदाता मंचः सिडबी ऋणदाता मंच का संयोजक है। इसमें मुख्य-मुख्य अल्प वित्त संस्थाएं शामिल हैं और इसका गठन अल्प वित्त संस्था ऋणदाताओं की सूचनाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान तथा उनके मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अल्प वित्त संस्थाओं के प्रमुख ऋणदाता अल्प वित्त संस्थाओं पर इसके लिए ज़ोर देने के लिए सहमत हो गये हैं कि वे ऋण-प्रसंविदाओं के एक सामान्य सेट और उचित आचार संहिता, के वाई सी मानदंडों के अनुपालन आदि के माध्यम से ऋण- प्रदायगी की उचित पद्धतियों का क्रियान्वयन करें।
- सामंजस्यपूर्ण आचार-संहिता आकलन साधन का विकासः सा-धन और एमफिन जैसे उद्योग संघों ने एक स्वैच्छिक आचार संहिता विकसित की है। इस आचार संहिता में सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार, पारदर्शिता, ग्राहक संरक्षण, अभिशासन, भर्ती, ग्राहक-शिक्षा, डाटा के आदान-प्रदान, ग्राहक प्रतिसूचना/शिकायत निवारण प्रणाली के क्षेत्रों से संबंधित अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं, ताकि क्षेत्र में व्यवहृत परिपाटियों में सुधार लाया जा सके।
- आचार संहिता आकलन (कोका) साधन के विकास के प्रथम चरण में सिडबी ने कुल 75 आकलन किए और सभी रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई हैं।
- स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायताः एनबीएफसी-एमएफआई के कामकाज, उनके द्वारा विनियमों और आचार-संहिता के अनुपालन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और एनबीएफसी-एमएफआई ग्राहकों की हितरक्षा के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो अल्प वित्त उद्योग निकायों-माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स नेटवर्क (एमफिन) तथा सा-धन को एनबीएफसी-एमएफआई के स्व-नियामक संगठन के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया। सिडबी ने एसआरओ ढाँचे के क्रियान्वयन के लिए सा-धन को अनुदान सहायता दी है। इस सहायता का उद्देश्य सा-धन को एसआरओ के रूप में सुदृढ़ करना और उन अल्प वित्त संस्थाओं के लिए भी प्रभावी विनियामक प्रणाली उपलब्ध कराना था, जिन्हें अभी तक अल्प वित्त व्यवस्था के किसी विनियम के दायरे में नहीं लाया जा सका है। एसआरओ ढाँचे के क्रियान्वयन हेतु सा-धन को प्रदत्त सहायता बाज़ार विकास संबंधी प्रयास था, जिसमें इस क्षेत्र के व्यापक कल्याण को ध्यान में रखा गया।

भारत सरकार की योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी सेवाएं

(क) ऋण-आधारित पूँजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस):

इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन में मदद करना है। इसके अंतर्गत अनुमोदित उप-क्षेत्रों/ उत्पादों के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के लिए की गई खरीद हेतु संस्थागत वित्त लेने पर उक्त उद्यमों को 15% पूँजी सब्सिडी (अधिकतम सीमा ₹15 लाख) दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 227 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ₹11.59 करोड़ की सीएलसीएसएस सब्सिडी की सुविधा दी गई।

(ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स):

कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा और पटसन उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टफ्स) आरंभ की, जिसका उद्देश्य कपड़ा इकाइयों में अधुनातन प्रौद्योगिकी लाने में मदद करना था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान टफ्स के अंतर्गत 1690 सब्सिडी-प्रस्तावों के प्रति ₹36.73 करोड़ की सुविधा दी गई।

(ग) चमड़ा क्षेत्र एकीकृत विकास योजना (आईडीएलएसएस):

इस योजना का उद्देश्य मौजूदा चर्म उद्योग इकाइयों, जूते-चप्पल, जूते-चप्पल के हिस्सों तथा चर्मोत्पाद इकाइयों के उन्नयन में मदद करना है, ताकि उनकी उत्पादकता-वृद्धि हो, क्षमता का उचित उपयोग हो, लागत में कटौती हो और डिजाइन तथा विकास का साथ-साथ उन्नयन हो सके, जिससे उद्यमी विविधीकरण तथा नयी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हों। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आईडीएलएसएस के अंतर्गत 20 प्रस्तावों के संबंध में कुल ₹4.47 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई।

(घ) खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयों का प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार योजना:

इस योजना में सभी घटकों जैसे- फल एवं सब्जी, दुग्धोत्पाद, माँस, कुक्कुट, मत्स्य-पालन, तिलहन और इस प्रकार के अन्य कृषि-बागवानी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिससे मूल्य-वर्द्धन होता हो और भण्डारण-काल बढ़ता हो। इसमें खाद्य-स्वाद एवं रंग, तैल-राल, मसाले, नारियल, मशरूम, हॉप्स आदि भी शामिल हैं। एफपीटफ्स के अंतर्गत 11 प्रस्तावों के लिए कुल ₹1.79 करोड़ की सब्सिडी दी गई।

(ङ) प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन (टेकअप) योजनाः

टेकअप योजना में ऊर्जा दक्षता तथा उत्पाद गुणवत्ता के प्रमाणन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के ज़रिए एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के क्रियान्वयन हेतु परियोजना लागत के 25% और अधिकतम ₹10 लाख तक अनुदान सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 58 प्रस्तावों के लिए ₹4.26 करोड़ की टेकअप सब्सिडी दी गई।

(च) संविभाग जोखिम निधिः

संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ) के अंतर्गत भारत सरकार ने ₹150 करोड़ की सहायता प्रतिबद्ध की है। बैंक इसका उपयोग अल्प ऋण योजना के अंतर्गत अल्प वित्त संस्थाओं के सावधि ऋणों के लिए 7.5% प्रतिभूति (सामान्यतः अपेक्षित 10%) की पूर्ति हेतु कर रहा है। मूलतः इस योजना में समस्त देश शामिल था, किन्तु 01 जुलाई 2008 से इसमें केवल अल्पसेवित राज्य तथा अन्य राज्यों के अल्पसेवित जिले शामिल हैं (जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभग्राहियों पर बल दिया जाता है)। यथा 31 मार्च 2017 पीआरएफ के अंतर्गत पात्र अल्प वित्त संस्थाओं को ₹2,898.25 करोड़ का संवितरण किया गया, जिसके फलस्वरूप ₹217.37 करोड़ के पीआरएफ की आवश्यकता पड़ी (जो पात्र ऋण संवितरण का 7.5% है)।

(छ) भारत अल्प वित्त ईक्विटी निधि

2011-12 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के क्रम में भारत सरकार ने सिडबी में ₹100 करोड़ की भारत अल्प वित्त ईक्विटी निधि (आईएमईएफ) स्थापित की, ताकि अपेक्षाकृत छोटी अल्प वित्त संस्थाएँ अपना ईक्विटी आधार सुधार सकें, पूँजी-पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकें, अतिरिक्त ऋण जुटाने के लिए उसका लाभ ले सकें और दीर्घ काल तक वाणिज्यिक रूप से टिकाऊ संगठन बन सकें। बाद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस समूह निधि को बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया। मार्च 2017 के अंत तक बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 65 अल्प वित्त संस्थाओं के लिए ₹194 करोड़ की प्रतिबद्धता कर ली है (बॉक्स 2.7)।

बॉक्स 2.7: आईएमईएफ का प्रभाव

अल्प वित्त संस्था क्षेत्र पर आईएमईएफ निधियन के प्रभाव और निधिकृत अल्प वित्त संस्थाओं की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए सिडबी ने एक प्रभाव-आकलन अध्ययन कराया। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

- संस्थागत टिकाऊपनः

  अल्प वित्त संस्थाओं के बहुत बड़े हिस्से में समग्र रूप से उनके टिकाऊपन के विकास की दृष्टि से आईएमईएफ का अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है। संस्थागत टिकाऊपन के क्षेत्र में इस निधि का अधिकतम प्रभाव रहा।

- पहुँच, ऋण-प्रदायगी की पद्धतियाँ और परिचालनगत दक्षताः

  पहुँच, ऋण-प्रदायगी की पद्धतियों और परिचालनगत दक्षता के मामले में अल्प वित्त संस्थाओं के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

- विनियामक स्थिति के आधार पर समग्र प्रभावः

  देखने में आया है कि सभी अल्प वित्त संस्थाओं पर आईएमईएफ के निधीयन का एक समान प्रभाव पडा, चाहे उनकी विनियामक स्थिति (एनबीएफसी बनाम गैर-एनबीएफसी) जो भी हो। निधीयन से लगभग 32% एनबीएफसी एमएफआई और 24% गैर-एनबीएफसी एमएफआई पर तत्काल और लगभग 75% एमएफआई (एनबीएफसी तथा गैर एनबीएफसी, दोनों) पर मध्यम अवधि में माध्यम से उच्च-स्तरीय प्रभाव पड़ा।

- भौगोलिक स्थिति के आधार पर समग्र प्रभावः

  पूर्व आधारित एमएफआई पर आईएमईएफ निधीयन का सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रभाव पाया गया। वहाँ सभी एमएफआई पर मध्यम अवधि में मध्यम से उच्च-स्तरीय प्रभाव दिखाई दिया।

- निवेश के उपरान्त हासिल हुई संवृद्धि और वित्तीय मानदंडों की दृष्टि से काफी सारी निवेश-प्राप्त संस्थाएँ 'सफलता की कहानियों' में शामिल किए जाने योग्य हो चुकी हैं।

सर्वाधिक उल्लेखनीय सफलता की कहानी आरजीवीएन

(पूर्वोत्तर) माइक्रोफाइनेंस लि. की है, जो पूर्णतया पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालनरत सामाजिक उन्मुखता वाली अल्पवित्त संस्था है और जिसे लघु वित्त बैंक (एसएफबी) स्थापित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिद्धान्ततः अनुमोदन दे दिया है। लघु वित्त बैंक परिचालन हेतु बैंकिंग लाइसेंस दिया जा चुका है और यह संस्था शीघ्र ही परिचालन आरंभ कर देगी। आरजीवीएन (पूर्वोत्तर) माइक्रोफाइनेंस लि. की प्रबन्ध निदेशक श्रीमती रूपाली कलिता के अनुसार-'आरजीवीएन (पूर्वोत्तर) माइक्रोफाइनेंस लि. का पंजीकरण मूल आरजीवीएन सोसायटी से पृथक एक अल्प वित्त कंपनी के रूप में किया गया। उस समय सिडबी ने आईएमईएफ निधि से आरंभिक पूँजी सहायता प्रदान की। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अल्प वित्त प्रयास आरंभ करने और लगभग असफलता से शुरू करके वर्तमान स्थिति तक हमारे विकास और सफलता में हमारा अंतरंग हिस्सा बने रहने और आज पूर्वोत्तर लघु वित्त बैंक खोलने की देहरी तक पहुँचाने के लिए हम सिडबी के प्रति कृतज्ञ हैं।'

व्यवसाय परिचालन

समग्र परिचालन

एमएसएमई को सिडबी की ऋण-सहायता आगे उधार देने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में तथा प्रत्यक्ष रूप में प्रदान की जा रही है, जिसमें अन्य के साथ-साथ, चुनिंदा वित्तपोषण, जैसे ईक्विटी/जोखिम पूँजी, टिकाऊ वित्त, प्राप्य वित्त, सेवा क्षेत्र वित्तपोषण पर अधिक जोर दिया जाता है।

बैंक का समग्र एमएसएमई बकाया ऋण वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4% बढ़कर ₹68,290 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में यह ₹65,632 करोड़ रहा था। बकाया की मुख्य विशेषताएं तालिका 2.1 में दी गयी हैं।

अप्रत्यक्ष ऋण

अप्रत्यक्ष ऋण सहायता में बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) को पुनर्वित्त सहायता, बैंकों को पुनर्भुनाई सहायता, अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई), एनबीएफसी को सहायता तथा विभिन्न संस्थाओं और एजेंसियों को उपलब्ध संसाधन सहायता शामिल है। मार्च 2017 के अंत तक बैंक का कुल अप्रत्यक्ष वित्त इसके कुल ऋण बकाया का लगभग 84% था, जबकि बैंकों को पुनर्वित्त के रूप में 71% का बड़ा हिस्सा दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक का कुल अप्रत्यक्ष वित्त संविभाग 6% बढ़कर ₹57,678 करोड़ हो गया।

प्रत्यक्ष ऋण

बैंक की प्रत्यक्ष एमएसएमई ऋण सहायता में अन्य सहायता के साथ-साथ चुनिंदा वित्तीयन सहायता जैसे जोखिम पूँजी, टिकाऊ वित्त, प्राप्य वित्त, सेवा क्षेत्र वित्त आदि शामिल हैं। मार्च 2017 के अंत में निवल ऋण बकाया ₹10,612 करोड़ था, जो बैंक के कुल संविभाग का लगभग 16% है।

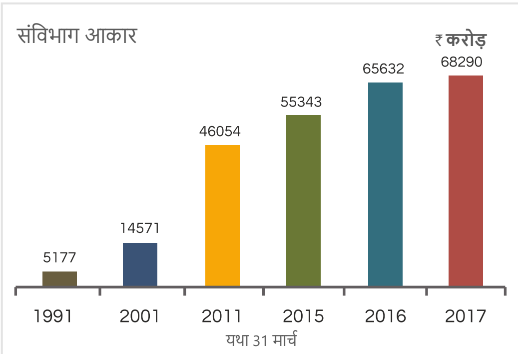

तालिका 2.1: समग्र परिचालन

₹ करोड़

विवरण	वित्त 2015-16 बकाया राशि यथा मार्च 31	वित्त 2016-17 बकाया राशि यथा मार्च 31
I. अप्रत्यक्ष ऋण		
क. पुनर्वित्त	46,544	48,503
ख. अल्प वित्त	2,013	2,308
ग. एनबीएफसी/अन्य को संसाधन सहायता	5,678	6,867
कुल अप्रत्यक्ष ऋण	54,235	57,678
II. प्रत्यक्ष ऋण		
क. जोखिम पूँजी	792	707
ख. टिकाऊ वित्त	1,920	1,341
ग. सेवा क्षेत्र	1,934	1,927
घ. एमएसएमई प्राप्य वित्त	1,513	1,071
ङ. अन्य	5,238	5,566
कुल प्रत्यक्ष ऋण	11,397	10,612
सकल योग	65,632	68,290

टिप्पणी: बकाया राशि के आँकड़ों से विवेकानुसार बट्टे खाते डाली गयी राशि और एनपीए प्रावधान घटा दिए गए हैं।

वित्तीय परिचालन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक की सकल आय में 9.7% की वृद्धि हुई और वह ₹6,345.80 करोड़ हो गयी, जबकि पिछले वर्ष यह ₹5,784.60 करोड़ रही थी। इसी अवधि में कुल व्यय ₹4,579.03 करोड़ रहे, जबकि पिछले वर्ष वह ₹3,922.98 करोड़ रहे थे। वर्ष का कर-पूर्व लाभ पिछले वर्ष के ₹1,636.47 करोड़ की तुलना में कुछ अधिक यानी ₹1,687.47 करोड़ रहा। कर एवं आस्थगित कर समायोजन-पश्चात् निवल लाभ पिछले वर्ष के ₹1,177.46 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹1,120.18 करोड़ रहा।

तुलन-पत्र का आकार

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक के तुलन-पत्र का आकार ₹79,682 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹76,478 करोड़ से 4% अधिक है। साथ ही, बैंक की निवल मालियत भी वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹12,905 करोड़ रही।

संसाधन प्रबंध

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सिडबी ने कुल ₹65,731 करोड़ के संसाधन जुटाए, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में यह राशि ₹53,807 करोड़ रही थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने स्वदेशी स्रोतों से ₹65,111 करोड़ और विदेशी मुद्रा में ₹620 करोड़ के संसाधन जुटाए।

बैंक के वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखों की लेखा-परीक्षा मेसर्स बोरकर एंड मज़ूमदार, सनदी लेखाकार, मुम्बई ने की। उन्हें सांविधिक लेखा-परीक्षा संपन्न करने के लिए सिडबी अधिनियम, 1989 (यथासंशोधित) की धारा 30(1) के अनुसार 07 जुलाई 2017 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्त किया गया।

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें पृष्ठ सं.68 तथा 108 पर दी गयी हैं।

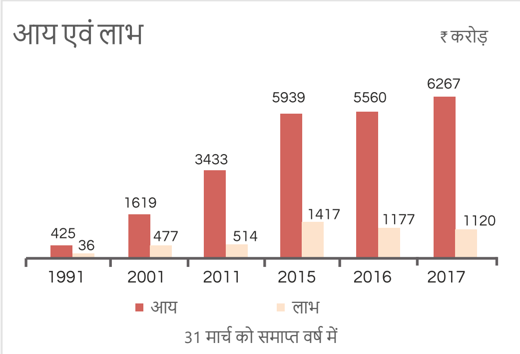

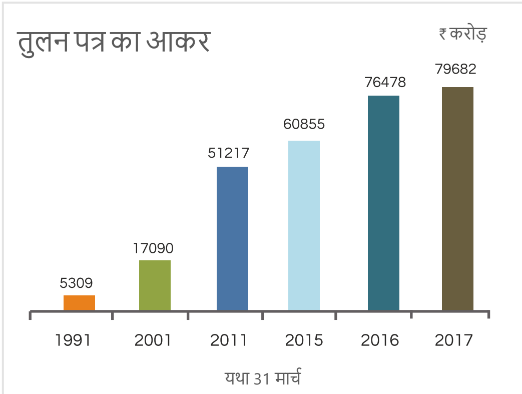

सिडबी की ऋण-लिखतों की रेटिंग

सिडबी के अल्प-कालिक एवं दीर्घ-कालिक लिखतों की रेटिंग क्रिसिल और केयर रेटिंग्स द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2017 के दौरान (क) क्रिसिल ने ₹1,400 करोड़ के अप्रतिभूत बॉण्ड निर्गम कार्यक्रम के लिए क्रिसिल एएए/स्थिर रेटिंग तथा सवधि जमा कार्यक्रम के लिए एफएएए/स्थिर (पुनर्पुष्टि) तथा ₹2,000 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र कार्यक्रम के लिए क्रिसिल ए1+ (पुनर्पुष्टि) रेटिंग कायम रखी और (ख) केयर रेटिंग ने (i) ₹38,000 करोड़ के आरआईडीएफ जमाराशियों तथा (ii) ₹21,276.60 करोड़ के अप्रतिभूत बाण्डों के लिए केयर एएए, स्थिर (ट्रिपल ए; आउटलुक: स्थिर), सावधि जमा के लिए केयर एएए (एफडी); ₹21,000 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र (सीपी)/जमा-प्रमाणपत्र (सीडी) कार्यक्रम के लिए स्थिर (ट्रिपल ए; आउटलुक: स्थिर)/केयर ए1+ (ए वन प्लस) रेटिंग की पुनः पुष्टि की है। सिडबी की निर्गमकर्ता रेटिंग के लिए केयर रेटिंग्स ने केयर एएए (आईएस); स्थिर (ट्रिपल ए (निर्गमकर्ता रेटिंग); आउटलुक:स्थिर) की भी पुनः पुष्टि की है।

तुलन-पत्र एवं लेखा-विवरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का वित्तीय वर्ष 2016-17 का लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण परिशिष्ट-I में दिए गये हैं। सिडबी और इसकी सहायक संस्थाओं सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (एसवीसीएल), सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि. (एसटीसीएल), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लि. (मुद्रा) तथा सहयोगी संस्थाओं- स्मेरा रेटिंग्स लि. (स्मेरा), इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आइसार्क), इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि. (आईएसटीएसएल), रिसीवेबल एक्स्चेंज ऑफ डिया लि. (आरएक्सआईएल) और अन्य का समेकित तुलनपत्र तथा लाभ हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

अध्याय - 3

संवर्द्धन एवं विकास संबंधी पहलकदमियाँ

बैंक की स्थापना से लेकर आज तक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का संवर्द्धन एवं विकास (पीएण्डडी) बैंक का एक प्रमुख दर्शन रहा है और सिडबी ने इस दिशा में कई नई पहलकदमियाँ की हैं। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष बल के साथ, उद्योग-समूहों का विकास, नवोन्मेष-संवर्द्धन, उद्यमिता संवर्द्धन एवं विकास, कौशल विकास तथा परामर्श-सहायता शामिल हैं।

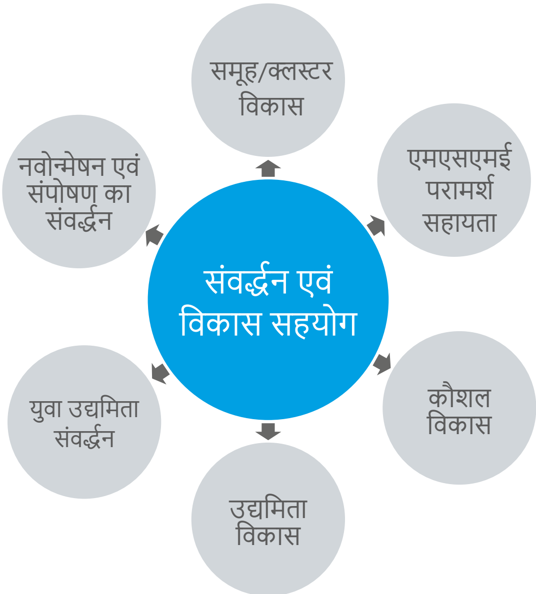

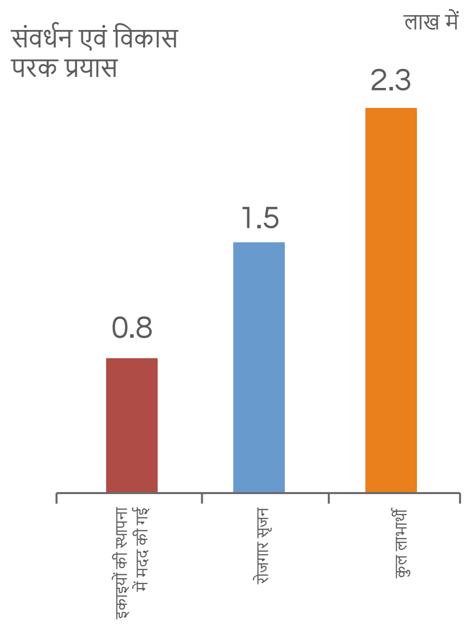

सामाजिक प्रभाव

बैंक के संवर्द्धन एवं विकास परक प्रयासों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के 2.3 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है। सिडबी ने 1.5 लाख से अधिक रोज़गारों का सृजन करने तथा 80,000 से अधिक इकाइयों, जिनमें से अधिकांशत: ग्रामीण उद्यम हैं, की स्थापना में मदद की है।

उद्योग-समूह विकास

उद्योग-समूह विकास सिडबी का प्रमुख कार्यक्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के माध्यम से कुछ प्रमुख योगदानों में प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, विपणन संपर्क-सूत्रों का सृजन, वित्तीय साक्षरता, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, ज्ञान का प्रचार-प्रसार, आधारभूत संरचना स्थापनाओं (सार्वजनिक सुविधा-केन्द्र, डिज़ाइन व विकास केन्द्र, छोटे टूल रूमों का निर्माण आदि) की सुविधा देना शामिल है। इसका लक्ष्य उद्योग-समूहों/क्लस्टरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उन्हें उन्नत करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि वे आत्म-निर्भर बन सकें। बैंक द्वारा पूरे भारत में अब तक 9 0 से अधिक उद्योग-समूह विकास कार्यक्रमों (सीडीपी) को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

बैंक अपने सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम (एमईपीपी) के माध्यम से ग्रामीण उद्योग-समूहों पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है। एमईपीपी का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना तथा व्यापक सहायता सेवाओं के माध्यम से रोज़गार सृजन हेतु प्रेरणा प्रदान करना है।

एमईपीपी का अब तक 26 राज्यों के 126 जिलों में कार्यान्वयन किया गया है। संचयी रूप से, लगभग 42,500 ग्रामीण उद्यमों की स्थापना की जा चुकी है।

कौशल तथा उद्यमिता विकास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, बैंक प्रतिष्ठित प्रबंध/प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता प्रदान करता है जिससे कि वे संरचित कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (स्टुप) तथा लघु उद्योग प्रबंध सहायक कार्यक्रम (सीमैप) आयोजित कर सकें।

सिडबी और यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जांगीपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में एक प्रबंधन तथा कौशल विकास संस्थान (एमएसडीआई) स्थापित किया गया है। यह संस्थान उस क्षेत्र के बेरोज़गार युवाओं तथा उभरते उद्यमियों को परामर्श तथा प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है। इस संस्थान द्वारा अब तक 81 कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

> अपनी स्थापना से अब तक सिडबी ने 1563 स्टुप कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है, जिससे लगभग 32,810 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से 302 सीमैप कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 9,100 प्रतिभागियों को लाभ प्राप्त हुआ। इनमें से अधिकतर प्रतिभागियों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

परामर्शी सेवाएँ

- सिडबी द्वारा ज्ञान साझेदारों – सेवानिवृत्त बैंकरों को नियुक्त किया गया है ताकि उनके माध्यम से नवीन/मौजूदा उद्यमियों को बहुत आवश्यक परामर्श प्रदान किया जा सके तथा उन्हें सिडबी/वाणिज्यिक बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित एमएसएमई संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करके सहायता की जा सके। इसमें ऋण लिंकेज़, उधारी संबंधी सलाह तथा अन्य सहायता प्रदान करना भी शामिल है।
- सिडबी द्वारा नियुक्त ज्ञान-साझेदार, सिडबी के पोर्टल-सिडबीस्टैंडअपमित्र.इन (www.standupmitra.in) का भी एक भाग हैं तथा वे उद्यमियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उन्हें आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हुए हैंड-होल्डिंग सहायता प्रदान करने में सफल होंगे।

> अब तक, 13,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी, सिडबी के ज्ञान-साझेदारों से लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सिडबी को प्रमाणित ऋण सलाहकार (सीसीसी) योजना के कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 11 जुलाई, 2017 को प्रारंभ की गई इस योजना के अनुसार, एमएसएमई ईको-सिस्टम के लिए एक नियामक पारितंत्र के अंतर्गत ऋण-सलाहकारों की एक टीम नियुक्त की जाएगी। इससे ऋण-तक-पहुँच में सुगमता होगी, विशेषकर उन्हें जो इस पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर हैं। बैंक ने इस योजना में प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फ़ायनांस (आईआईबीएफ़) तथा समन्वयन के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ अनुबंध किया है।
- जो व्यक्ति कोई कारोबार स्थापित करना चाहते हैं या अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सिडबी ने एक वेबसाइट – स्मॉलबी.इन (www.smallB.in) विकसित की है, जो एक सत्याभासी पथप्रदर्शक तथा हैंड-होल्डिंग दिग्दर्शक की भूमिका निभा रही है।

वित्तीय साक्षरता

- सिडबी, अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफ़आईडी), यूनाइटेड किंगडम सरकार के सहयोग से, चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के लिए, विशेष रूप से यहाँ की महिलाओं के लिए निर्धनतम राज्य समावेशी विकास कार्यक्रम (पीएसआईजी) कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में, महिला सशक्तीकरण में सहायता करने के लिए द्विआयामी रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें जन-समुदाय तथा संस्थागत स्तर, दोनों रूपों में कार्य किया जाता है। सामुदायिक स्तर पर, इस कार्यक्रम में अब तक 2.17 लाख महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, लैंगिक मुद्दों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा व्यापक जागरूकता शिविरों के माध्यम से 89,000 समुदाय-सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न की गई है।
- पीएसआईजी कार्यक्रम ने, महिलाओं की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के साथ-साथ, उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक मानसिक अभिवृत्ति भी पैदा की है। संभवत: सर्वाधिक नाटकीय परिणाम यह रहा है कि इसने ग्रामीण महिलाओं को जाली योजनाओं और चिट-फंड आदि में धन लगाने से दूर किया है और इसमें 32% से 2% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। अन्य द्रष्टव्य प्रभावों में उनकी स्वच्छता संबंधी स्थितियों में सुधार रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तुरंत बाद कई महिलाओं ने शौचालयों का निर्माण करवा लिया।

पीएसआईजी के प्रभाव संबंधी एक प्रकरण-अध्ययन

अगस्त 2016 में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद; श्रीमती सुषमा साहू और उनके पति ने अपनी आय बढ़ाने का निर्णय किया और इसके लिए उन्होंने अपने घर के पास पान की दुकान खोली, जिसका संपूर्ण प्रबंधन अकेले श्रीमती सुषमा ने किया। श्रीमती सुषमा ने 15-20 सदस्यों का एक स्वयं-सहायता-समूह भी शुरू किया। इस स्वयं-सहायता-समूह में निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को प्रति माह ₹100 का अंशदान करना होगा। वित्तीय आकस्मिकता या जरूरत होने पर 2% की ब्याज-दर पर उसे ऋण उपलब्ध होगा।

- अपनी पुत्री का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उसने न केवल अपनी पुत्री के नाम से बैंक में मासिक बचत राशि जमा करने के लिए एक बचत खाता खोला, बल्कि एक बीमा योजना में भी नामांकन कराया।
- इस वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण ने उनके परिवार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में मदद की। इसके प्रभाव केवल एक ही परिवार की घरेलू स्थिति को बदलने तक सीमित नहीं रहे, अपितु इससे स्थानीय समुदाय में परिवर्तनों की एक शृंखला का प्रादुर्भाव हो गया। एक अकेली महिला द्वारा अपनी बचतों का प्रबंधन करने के लिए स्वयं-सहायता-समूह प्रारंभ करने की एक पहल ने कई दूसरी महिलाओं को प्रेरणा दी और इसके परिणामस्वरूप समाज में व्यापक रूप से एक बड़ा परिवर्तन आया।

"इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने मुझे अपनी वित्तीय योजना बनाने के महत्व को समझाया। इससे हमें अपनी आय का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिली। जैसा कि हमने यहाँ प्रशिक्षण के दौरान सीखा है अब हमने अपनी आय को बढ़ाने के लिए जीवनयापन की विभिन्न गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। वित्तीय रूप से साक्षर होने के बाद मैंने अपने जैसी अन्य कई महिलाओं को ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया है।"

– श्रीमती सुषमा साहू

डिजिटल वित्तीय साक्षरता

सूक्ष्म व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाना अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य से बैंक ने 7 राज्यों में 112 डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (डीएफएलपी) आयोजित किए। ये कार्यक्रम 107 सूक्ष्म व्यवसाय क्लस्टरों में हुए और इनमें 6500 शिल्पकार प्रशिक्षित किए गए। इनमें से 40% महिलाएं थी।

बॉक्स 3.1: डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों (डीएफएलपी) का प्रभाव

- एंड्रॉयड फोन का उपयोग करने वाले प्रतिभागियों ने नकद अंतरण, भुगतान आदि करने के लिए मोबाइल वॉलेट के साथ-साथ विभिन्न अनुप्रयोगों/एप्लीकेशनों को भी डाउनलोड करना प्रारंभ कर दिया।
- यद्यपि बहुत से प्रतिभागी नकदीरहित परिचालनों से परिचित थे, परंतु उनमें से बहुत कम ही यह जानते थे कि इन सुविधाओं से कैसे जुड़ा जाए अथवा उनका प्रयोग कैसे किया जाए। प्रशिक्षण के पश्चात, प्रतिभागी इन अनुप्रयोगों/एप्लीकेशनों में स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए बहुत विश्वस्त हो गए।
- कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत एक अनुमान के अनुसार, लगभग 40% सूक्ष्म व्यवसायी प्रतिभागी,अब वित्तीय परिचालनों के लिए डिजिटल अनुप्रयोगों को अपनाने लगे हैं।
- डिजिटल वित्तीय सेवाओं तथा नकदीरहित परिचालनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में अब प्रतिभागी पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं।

नवोन्मेषन एवं संपोषण को बढ़ावा देना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का मुख्य वित्तीय संस्थान होने के नाते, विभिन्न नवोन्मेषी पहलकदमियों में सिडबी ने सदैव सक्रिय भूमिका निभाई है।

- सिडबी द्वारा राष्ट्रीय नवोन्मेषी फाउंडेशन, अहमदाबाद को, ₹850 लाख के सूक्ष्म उद्यम नवोन्मेषी फंड (एमवीआईएफ) की स्थापना करने के लिए, कोषीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 200 से अधिक नवोन्मेषन लाभान्वित हुए।
- उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने तथा ज्ञानाधार में बढ़ोतरी करने के लिए, सिडबी द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में सिडबी नवोन्मेषन एवं संपोषण केन्द्र (एसआईआईसी) की स्थापना की गई।

सिडबी नवोन्मेषन एवं संपोषण केन्द्र (एसआईआईसी) ने अब तक अधुनातन प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में 69 नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) इकाइयों का संपोषण किया है, जिनमें से 42 अब स्थापित भी हो चुके हैं।

भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), लखनऊ में संपोषण केन्द्र

भारत का उभरता उपयोगकर्ता आधार-समूह डिजिटल प्रौद्योगिकी को तेजी-से अपना रहा है। भारत सरकार की प्रेरणा से डिजिटल प्रौद्योगिकी का क्षेत्र कई गुना वृद्धि के लिए तैयार है। सिडबी ने निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम (पीएसआईजी) के अंतर्गत, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), लखनऊ को उनके संस्थान में सिडबी वित्तीय समावेशन नवोन्मेषी केन्द्र (एससीआई-एफआई) की स्थापना करने में सहायता प्रदान की है। इस केन्द्र का लक्ष्य अधिकाधिक वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए, नवारंभ (स्टार्ट-अप) इकाइयों, विशेष रूप से जो वित्तीय-प्रौद्योगिकी (फिन-टेक) क्षेत्र में हैं, उन्हें संपोषक परिवेश उपलब्ध कराना है। इस केन्द्र का लक्ष्य उद्यमिता की संभाव्यताओं को उद्घाटित करना तथा नवोन्मेषी विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान-

बैंक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशिष्ट एवं केन्द्रित रूप से ध्यान दे रहा है, जिनमें विशेषत: अल्पवित्त, ग्रामीण औद्योगीकरण, हस्तशिल्प-समूह विकास, उद्यमिता विकास, विपणन सहायता शामिल हैं। इन कार्यक्रमों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

- बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविध संवर्द्धन एवं विकास (पीएंडडी) गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) के साथ समझौता किया है। अब तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ व्यवसाय-सुविधा-केन्द्र (बीएफसी) स्थापित किए गए हैं, ये केन्द्र शिलांग (मेघालय), सिलचर (असम), आईज़ॉल (मिज़ोरम), गंगटोक (सिक्किम), अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड),ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) तथा इंफाल (मणिपुर) में हैं। इन व्यवसाय-सुविधा-केंद्रों (बीएफसी) के अलावा, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) के गुवाहाटी कार्यालय में एक उद्यमिता कक्ष भी स्थापित किया गया है।

बैंक के अल्प उद्यमी संवर्द्धन कार्यक्रम (एमईपीपी) के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 25 जिलों को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से 2,710 इकाइयों का संवर्द्धन किया जा चुका है।

- बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 49 उद्यम-समूह विकास कार्यक्रमों (सीडीपी) को सहायता प्रदान की है, जिनमें अन्य उद्यमों के साथ-साथ, बाँस-चटाई-बुनाई, गलीचा-बुनाई, हस्तशिल्प, हथकरघा-बुनाई, बर्तन-निर्माण, मधुमक्खी-पालन, मछली-खाद्य-उत्पाद शामिल किए गए। इन उद्यम-समूह-विकास कार्यक्रमों की पहल के माध्यम से 31 मार्च, 2017 तक लगभग 7,000 शिल्पकारों को लाभ प्राप्त हुआ है।
- बैंक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 31 मार्च, 2017 तक कुल 173 कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (स्टुप) आयोजित कर चुका है, जिनमें 4,567 प्रतिभागियों ने लाभ प्राप्त किया।

वंचितों को सहायता

सिडबी ने कई सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्यों के लिए भी सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, सिडबी ने ऐसी 25 से अधिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान की, जैसे- दिव्यांगों/पोलियो के मरीज़ों को हस्तचालित पहिया-कुर्सी तथा वैसाखियाँ, वंचित ग्रामीण बच्चों के लिए स्कूल-बसों की खरीद, महिलाओं के लिए उत्पाद-केन्द्र से जुड़ा हुआ व्यावसायिक प्रशिक्षण, अन्यों के लिए चिकित्सा शिविर आदि।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

सिडबी ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जैसे- एसएमई फायनांस फोरम, द मॉन्ट्रियल ग्रुप, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फायनांस क्लब तथा एशिया व पैसेफिक के एसोसिशएशन ऑफ़ डेवलपमेंट फायनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के साथ सहयोग किया, ताकि समरूप-समूहगत आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सके, श्रेष्ठ कार्य-व्यवहारों की पहचान की जाए तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम क्षेत्र की समस्याओं/उत्पादों संबंधी चुनौतियों के नवोन्मेषी वित्तीय हल प्राप्त किए जा सकें।

सिडबी की नीति-पक्षपोषण संबंधी भूमिका

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सिडबी ज्ञान सशक्तीकरण तथा नीतिगत पक्षपोषक भूमिका का भी प्रभावी रूप से निर्वाह कर रहा है। नीतियों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने तथा कार्यक्रमों के निर्धारण तथा कार्यान्वयन करने की दिशा में, सिडबी सतत् रूप से भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा अन्य नियामक तथा विकासात्मक संगठनों के साथ समन्वयन का कार्य कर रहा है। अभी हाल ही में की गई कुछ ज्ञानात्मक पहलकदमियों का विवरण नीचे दिया गया है:

बैंक ने एक कॉफ़ी-टेबल पुस्तक प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है- 'फ्रॉम अ ब्लैंक कैनवास टू अ मास्टरपीस - द जर्नी ऑफ़ माइक्रोफाइनांस'। इसमें सिडबी व उसके साझेदारों ने अल्पवित्त मॉडल की शुरुआत व उसकी वित्तीय समावेशन में भूमिका व उसके कई साझेदारों के एक लघु वित्त बैंक के रूप में उभरने की यात्रा चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित की है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी विभिन्न सूचनाओं को समझने तथा उसके लिए उन्हें स्वयं को तैयार करने हेतु सिडबी ने भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघ (एफआईएसएमई) को पूरे देश में कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता प्रदान की, जिसमें एमएसएमई संबंधी जीएसटी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। एमएसएमई के लिए जीएसटी पर एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को जीएसटी की आधारभूत बातों, महत्वपूर्ण शब्दावली, अवधारणाओं को समझने में मदद करना है तथा इससे आने वाले समय में उनके व्यवसाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को स्पष्ट करना है। जीएसटी के संबंध में एमएसएमई क्षेत्र की विभिन्न जिज्ञासाओं तथा प्रश्नों का समाधान करने हेतु एक जीएसटी सहायता नंबर- 1800-11-3535 भी प्रारंभ किया गया है।

सिडबी ने ऊर्जा दक्षता वित्तीयन के क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों को दर्शाने के लिए एक प्रकरण-अध्ययन पुस्तिका तैयार की है, जिससे अन्य वित्तीय संस्थानों का इस क्षेत्र में विश्वास बढ़ेगा तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का भी संवर्द्धन होगा।

उर्जा दक्षता परियोजनाओं का प्रकरण-अध्ययन

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

सिडबी के चुनिंदा प्रकाशन

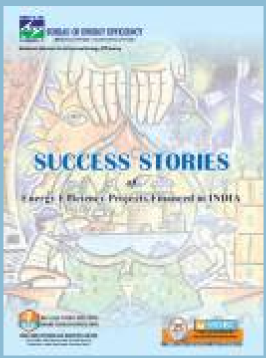

भारत में वित्तपोषित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं की सफलता की कहानियाँ

अल्प-वित्त क्षेत्र में व्यक्तियों को ऋण-प्रदायगी के मॉडलों का कार्यनिष्पादन

जिम्मेदाराना ऋण-प्रदायगी के लिए नकदी-प्रवाह अनुमान

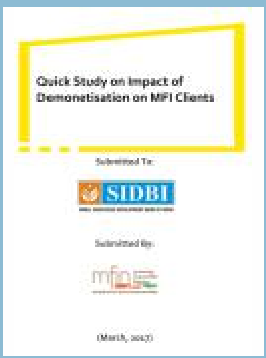

एमएफआई-ग्राहकों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का त्वरित अध्ययन

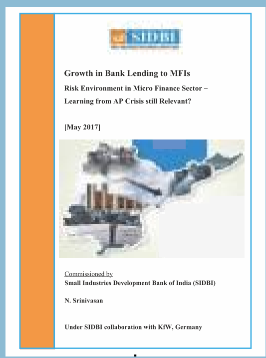

एमएफआई को बैंक-उधार में वृद्धि; अल्प वित्त क्षेत्र का जोखिम-वातावरण- आंध्र प्रदेश संकट का सबक अब भी प्रासंगिक

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र- वित्तपोषण एवं विकास की सर्वोत्तम वैश्विक बैंकिंग पद्धतियाँ

वर्तमान/नये चुनिंदा क्षेत्रों में सिडबी द्वारा एमएसएमई के वित्तपोषण की संभावना का अध्ययन

एमएसएमई क्षेत्र में कौशल विकास

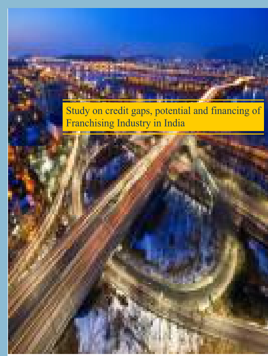

भारत में फ्रेन्चाइजिंग उद्योग के ऋण-अंतरालों, संभावनाओं और वित्तपोषण का अध्ययन

भारत एमएसएमई-2020 के लिए प्रौद्योगिकी-दृष्टिकोण का अध्ययन

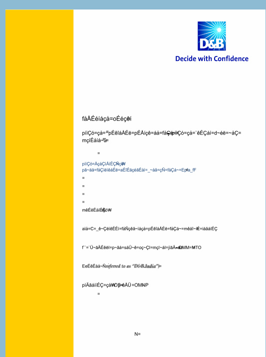

भारत के सेवा क्षेत्र में ऋण-अंतरालों और संभावनाओं का अध्ययन

भारत में एमएसएमई को रिटेल शृंखलाओं से कैसे जोड़ा जाए?

संस्था-निर्माण में सिडबी की भूमिका

सहायक संस्थाएँ

सिडबी उद्यम पूँजी निधि लिमिटेड (एसवीसीएल)

सिडबी उद्यम पूँजी निधि लिमिटेड (एसवीसीएल) की स्थापना, वर्ष 1999 में निधियों का प्रबंधन करने के लिए एक निवेशक-प्रबंधन-कंपनी के रूप में की गई थी। यह कंपनी, भारत में एक अग्रणी संस्थागत निवेश प्रबंधन कंपनी के रूप में उभर कर आई है, जो विविध क्षेत्रों के ज्ञान-आधारित विकासोन्मुख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को संवृद्धि-पूँजी उपलब्ध कराती है। (बॉक्स 3.2)

बॉक्स 3.2 एसवीसीएल परिचालन

वर्तमान में सिडबी उद्यम पूँजी निधि लिमिटेड (एसवीसीएल) नीचे दी गई सात निधियों के निवेश-प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही है-

- सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौदयोगिकी उद्योग हेतु राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी) की स्थापना, सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गैर-सूचीबद्ध लघु व मध्यम उद्यमों को ईक्विटी तथा ईक्विटी-संबद्ध-लिखतों के माध्यम से उद्यम पूँजी उपलब्ध कराने के लिए, ₹100 करोड़ की एक प्रतिबद्ध समूह-निधि के साथ की गई।
- एसएमई ग्रोथ फंड (एसएमई एसजीएफ) की स्थापना ₹500 करोड़ की प्रतिबद्ध समूह-निधि के साथ, सभी विविध क्षेत्रों में कार्यरत, प्राथमिक रूप से गैर-सूचीबद्ध लघु एवं मध्यम उद्यमों को, ईक्विटी तथा ईक्विटी-संबद्ध-लिखतों के माध्यम से संवृद्धि पूँजी सहायता प्रदान करने के लिए की गई।
- इंडिया अपॉर्च्युनिटी फंड (आईओएफ) की स्थापना ₹421.30 करोड़ की आहरणीय समूह निधि के साथ कि गई, जिसका उद्देश्य, विभिन्न उभरते क्षेत्रों, जैसे-शैक्षणिक सेवाओं, आईटी/आईटीईएस, हल्की इंजीनियरिंग, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, कृषि-आधारित उद्योगों आदि में कार्य कर रहे, गैर-सूचीबद्ध सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की संवृद्धि पूँजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
- समृद्धि निधि (एसएफ) की स्थापना, ₹440 करोड़ की प्रतिबद्ध समूह-निधि के साथ एक सामाजिक उद्यम निधि के रूप में की गई, जो भारत के निम्न आय वाले राज्यों की विकास संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए, निजी क्षेत्र के साथ मिल कर बाज़ार-आधारित समाधान प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है।
- टैक्सटाइल निधि (टीएफ) की स्थापना ₹40.83 करोड़ की निधि से की गई है जो वस्त्रोद्योग क्षेत्र, विशेषकर विद्युतकरघा (पावरलूम) क्षेत्र के लघु उद्यमों में निवेश करता है।
- पश्चिम बंगाल एमएसएमई वेंचर कैपिटल / उद्यम निधि (प. बं. निधि) ₹200 करोड़ के लक्ष्य की समूहनिधि के साथ, पश्चिम बंगाल राज्य के नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप), नए उभरते या आरंभिक संवृद्धि चरण के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश करता है।
- महाराष्ट्र राज्य सामाजिक उद्यम निधि (एमएस फंड) ₹200 करोड़ के लक्ष्य की समूहनिधि के साथ, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित, नवोन्मेषी व्यावसायिक मॉडलों अथवा नवीन उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों सहित, उन लाभप्रद तथा मापनयोग्य व्यावसायिक उद्यमों की पहचान तथा उनमें निवेश करती है, जिनमें महाराष्ट्र के लोगों हेतु सामाजिक लाभ (आर्थिक तथा/अथवा सामाजिक तथा/अथवा पर्यावरणिक) प्रदान कर सकने की क्षमता हो।

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) की स्थापना वर्ष 1999 में ट्रस्टीशिप संबंधी कार्यों को करने तथा उद्यम पूँजी (वेंचर कैपिटल) निधियों के लिए की गई थी। यह सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों हेतु राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी), एसएमई संवृद्धि निधि (एसजीएफ), इंडिया अपॉर्च्युनिटी फंड (आईओएफ), समृद्धि निधि (एसएफ), टैक्सटाइल फंड (टीएफ), पश्चिम बंगाल एमएसएमई उद्यम पूँजी निधि (डब्ल्यू बी फंड) तथा महाराष्ट्र राज्य सामाजिक उद्यम निधि (एमएस फंड) के न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में कार्य करती है।

माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) की स्थापना सिडबी की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था के रूप में, देश में 'वंचित सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तपोषण करने वाली संस्था' के रूप में 08 अप्रैल 2015 को हुई। मुद्रा उन बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई), गैर-बैंकिंग वित्त निगमों (एनबीएफसी) तथा अन्य ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है, जो विनिर्माण, व्यापार, सेवा गतिविधियों तथा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत कृषि से संबद्ध क्रियाकलाप करने वाली सूक्ष्म / लघु कारोबारी इकाइयों को ऋण देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार, मुद्रा अंतिम छोर पर स्थित वित्तीय संस्थाओं को, उनकी पहुँच बढ़ाने हेतु, पुनर्वित्त एवं अन्य विकासात्मक सहयोग प्रदान करता है। इसके साथ ही, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) तथा अल्प–वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को भी, उनकी ऋण-आस्तियों का प्रतिभूतीकरण करते हुए, उन्हें भी निधि सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने परिचालनों के लिए पूँजी बाज़ार से ऋण निधि प्राप्त करने में मदद मिलती है।

बॉक्स 3.3: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

- माननीय प्रधान मंत्री ने 08 अप्रैल 2015 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का उद्घाटन किया, जिससे सभी बैंक ₹10 लाख, तक की आय-अर्जक गतिविधियों वाले लघु व्यवसाय उद्यमों का वित्तपोषण करेंगे, भले ही वे मुद्रा से ऋण प्राप्त करें अथवा नहीं। मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में उपलब्ध है। शिशु श्रेणी के अंतर्गत लघु व्यवसाय के लिए ₹50,000/- तक के ऋण उपलब्ध होंगे, किशोर श्रेणी के अंतर्गत ₹50,000/- से अधिक तथा ₹5 लाख तक के ऋण उपलब्ध होंगे, तथा तरुण श्रेणी के अंतर्गत ₹5 लाख से अधिक तथा ₹10 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाएँगे। पीएमएमवाई ऋण सभी बैंकों, जैसे- सार्वजनिक क्षेत्र के (पीएसयू) बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाएँगे।
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित लक्ष्य ₹1,80,000/- करोड़ के अनुरूप, कुल 3,97,01,047 खातों के लिए ₹1,80,528.54/- करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई। मुद्रा द्वारा संबंधित संस्थाओं को ₹3525/- करोड़ की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ₹2,44,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सहयोगी संगठन

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना, भारत सरकार एवं सिडबी ने वर्ष 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के परिचालन हेतु की थी तथा सिडबी सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना / क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) परिचालित कर रहा है। इस योजना में, वर्तमान में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के संपार्श्विक प्रतिभूति रहित / तृतीय पक्ष गारंटी रहित ₹200 लाख तक के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋणों को संपार्श्विक प्रतिभूति / तृतीय पक्ष की गारंटी उपलब्ध कराई जा रही है। सीजीटीएमएसई के परिचालन निष्पादन बॉक्स 3.4 में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, ट्रस्ट ने कुल ₹1,023 करोड़ राशि के 39,751 दावों का निपटान किया। संचयी रूप से, 31 मार्च 2017 तक ट्रस्ट ने समग्रत: ₹3,512 करोड़ रुपये के कुल 1,38,023 दावों का निपटान किया है। ट्रस्ट के विगत 16 वर्षों के अनुभवों तथा सीजीटीमएसई के संविभाग में से प्रत्येक सदस्य ऋणदात्री संस्था की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) तथा दावा-भुगतान अनुपात के आधार पर, ट्रस्ट ने गारंटी फीस की विभेदक दर की शुरुआत की है।

बॉक्स 3.4: ऋण गारंटी योजना का परिचालनगत प्रभाव

सीजीटीएमएसई ने वर्ष 2000 से अब तक ₹1.29 लाख करोड़ के संपार्श्विक प्रतिभूति रहित एमएसई ऋणों को गारंटी प्रदान करके 27.7 लाख एमएसई ऋण खातों के सृजन में सहायता प्रदान की। ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2017 के कवरेज के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इन खातों के लगभग एक-तिहाई खाते असेवित तथा अल्प-सेवित एमएसई खाते हैं, जैसे- ₹20,174 करोड़ (15.66%) के 5,75,271 (20,75%) प्रस्ताव महिला उद्यमियों से, ₹3,060 करोड़ (2.38%) के 1,31,641 (4.74%) प्रस्ताव अनुसूचित जाति के, कुल ₹1,913 करोड़ (1.49%) के 59,039 (2.13%) प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति के तथा ₹5,547 करोड़ (4.31%) के 1,73,111 (6.24%) प्रस्ताव अल्पसंख्यक वर्ग के थे।

रिसिवेबल एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)

रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) की स्थापना 25 फरवरी, 2016 को, भुगतान तथा निपटान प्रणाली (पीसएस) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से, टीआरईडीएस एक्सचेंज का परिचालन करने के लिए की गई। इसका उद्देश्य एमएसएमई द्वारा प्राप्य-राशियों का तीव्र गति से समाशोधन संभव करना था। आरएक्सआईएल, सिडबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की अनुषंगी इकाई-एनएसई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसीएल) का संयुक्त उपक्रम है। इसमें जहाँ एक ओर सिडबी पिछले दो दशकों के एमएसएमई वित्तीयन तथा फैक्टरिंग परिचालनों के अपने अनुभवों के साथ आगे आया, वहीं दूसरी ओर, एनएसई टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक चलाने संबंधी अपनी एक्सचेंज परिचालन की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ कार्य कर रहा है। इसमें प्रवर्तक के रूप में सिडबी तथा एनएससीआईएल दोनों की 30% हिस्सेदारी है तथा बाकी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स तथा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के पास है। आरएक्सआईएल, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी टीआरईडीएस दिशानिर्देशों के अनुसार, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) का परिचालन करता है। आरएक्सआईएल पहली संस्था थी, जिसे 01 दिसंबर, 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने टीआरईडीएस एक्सचेंज प्रारंभ करने का अनुमोदन दिया। तदनुसार, आरएक्सआईएल ने 09 जनवरी, 2017 को भारत का प्रथम टीआरईडीएस एक्सचेंज प्रारंभ किया। इसने एमएसएमई के ट्रेड रिसीवेबल्स के वित्तपोषण का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है तथा साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेशानुसार, एनपीसीआई, एनएसीएच डेबिट तथा क्रेडिट निपटान सिस्टम के माध्यम से वित्तपोषण और चुकौती संबंधी दोनों कार्य निपटा रहा है।

स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड

स्मेरा की स्थापना 2005 में हुई। अपनी स्थापना के समय से 31 मार्च, 2017 तक स्मेरा ने संचयी रूप से, विभिन्न श्रेणियों, उद्योगों तथा राज्यों में 40,764 एमएसएमई इकाइयों को रेटिंग प्रदान की है। स्मेरा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर विशेष ध्यान देता रहा है, जो इसकी कुल रेटिंग का क्रमश: 77% और 21% है।

स्मेरा को बासेल-।। मानदंडों के अंतर्गत बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था/ एक्सटरनल क्रेडिट एसेसमेंट इंस्टीट्यूशन (ईसीएआई) के रूप में वर्ष 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक से मान्यता मिली। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्मेरा ने 1,404 बैंक ऋणों की रेटिंग की है।

बॉक्स 3.5 : स्मेरा की मुख्य विशेषताएँ

- स्मेरा ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से 03 मई 2016 को ऋण रेटिंग एजेंसी के रूप में स्थाई पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया। स्थाई पंजीकरण प्राप्त करने वाली, स्मेरा भारत की ऐसी छठी एजेंसी बन गई है यह स्मेरा के इतिहास की एक प्रमुख उपलब्धि है।
- स्मेरा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, उधारकर्ताओं और बैंकरों, दोनों के लिए विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए बनाई गई, निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग (पीसीआर) योजना (जो एनएसआईसी के माध्यम से कार्यान्वित होती है), के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का मूल्यांकन करने हेतु बनाई गई समिति का एक भाग था। मंत्रालय ने उक्त समिति के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है तथा मई 2016 से योजना के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- स्मेरा ने एसएमई रेटिंग्स एंड ग्रेडिंग डिवीज़न द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किए जाने वाले मूल्यवान प्रमाणपत्रों को उच्च सुरक्षा देने के लिए एक सार्थक कदम उठाया है। इस प्रकार, प्रत्येक प्रमाणपत्र तथा साथ ही, रिपोर्ट का अब एक क्यू आर कोड (एक सुरक्षा विशेषता) रहेगा, ताकि प्रमाणपत्र की वास्तविकता तथा वैधता को सत्यापित किया जा सके – यह उद्योग में इस प्रकार का प्रथम प्रयास है।

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल)

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) की स्थापना वर्ष 2005 में हुई, जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए, योग्य और अनुभवी कार्मिकों की अपनी टीम की मदद से प्रौद्योगिकी सलाह व परामर्श-सेवाएँ प्रदान करता है। इनमें ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा, एमएसएमई उद्योग-समूह विकास तथा मूल्यांकन अध्ययन, क्षमता-निर्माण, जागरूकता निर्माण, कौशल विकास आदि शामिल हैं। आईएसटीएसएल, सेमिनार/ सम्मेलन आयोजित करने तथा विपणन सहायता प्रदान करने के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी विषयक विकल्प, मैच-मेकिंग, वित्तीय-समूहन, व्यावसायिक-सहयोग संबंधी जानकारियाँ देने पर भी ध्यान देता है। आईएसटीएसएल ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), बिजली मंत्रालय, भारत सरकार में श्रेणी-2 ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) के रूप में सूचीबद्ध है।

इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क)

इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क) का निगमन 11 अप्रैल, 2008 को हुआ और इसने 15 अप्रैल, 2009 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का अभिग्रहण करना तथा उसके माध्यम से संभावित सक्षम इकाइयों का निपटान करने में भूमिका निभाना था ताकि आस्तियों का अधिकतम उत्पादक उपयोग किया जा सके। आईसार्क के शेयरधारक आधार में, मुख्य प्रायोजक के रूप में सिडबी और सिडबी उद्यम पूँजी लिमिटेड (एसवीसीएल) हैं तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा इसके सह-प्रायोजक हैं। अन्य शेयरधारकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएँ तथा अन्य कंपनियाँ शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आईसार्क ने 32 बैंकों की आस्ति-अभिग्रहण हेतु 52 रुचि-अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत कीं, जिनमें से 42 खातों की सम्यक् जाँच का कार्य किया गया। आईसार्क ने सात खातों के लिए बोलियाँ प्रस्तुत कीं, जिनमें से, आईसार्क ने एक खाते का अधिग्रहण सिंडिकेट बैंक से ₹9.15 करोड़ में किया। इसमें से, आईसार्क ने ₹1.37 करोड़ का निवेश किया तथा शेष ₹7.78 करोड़ का निवेश दूसरे निवेशक ने किया। वर्ष के दौरान, आईसार्क ने पिछले वर्ष के ₹45.54 करोड़ की तुलना में ₹26.52 करोड़ की वसूली की। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹13.32 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का नकदीकरण कराया गया (यह विगत वर्ष ₹14.67 करोड़ था)। आईसार्क के पास दिनांक 31 मार्च, 2017 तक ₹376.69 करोड़ की प्रबंधन-अधीन आस्तियाँ (एयूएम) हैं।

अध्याय - 4

प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन

उत्तम नैगम अभिशासन और क्रियान्वयन के साथ नैगम सामाजिक दायित्व सिडबी के परिचालनों के महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। सिडबी की उत्तम नैगम अभिशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं:

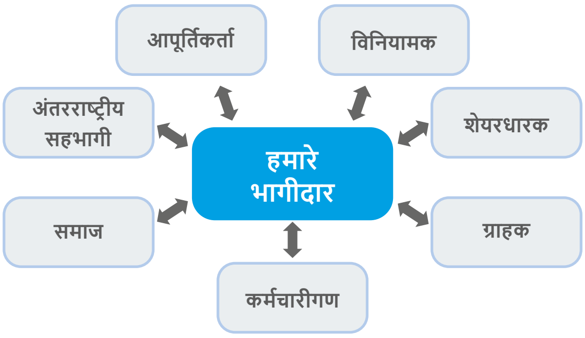

शेयरधारिता प्रतिमान

सिडबी के शेयर भारत सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली तैंतीस अन्य संस्थाओं / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / बीमा कंपनियों द्वारा धारित हैं। यथा 31 मार्च, 2017 प्रमुख शेयरधारकों के शेयर की स्थिति निम्नवत् है:

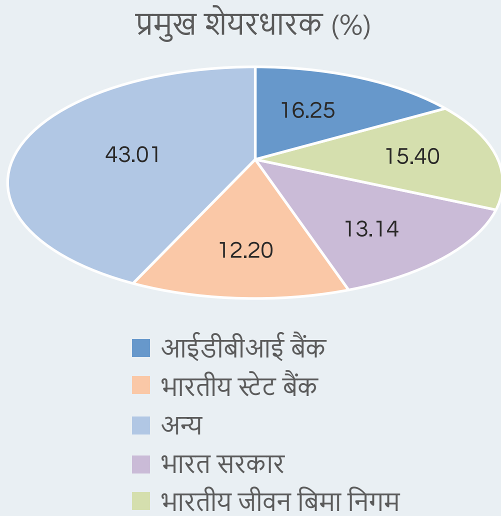

1. निदेशक मंडल

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में 15 सदस्यीय निदेशक मंडल का प्रावधान है। इनमें से आठ निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किए जाते हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी अधिकारी और बैंक के लिए उपयोगी मामलों का विशेष ज्ञान अथवा व्यावसायिक अनुभव रखने वाले तीन विशेषज्ञ (जिनमें एक राज्य वित्त निगम से होता है) शामिल हैं। शेष सात में से तीन निदेशक, तीन सबसे बड़ी शेयरधारक संस्थाओं, केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले बैंकों, बीमा कंपनियों व संस्थाओं तथा आईडीबीआई द्वारा नामित होते हैं, जबकि चार निदेशक या तो आम शेयरधारकों द्वारा चुने हुए अथवा विकल्पतः चुने गए निदेशकों के प्रभार ग्रहण करने तक निदेशक मंडल द्वारा सहयोजित किए जा सकते हैं। वर्तमान में निदेशक मंडल ने दो निदेशकों को सहयोजित किया है। यथा 28 अगस्त, 2017, निदेशक मण्डल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) व दो पूर्णकालिक निदेशकों सहित, 10 निदेशक शामिल हैं।

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी ने एशियाई विकास बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यभार से 6 दिसंबर, 2016 को कार्यमुक्त हुए।

सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना, दिनांक 4 अगस्त, 2017 के माध्यम से, श्री मोहम्मद मुस्तफा, आईएएस को सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया। श्री मोहम्मद मुस्तफा ने 28 अगस्त, 2017 को सिडबी के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

आईडीबीआई बैंक ने अपने 28 जुलाई, 2016 के पत्र के माध्यम से अपने कार्यपालक निदेशक श्री जी ए तडस को सिडबी के निदेशक मंडल में 01 अगस्त, 2016 से श्री एस के वी श्रीनिवासन के स्थान पर निदेशक के रूप में नामित किया।

सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(च) के अनुसार निदेशक-मंडल द्वारा निदेशक के रूप में सहयोजित किए गए श्री आर. रामचंद्रन ने निदेशक-मंडल की 16 अगस्त 2017 की बैठक की कार्यवाही की समाप्ति पर अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसे निदेशक-मंडल ने स्वीकार किया।

वर्ष के दौरान सिडबी के निदेशक-मंडल से अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशकों के मूल्यवान योगदान के लिए निदेशक-मंडल उनकी भूरिशः प्रशंसा करता है।

2. निदेशक मंडल की समितियाँ

विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने 10 समितियाँ गठित की हैं, जो इस प्रकार हैं- कार्यपालक समिति (ईसी), लेखापरीक्षा समिति (एसी), जोखिम प्रबंध समिति (आरआईएमसी), बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति (एससीएमएलवीएफ), सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी), ग्राहक सेवा समित (सीएससी), मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी), वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी), इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएंडएनसीबी) और पारिश्रमिक समिति (बॉक्स 4.1).

समितियों की बैठकों में लिए गए निर्णय / की गई संस्तुतियाँ उनके कार्यवृत्त में शामिल रहते हैं, जो निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती हैं। बैंक ने मैसर्स आर. एम. लाल एंड कंपनी को परामर्शदाता नियुक्त किया है, जो विभिन्न समितियों के संबंध में निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण में सुधार लाने और समितियों की निगरानी और कार्यनिष्पादन की समीक्षा के संबंध में अपने सुझाव देंगे।

बॉक्स 4.1: निदेशक मंडल की समितियाँ

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें आयोजित हुईं।
- कार्यपालक समिति इन मदों पर विचार करती है- (i)ऋण / अनुदान प्रस्तावों की मंजूरी, (ii)ऋण समझौते / ऋणों के निपटान / बट्टे खाते संबंधी प्रस्ताव, (iii)पूँजी तथा राजस्व व्यय अनुमोदनों के प्रस्ताव, (iv)परिसरों के अर्जन तथा किराए पर लेने संबंधी प्रस्ताव, (v)वाद / अपीलों को दायर करने, उनका बचाव करने संबंधी प्रस्ताव तथा निदेशक मंडल की समिति को संदर्भित अथवा सौंपे गए अन्य मामले। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की दस बैठकें आयोजित हुईं।
- लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा वर्टिकल के कामकाज के पर्यवेक्षण तथा उसकी प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा के साथ-साथ बैंक के लेखे को अंतिम रूप देने तथा भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों संबंधी मामलों में मार्गदर्शन भी देती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की छह बैठकें आयोजित हुईं।
- जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की पांच बैठकें आयोजित हुईं।
- एक करोड़ और उससे अधिक राशि वाली धोखाधड़ी की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एससीएमएलवीएफ गठित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की पांच बैठकें आयोजित हुईं।
- आईटीएससी बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के लक्ष्य, नीति और रणनीति के बारे में निर्देश देती है, ताकि इसके व्यावसायिक उद्देश्यों में अनुरूपता बनी रहे। साथ ही, यह समिति बैंक को दीर्घकालिक सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार करने में भी मार्गदर्शन देती है और सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन व प्रबंधन का निरीक्षण करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं।
- नैगम अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ करने और बैंक द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाते रहने के उद्देश्य से आंतरिक रूप से नीतियां बनाने और उनके अनुपालन का मूल्यांकन करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए निदेशक मंडल ने सीएससी गठित की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की तीन बैठकें आयोजित हुईं।
- मानव संसाधन के मामले में निदेशक मंडल को मार्गदर्शन तथा सुझाव/संस्तुतियां देने के उद्देश्य से एचआरएससी गठित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की दो बैठकें आयोजित हुईं।
- साथ ही, ₹3 करोड़ और उससे अधिक मूलधन बकाया वाले सभी एनपीए मामलों की समीक्षा के लिए आरआरसी का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं।
- इरादतन चूककर्ताओं तथा असहयोगी उधारकर्ताओं को चिह्नित करने के लिए समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने और इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधारकर्ताओं के मामलों को चिह्नित करने के लिए आरसीडब्ल्यूडी एंड एनसीबी का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की एक बैठक आयोजित हुई।
- भारत सरकार ने बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के निदेशानुसार निदेशक मंडल की "पारिश्रमिक समिति" गठित की गई है।

आंतरिक समितियां

आस्ति देयता प्रबंधन समिति

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के अनुसार आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आलको) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं, जबकि उप प्रबंध निदेशक और बैंक के अन्य वरिष्ठ कार्यपालक इसके सदस्य होते हैं, जिनमें जोखिम प्रबंधन, ऋण, संसाधन एवं कोषागार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, नैगम लेखा एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वर्टिकलों के प्रमुख तथा व्यवसाय प्रमुख I और व्यवसाय प्रमुख II शामिल हैं। आलको, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम की समीक्षा व निगरानी करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, इस समिति की नौ बैठकें संपन्न हुईं।

निवेश समिति

बैंक की निवेश समिति, बैंक की निवेश नीति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के दायरे में रहते हुए बैंक के निवेश संविभाग के संबंध में रणनीतियां बनाती है और निवेश के विकल्पों की सिफारिश करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश समिति की छह बैठकें आयोजित हुईं।

उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी)

उद्यम जोखिम प्रबंध समिति (ईआरएमसी), बैंक में जोखिम प्रबंध ढांचे के विकास, समग्र क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। ईआरएमसी बैंक के लिए ऋण एवं परिचालन जोखिम प्रबंध नीतियां एवं रणनीतियां बनाने और उनके लिए संस्तुतियां देने तथा आस्ति बही के जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षण में ईआरएमसी बैंक के संविभाग में समग्र जोखिम संरचना का मूल्यांकन करती है और उसका प्रबंधन करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, इस समिति की एक बैठक संपन्न हुई।

जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति (आरआईएससी)

जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति (आरआईएससी) कार्यपालकों की अन्योन्याश्रित कार्यों वाली समिति है, जो सूचना सुरक्षा (आईएस) पर मार्गदर्शन देती है तथा सूचना सुरक्षा व सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न जोखिमों के समाधान का प्रयास करती है। आरआईएससी सुरक्षा कार्यक्रम की संगठनात्मक उद्देश्यों से अनुरूपता सुनिश्चित करती है। यह आवधिक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा घटनाओं के प्रभाव व स्थिति की समीक्षा करती है तथा इसके उपचारों व अनुपालन पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। उत्तम सुरक्षा पद्धतियों तथा नीतियों के अनुपालन को बढ़ावा देने वाली संस्कृति की दिशा में संगठनात्मक बदलाव लाने में भी समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की तीन बैठकें संपन्न हुईं।

व्यवसाय सातत्य प्रबंधन संचालन समिति (बीसीएम)

व्यवसाय सातत्य प्रबंधन (बीसीएम) संचालन समिति व्यवसाय सातत्य प्रबंधन ढाँचे/गतिविधियों हेतु उत्तरदायी है। यह समिति व्यवसाय सातत्य प्रबंधन नीति के प्रति प्रतिबद्धता स्थापित व प्रदर्शित करती है तथा यह तय करती है कि बैंक चिह्नित जोखिमों का प्रबंधन व नियंत्रण किस प्रकार करेगा। समिति व्यवसाय सातत्य, वसूली, आकस्मिकता योजनाओं की पर्याप्तता तथा परीक्षण के परिणामों की समीक्षा करती है। प्रबंधन समीक्षा के एक भाग के रूप में, यह समिति व्यवसाय सातत्य प्रबंधन की समग्र स्थिति में सतत सुधार हेतु मार्गदर्शन करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की दो बैठकें संपन्न हुईं।

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान), अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने चेन्नै, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में आंतरिक शिकायत समितियां गठित की हैं, ताकि यौन उत्पीड़न की शिकायतों तथा उससे संबंधित अथवा उसके संबंध में प्रासंगिक मामलों का निदान हो सके। वर्ष के दौरान समिति को यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली।

3. जोखिम प्रबंधन

सिडबी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, जो इसके व्यवसाय तथा अन्य परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रति संवेदनशील तथा अनुक्रियाशील है। बैंक के जोखिम प्रबंधन संबंधी तंत्र में नीतियां, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली तथा पद्धतियां हैं, ताकि विभिन्न जोखिमों का निर्धारण, मूल्यांकन/आकलन, शमन और निगरानी हो सके। बैंक ने उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति बनाई है, जिसकी समीक्षा वार्षिक रूप से की जाती है। ईआरएम नीति एक सर्वव्यापी दस्तावेज है, जिसमें बैंक द्वारा जोखिम प्रबंधन से संबंधित सामान्य / साधारण आयामों का समावेश है। यह सहायक नीतिगत दस्तावेजों, जैसे ऋण नीति, ऋण वसूली नीति, निवेश नीति, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) नीति, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि से संबद्ध है। विभिन्न नीतियों के अंतर्गत शामिल ऋण, विपणन एवं परिचालनगत जोखिमों के अतिरिक्त अन्य जोखिमों, जैसे बैंक की बैंकिंग खाता बहियों में अवशेष ऋण, ऋण संकेंद्रण, ब्याज दर जोखिम, विधिक, प्रतिष्ठा आदि संबंधी जोखिमों का समाधान आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति में किया गया है।

बैंक के ऋण एवं राजकोषीय परिचालनों से संबंधित जोखिमों की लगातार निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रबंधन, निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति के समग्र पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में किया जाता है। स्वत:स्फूर्त उपाय के तौर पर बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) स्थापित की है, जिसमें ऋण जोखिम प्रबंधन (सीआरएम), बाजार जोखिम प्रबंधन, ओआरएम तथा आईसीएएपी जैसी नीतियाँ और प्रणालियाँ शामिल हैं । बैंक ने व्यापक जोखिम परिचालन जोखिम मूल्यांकन (सीओआरई) प्रणाली कार्यान्वित की है, जिसे खोए हुए डेटा को वापस पाने, मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। बैंक ने व्यवसाय सातत्य प्रबंधन ढांचा भी कार्यान्वित किया है, जिसे आपदा के दौरान महत्वपूर्ण व्यवसाय परिचालनों में सातत्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। इरादा यह है कि बैंक व्यवसाय सातत्य की एक ऐसी रणनीति व ढांचा तैयार करे, जो सशक्त होने के साथ-साथ आघात सहने में भी सक्षम हो, ताकि महत्वपूर्ण परिचालनों में रुकावट को स्वीकार्य न्यूनतम स्तर पर रोका जा सके।

4. भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) का क्रियान्वयन

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों में संकेंद्रित बैंकों व वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय लेखांकन मानकों के क्रियान्वयन हेतु जनवरी 2016 में एक दिशानिर्देश जारी किया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, सिडबी ने अपनी अनुषंगी संस्थाओं सहित बैंक में इंड-एएस के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ की। तदनुसार, बैंक ने इंड-एएस के क्रियान्वयन में सहायता करने हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया। बैंक के अधिकारियों को इंड-एएस संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। आरबीआई परिपत्र में विहित आवश्यकता के अनुसार, बैंक ने 30 सितंबर, 2016 को समाप्त छमाही के लिए इंड-एएस वित्तीय विवरणियां भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कीं।

5. जीएसटी का क्रियान्वयन

महामहिम राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को माल और सेवा कर (जीएसटी) को मंजूरी दी और भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया है। सिडबी ने उन 30 राज्यों तथा 2 केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए राज्य-वार जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर लिया है, जहाँ सिडबी के कार्यालय स्थित हैं। मौजूदा सूचना-प्रौद्योगिकी प्रणालियों को जीएसटी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें आवश्यक संशोधन कर लिए गए हैं। भारत भर में स्थित इसके सभी शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रधान कार्यालय वर्टिकलों के लिए जीएसटी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जीएसटी संबंधी कार्य संभालने वाले अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है।

एमएसएमई पर जीएसटी के प्रभाव का आकलन करने और उसे सरलतापूर्वक अपनाने में मदद करने के उद्देश्य से सिडबी ने गोल मेज सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित की।

6. एनपीए प्रबंधन

बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता में समग्र रूप से सुधार लाने की दृष्टि से एनपीए प्रबंधन की रणनीति यह है कि अनर्जक आस्तियों के वर्तमान स्तर में कमी लाए जाए, आगे अनर्जक बनने से रोका जाए और वसूली के उपयुक्त साधनों के ज़रिए अधिकतम वसूली की जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई के पुनरुज्जीवन तथा पुनर्वास के लिए एक व्यवस्था की गयी है, ताकि दबाव को शीघ्र चिह्नित किया जाए और उसके समाधान के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की सुनिश्चित हो सके।

₹3 करोड़ और उससे अधिक के मूलधन बकाया वाले सभी एकल अनर्जक आस्ति प्रस्तावों की समीक्षा के लिए भारत सरकार के निदेशानुसार एक बोर्ड-स्तरीय 'वसूली समीक्षा समिति' गठित की गई है। साथ ही, उन सभी अनर्जक आस्ति प्रस्तावों और दबावग्रस्त आस्तियों की समीक्षा के लिए फास्ट ट्रैक समिति (एफटीसी) गठित की गयी है, जिनमें ₹1 करोड़ और अधिक का मूलधन बकाया है। परिचालन कार्यालयों में अनर्जक आस्ति खातों और चिन्ताजनक खातों की निगरानी के लिए एफटीसी के नियमित विचार-विमर्श की व्यवस्था प्रभावी निगरानी का साधन बन गयी है।

मानक आस्तियाँ एवं निवल अनर्जक आस्तियाँ

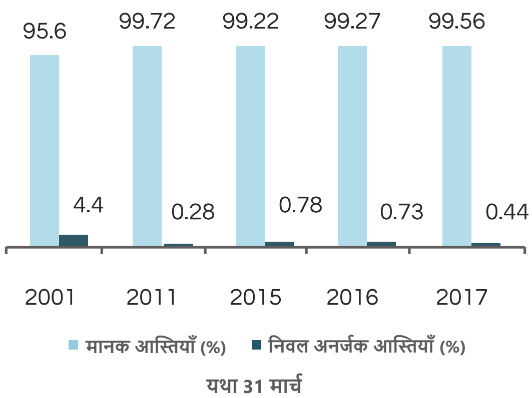

मार्च 2017 के अंत में बैंक की सकल अनर्जक आस्तियाँ ₹823 करोड़ थीं, जो इसके सकल ऋण बकाया का 1.20% है। निवल अनर्जक आस्तियाँ ₹302 करोड़ थीं, जो निवल ऋण बकाया का केवल 0.44% है।

7. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रबंधन

बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा नैगम अभिशासन को सुदृढ़ करने और प्रबन्धन के उद्देश्यों के अनुपालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जा सके और जोखिम प्रबंधन में सुधार लाया जा सके। लेखा-परीक्षा-वर्टिकल नियमित रूप से शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के चुनिंदा वर्टिकलों की परिचालन लेखा-परीक्षा (ओए), प्रधान कार्यालय वर्टिकलों की प्रबंध लेखा-परीक्षा (एमए), राजकोष एवं निधि प्रबंधन वर्टिकल (टीएफएमवी) की ऋण-शोधन गतिविधियों की संव्यवहार लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा-परीक्षा आदि संपन्न करता रहा है। साथ ही, लेखा-परीक्षा वर्टिकल टीएफएमवी की मासिक समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करता है। अप्रत्यक्ष वित्त वर्टिकल की संव्यवहार लेखा-परीक्षा बाहरी लेखा-परीक्षक फर्मों द्वारा की जा रही है। टीएफएमवी की समवर्ती लेखा-परीक्षा में टीएफएमवी के राजकोषीय परिचालन यानी मुद्रा बाजार परिचालन तथा डीलिंग रूम परिचालन शामिल रहते हैं। प्रत्यक्ष ऋण योजना के जिन खातों में ₹3 करोड़ से अधिक एक्सपोज़र होता है उनमें और ₹3 करोड़ से कम बकाया वाले प्रस्तावों में बैंक नमूना आधार पर 10% प्रस्तावों की ऋण लेखा-परीक्षा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संपन्न करता है।

बैंक ने 39 शाखा कार्यालयों में बाहरी सीए फर्मों के माध्यम से समवर्ती लेखा-परीक्षा की व्यवस्था आरंभ की है, जिसमें बैंक के 92% से अधिक प्रत्यक्ष ऋण परिचालन आ जाते हैं।

8. मानव संसाधनों की संख्या

बैंक के मानव संसाधन की संख्या उसकी परिचालन संबंधी वर्तमान आवश्यकताओं तथा भविष्य में उसके स्तरोन्नयन की सूचक है। मौजूदा स्टाफ की स्थिति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से बैंक ने सामान्य और विशेषज्ञ धारा में 153 अधिकारी भर्ती किए। ऐसी सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अजा/अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

यथा 31 मार्च 2017, बैंक में 1173 सक्रिय पूर्णकालिक स्टाफ-सदस्य कार्यरत थे, जिसमें 1023 अधिकारी, श्रेणी III के 97 तथा 53 अधीनस्थ स्टाफ-सदस्य थे। कुल स्टाफ में 205 अनुसूचित जातियों, 82 अनुसूचित जनजातियों तथा 217 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे। स्टाफ में आठ सदस्य भूतपूर्व सैनिक, 29 व्यक्ति विकलांग श्रेणी और 1 विकलांग भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित है। बैंक भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रोस्टर रखता है, जिसकी वार्षिक संवीक्षा बैंक के मुख्य संपर्क अधिकारी करते हैं और भारत सरकार भी समय-समय पर समीक्षा करती है। पिछली बार ऐसी समीक्षा फरवरी 2017 में की गई थी। भारत सरकार की आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा रिपोर्टें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और तत्पश्चात् छमाही आधार पर भारत सरकार को भेजी जाती हैं। दिसंबर 31, 2016 तक का रोस्टर सिडबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

सिडबी में महिला कर्मचारियों की संख्या 254 (21.65%) है। बैंक समय-समय पर ऐसी नीतियाँ लाता रहा है, जिससे महिला कर्मचारियों के काम और उनके जीवन में बेहतर संतुलन बनाए रखा जा सके। इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, विधि, सीए, आईसीडब्ल्यूए, कंपनी सेक्रेटरी, कृषि और जेएआईआईबी/सीएआईआईबी जैसी बैंकिंग-योग्यता वाले विविधतापूर्ण तकनीकी/प्रोफेशनल स्टाफ ने संस्था को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक अपने कर्मचारियों को अंशकालिक आधार पर उच्चतर अध्ययन के लिए प्रेरित करता है और उनके शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है।

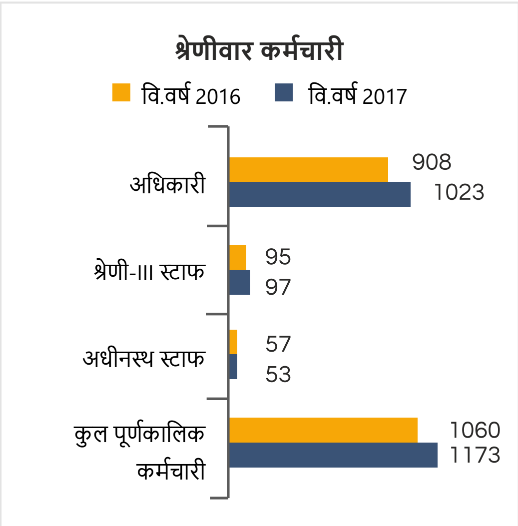

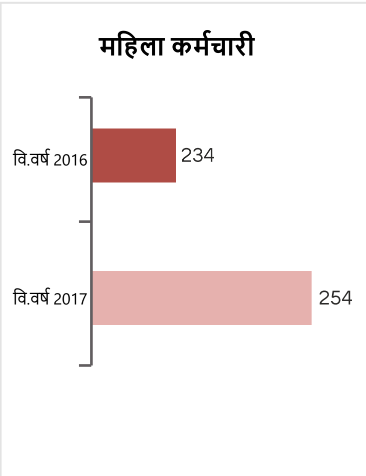

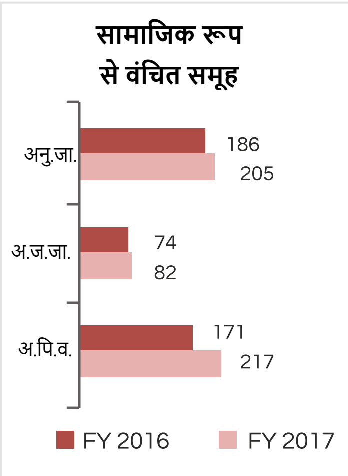

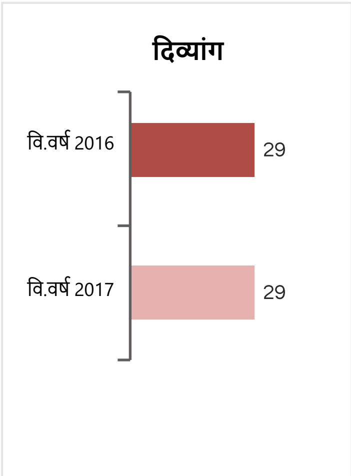

प्रशिक्षण और कैरियर विकास

बैंक अपने कर्मचारियों का कौशल-उन्नयन और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देना जारी रखे हुए है, ताकि उनका प्रोफेशनल विकास हो, उत्साह बढ़े तथा कार्य-संतुष्टि में वृद्धि हो।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय, लखनऊ में 'सिडबी सेंटर फॉर एडवान्स्ड लर्निंग (स्केल)' नामक एक नयी अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा आरंभ की गयी। पहले की तरह इस वर्ष भी बैंक ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त करके अपने कर्मचारियों का प्रशिक्षण जारी रखा-

- सिडबी एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर तथा सिडबी सेंटर फॉर एडवान्स्ड लर्निंग, लखनऊ में आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं में/द्वारा आयोजित अंतर्देशीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं
- अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, ताकि स्टाफ को संस्थागत रूप से फोकस्ड रखा जा सके और उनका समग्र रूप से व्यापक विकास सुनिश्चित हो सके।
- वर्ष के दौरान बैंक ने सुप्रसिद्ध प्रशिक्षण/अकादमिक संस्थाओं द्वारा आयोजित आंतरिक, अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 880 नामांकन किए (जिनमें 168 महिलाएं थीं)।
- 17 अधिकारियों (जिनमें तीन आरक्षित श्रेणी से संबंधित थे) को अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के लिए नामित किया गया, ताकि वे विकास बैंकिंग, नेतृत्व विकास, टिकाऊ वित्त, अल्प वित्त बाजार में जोखिम संबंधी रणनीतिक प्रतिक्रिया आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों से परिचित हो सकें।
- प्रशिक्षण कक्ष, मानव संसाधन वर्टिकल को युनाइटेड किंगडम ऐक्रेडिटेशन सर्विसेज (यूकेएएस) की मान्यताप्राप्त एजेंसी इंटरटेक सर्टिफिकेशन लिमिटेड ने आईएसओ 9001:2008 प्रमाणपत्र प्रदान किया।

स्टाफ कल्याण गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने अपने स्टाफ-सदस्यों व उनके परिवारों के लिए कई कल्याण गतिविधियों हेतु सहायता देना जारी रखा। केन्द्रीय कल्याण समिति के मार्गदर्शन में बैंक के विभिन्न कार्यालयों को ₹2.48 करोड़ की राशि आवंटित की गयी। कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्यवर्धक कार्यकलापों के लिए प्रोत्साहित करने और उनके परिवारों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने "सिडबी एम्प्लॉईज हेल्थ ऑग्मेंटेशन टूल" (सेहत) का शुभारम्भ किया।

9. सतर्कता

बैंक निवारक सतर्कता और उसके स्वतःस्फूर्त आयामों पर बल देता है और प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलकदमियाँ करता रहा है, ताकि कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। तदनुसार, सिडबी की सतर्कता व्यवस्था का नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं तथा प्रधान कार्यालय का सतर्कता दल और संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी उनकी सहायता करते हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर निवारक सतर्कता समितियाँ तथा प्रधान कार्यालय में केन्द्रीय सतर्कता समिति स्थापित है, जो निवारक सतर्कता के उपायों की समीक्षा करती है। सतर्कता संबंधी आंतरिक परामर्श समिति शिकायतों अथवा निरीक्षणों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, स्टाफ जवाबदेही रिपोर्टों आदि की संवीक्षा करती है और अपनी संस्तुतियाँ सीवीओ को प्रस्तुत करती है। सतर्कता वर्टिकल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी संबंधी शिकायतों की जाँच के लिए नोडल वर्टिकल के रूप में काम करता है। धोखाधड़ी-रोधी जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में धोखाधड़ी नियंत्रण कक्ष (एफएमसी) धोखाधड़ियों की कार्य-पद्धति से क्षेत्रों/शाखाओं को समय-समय पर अवगत कराता है।

सीवीओ, आरवीओ (क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी) और सतर्कता दल, स्टाफ के साथ होनेवाली अपनी आवधिक बैठकों में परिचालन संबंधी चूक की घटनाओं/ अनुपालन के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और दिशानिर्देशों, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा निर्णय की प्रक्रिया को पारदर्शी, उचित एवं न्यायसंगत बनाने के महत्त्व के बारे में स्टाफ को जागरूक करते हैं। जागरूकता फैलाने के लिए सतर्कता वर्टिकल 'दक्षता' नामक गृह-पत्रिका प्रकाशित करता है। सिडबी इन्ट्रानेट पर सतर्कता ब्लॉग बनाया गया है, जिसमें अपने अनुभव/आलेख डालने के लिए स्टाफ-सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हर तिमाही सीवीओ के साथ अपनी बैठक में सतर्कता के कामकाज की समीक्षा करते हैं और यदि कोई महत्त्वपूर्ण/लंबित मुद्दे होते हैं तो उन पर मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाती है। सतर्कता वर्टिकल सतर्कता गतिविधियों के बारे में सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उक्त गतिविधियों की छमाही समीक्षा बैंक के निदेशक-मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, सतर्कता वर्टिकल ने निवारक सतर्कता पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें पूर्व-मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री प्रत्यूष सिन्हा को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में लखनऊ तथा मुम्बई, दोनों केन्द्रों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च प्रबन्धन ने भाग लिया। सतर्कता वर्टिकल ने इस वर्ष अद्यतन किया गया सतर्कता मैनुअल भी जारी किया।

10. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

सिडबी भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में सचेष्ट रहा है। इससे हिंदी को कार्यालयीन कामकाज में संपर्क माध्यम की भाषा के रूप में स्थापित करने में बैंक को उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक के लखनऊ, मुम्बई, नई दिल्ली तथा सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई तथा हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के उपाय सुझाए गए।

सिडबी-इंट्रानेट पर एक राजभाषा पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जिसमें राजभाषा नीति एवं उसके कार्यान्वयन से संबंधित उपयोगी जानकारी एवं अन्य सूचनाएँ दी गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग शब्दावली, दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज में उपयोग में आने वाले वाक्य तथा टिप्पणियाँ इंट्रानेट पर अपलोड की गई हैं, ताकि स्टाफ-सदस्य हिंदी में कार्य करते समय इस सामग्री का उपयोग कर सकें। बैंक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली तिमाही हिंदी पत्रिका 'संकल्प' के नवीनतम अंकों की प्रतियाँ भी इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के विभिन्न कार्यालयों में 59 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं तथा इनमें बैंक के स्टाफ-सदस्यों को हिंदी भाषा और कंप्यूटर पर यूनिकोड के उपयोग का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया।

भारत सरकार से प्राप्त हुए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बैंक के हिंदी अधिकारियों हेतु 1 से 3 सितंबर 2016 के दौरान लखनऊ में एक अनुवाद पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुपालन के क्रम में प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 44 कार्यालयों एवं उद्-भागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण-कार्य संपन्न किया गया।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष के दौरान 12वीं अखिल भारतीय सिडबी अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया।

बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य प्रतियोगी परिवेश विकसित करने तथा हिंदी के उपयोग में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक ने सिडबी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता आयोजित की। साथ ही, बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय के उद्-भाग स्तर पर हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषी तथा हिंदीतर भाषा-भाषी स्टाफ-सदस्यों के लिए राजभाषा प्रतिनिधि योजना भी कार्यान्वित की गयी।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) कार्यान्वित कर रहा है। तदनुसार, बैंक ने अपनी वेबसाइट सिडबी इन www.sidbi.in पर बैंक के कार्य एवं दायित्व, अपने कार्यों के लिए बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड, बैंक के अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य, संगठनात्मक चार्ट, अधीनस्थ विधान, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के चैनलों सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया के तरीके, बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियाँ, आदि प्रदर्शित किए हैं, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 4(1) में परिकल्पित है। इस अधिनियम के अनुसार, बैंक ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), वैकल्पिक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और वैकल्पिक प्रथम अपीलीय अधिकारी पदनामित किए हैं, इनके विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, आरटीआई आवेदनों के बेहतर निपटान तथा समन्वयन के लिए, बैंक भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, 01 अगस्त, 2016 से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आरटीआई-एमआईएस पोर्टल-www.rtionline.gov.in के साथ बैंक को संबद्ध और लिंक कर लिया है। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निदेशानुसार बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 4 के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक पारदर्शिता अधिकारी भी पदनामित किया है, ताकि सूचना अधिकार संबंधी पूछताछ का सीपीआईओ द्वारा यथासमय जवाब देने हेतु उपयुक्त स्थितियाँ निर्मित हो सकें। वर्ष के दौरान, बैंक को सूचना प्राप्त करने संबंधी कुल 291 आवेदनपत्र प्राप्त हुए, तथा इन सभी आवेदनपत्रों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निपटा दिया गया।

वर्ष के दौरान, बैंक के प्रथम अपीलीय अधिकारी (एफएए) को कुल 23 अपीलें की गईं। इनका निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कर दिया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के निर्णयों के विरुद्ध 4 अपीलें केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गईं। इस संबंध में, न तो सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रदान करने में और न ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों पर निर्णय करने में कोई विलंब हुआ। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को सभी तिमाही विवरणियाँ नियमित रूप से और समय पर भेजी गईं हैं। बैंक के किसी-भी अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के संदर्भ में जुर्माना/दंड नहीं हुआ।

12. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार

बैंक में, सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए एक सशक्त सूचना-सुरक्षा-प्रबंध प्रणाली कार्यान्वित की गई है। आईएसओ 27001 मानकों का अनुपालन करने के कारण बैंक की सूचना-सुरक्षा-प्रणाली, ब्रिटिश मानक संस्थान (बीएसआई) द्वारा अभिप्रमाणित की गई है तथा यह आईएसओ/आईईसी 2001:2013 के मानकों का अनुपालन करती है। सूचना सुरक्षा का प्रबंधन डेटा सेंटर परिचालन पर लागू होता है तथा इसके प्रबंध और परिचालनों की निगरानी मुंबई व चेन्नई से होती है।

13. ऋणपत्र न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी)

सिडबी के बकाया अप्रतिभूत बॉण्ड निर्गमों के ऋणपत्र न्यासियों के संपर्क विवरण निम्नवत् हैं:

आईएसआईएन : आईएनई556एफ08आईपी8	आईएसआईएन : आईएनई556एफ08आईवी6	शेष आईएसआईएन के लिए
एक्सिस बैंक लिमिटेड एक्सिस हाउस, द्वितीय तल, ई – बॉम्बे डाइंग मिल कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई फोन : 022-24255215/16 फैक्स : 022- 24254200 ईमेल : debenturetrustee@axisbank.com संपर्क व्यक्ति : श्री कान्हू हरिचंदन	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमि. एपीजे हाउस, छठा तल, पश्चिम विंग, 3 दिनशा वाछा रोड़, चर्च गेट, मुंबई – 400 020 वेबसाइट - www.sbicaptrustee.com संपर्क – श्री दीपक धोंडे मोबाइल : 8879150014 फोन : (022) 43025514 फैक्स : (022) 22040465 ईमेल : deepak.dhondye@sbicaptrustee.com	ऑल बैंक फाइनेन्स लिमिटेड (इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था) कॉर्पोरेट कार्यालय : इलाहाबाद बैंक भवन, द्वितीय तल, 37 मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई -400 023. बोर्ड नंबर : +91-22-22626283 विस्तार: 24 फैक्स : +91-22-22677552 ईमेल : companysecretary@allbankfinance.com वेबसाइट : www.allbankfinance.com संपर्क व्यक्ति : सुश्री मेल्विटा लेविस, कंपनी सचिव-सह-अनुपालन अधिकारी

14. आभार ज्ञापन

बैंक का निदेशक मंडल, भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त बहुमूल्य सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल विश्व बैंक समूह, जापान इंटरनैशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका); डिपार्टमेंट फॉर इंटरनैशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूके; क्रेडिटांस्टाल्ट फर वीडरफब (केएफडब्ल्यू), जर्मनी; द ड्यूश जेसेल्शॉफ्ट फर इंटरनैशनल जुसैमेनारबीट (जीआईजेड), जर्मनी; इंटरनैशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), फ्रांस तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) का भी आभारी है, जिनसे सहायता और तकनीकी सहयोग मिलता रहा है। बैंक का निदेशक मंडल, विभिन्न बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों के संवर्धन और विकास से जुड़े हुए हितधारकों से सिडबी को मिले सहयोग के लिए उनकी भूरिश: सराहना करता है। बैंक अपने सभी ग्राहकों तथा निवेशकों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता है तथा आगामी वर्षों में उनसे लगातार सहयोग की आकांक्षा रखता है। निदेशक-मंडल सिडबी के प्रत्येक स्तर के स्टाफ की सेवाओं की प्रशंसा करता है, जिन्होंने लगातार सुदृढ़ता, वचनबद्धता, ईमानदारी तथा समर्पण का भाव व्यक्त किया और बैंक को विकास के उच्चतर पथ पर अग्रसर करने में जुटे रहे।

भारतीय
लघु उद्योग
विकास बैंक

परिशिष्ट - I

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
शेयरधारकगण
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक) के 31 मार्च 2017 तक के संलग्न वित्तीय विवरणों और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखा-नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 7 शाखाओं के विवरण शामिल हैं, जिनका हमने लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया और इसमें प्रधान कार्यालय के खातों सहित, अग्रिमों का 77.62%, जमाओं का 97.97%, उधार का 100%, अग्रिमों पर ब्याज आय का 74.34% तथा जमा एवं उधार पर ब्याज व्यय का 94.47% भी शामिल है। ये शाखाएं बैंक की सलाह से चयनित की गयी हैं। हमने बैंक की शेष शाखाओं का दौरा नहीं किया और उनके विवरणों की प्रधान कार्यालय में समीक्षा की।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह की भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धान्तों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले घटकों के बारे में अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बैंक का प्रबन्धन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की

आस्तियों की सुरक्षा के लिए लेखांकन के पर्याप्त अभिलेख रखा जाना, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय तथा अनुमान लगाना तथा ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, क्रियान्वित व प्रावधानित करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की दृष्टि से प्रभावपूर्ण तरीके से काम करते हों और जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक हों, जो सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हों तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश संभावित तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त हों।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है जो हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा-मानकों के अनुरूप संपन्न की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि आश्वस्त हुआ जा सके कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखा-परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का समावेश रहता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखा-धड़ी से अथवा त्रुटिवश तथ्यात्मक मिथ्या-कथन के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा-परीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक आंतरिक

नियंत्रण पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखा-प्रक्रियाएं तैयार की जाएं जो उक्त परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। किन्तु इसका उद्देश्य संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता पर राय देना नहीं होता। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना

भी शामिल रहता है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में लेखा-परीक्षा संबंधी हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मंतव्य

हमारे मत में और हमारी अधिकतम सूचनाओं तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 द्वारा वांछित सूचनाएं प्रदान करती है, जो बैंक के लिए आवश्यक है और भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हैं:

क) तुलन-पत्र के मामले में, बैंक के 31 मार्च, 2017 तक के कामकाज की स्थिति

ख) लाभ-हानि खाते के मामले में, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की स्थिति

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम सूचित करते हैं कि

1. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
2. हमने वे समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
3. हमारी राय में, जहां तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधि के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की है।
4. इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण खाता-बहियों के अनुरूप हैं।
5. हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेन-देन बैंक की शक्तियों के अंदर ही किए गए हैं।
6. बैंक की शाखाओं और कार्यालयों द्वारा प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।
7. हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों में लागू लेखा-मानकों का अनुपालन किया गया है।

कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101569डब्ल्यू

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता सं. 133755

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 18 मई 2017

31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र

(₹)

पूँजी एवं देयताएँ	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
पूँजी	I	531,92,20,310	486,98,22,500
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां	II	13069,51,76,335	11108,27,11,816
जमा	III	15861,92,17,622	15575,12,27,905
उधार	IV	43442,90,58,053	42356,68,51,125
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	6754,21,68,867	6909,47,34,117
आस्थगित कर देयता		21,84,93,690	41,94,00,171
योग		79682,33,34,877	76478,47,47,634
आस्तियां			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	982,29,33,216	1184,51,19,392
निवेश	VII	7758,15,40,345	7435,86,27,861
ऋण एवं अग्रिम	VIII	68289,63,15,860	65632,09,75,865
स्थिर आस्तियां	IX	205,67,86,919	210,35,58,554
अन्य आस्तियां	X	2446,57,58,537	2015,64,65,962
योग		79682,33,34,877	76478,47,47,634
आकस्मिक देयताएं	XI	10011,75,13,357	10410,76,98,369

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	XV
लेखा टिप्पणियाँ	XVI

उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
एफआरएन.101569 डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा वर्टिकल)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

दर्शित दोशी
साझेदार
एम. सं. 133755

सत्यानंद मिश्रा
निदेशक

आर. रामचंद्रन
निदेशक

मुंबई, मई 18, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता

(₹)

आय	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
ब्याज एवं बट्टा	XII	6070,83,67,227	5541,82,40,051
अन्य आय	XIII	274,96,49,654	242,78,39,244
योग		6345,80,16,881	5784,60,79,295
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		4046,36,24,495	3502,07,84,082
परिचालन व्यय	XIV	532,66,67,698	420,91,06,193
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		79,30,41,637	225,14,67,832
योग		4658,33,33,830	4148,13,58,107
कर-पूर्व लाभ		1687,46,83,051	1636,47,21,188
आयकर के लिए प्रावधान		587,37,95,960	539,75,26,557
आस्थगित कर-समायोजन [(आस्ति)/देयता]		(20,09,06,482)	(80,74,69,989)
कर-पश्चात लाभ		1120,17,93,573	1177,46,64,620
अग्रानीत लाभ		40,45,78,028	39,73,69,861
कुल लाभ/(हानि)		1160,63,71,601	1217,20,34,481
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		930,00,00,000	966,00,00,000
आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		70,00,00,000	80,00,00,000
अन्य			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		2,02,40,174	15,78,97,722
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		2,00,00,000	1,00,00,000
शेयरों पर लाभांश		93,93,08,909	94,68,10,409
लाभांश पर कर		19,12,21,193	19,27,48,322
अग्रानीत लाभ-हानि खाते में अधिशेष		43,56,01,325	40,45,78,028
योग		1160,63,71,601	1217,20,34,481
प्रति शेयर मूल/विलयित अर्जन		21.47	24.87

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ XVI

उक्त अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
एफआरएन.101569 डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा वर्टिकल)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

दर्शित दोशी
साझेदार
एम. सं. 133755

सत्यानंद मिश्रा
निदेशक

आर. रामचंद्रन
निदेशक

मुंबई, मई 18, 2017

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अनुसूची I:	पूंजी		
	(क) प्राधिकृत पूंजी		
	- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	750,00,00,000	750,00,00,000
	- अधिमान शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर)	250,00,00,000	250,00,00,000
	(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
	- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	531,92,20,310	486,98,22,500
	-अधिमान शेयर पूंजी	-	-
	योग	531,92,20,310	486,98,22,500
अनुसूची II:	आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां		
	क) आरक्षितियां		
	i) सामान्य आरक्षितियां		
	- अथ शेष	8594,31,73,555	7628,31,73,555
	-वर्ष के दौरान परिवर्धन	985,19,63,645	966,00,00,000
	-वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- अंतिम शेष	9579,51,37,200	8594,31,73,555
	ii) शेयर प्रीमियम		
	- अथ शेष	713,01,77,500	-
	-वर्ष के दौरान परिवर्धन	955,06,02,190	713,01,77,500
	-वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- अंतिम शेष	1668,07,79,690	713,01,77,500
	iii) विशेष आरक्षितियां		
	क) निवेश आरक्षिति		
	- अथ शेष	55,19,63,645	55,19,63,645
	-वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	-वर्ष के दौरान उपयोग	55,19,63,645	-
	- अंतिम शेष	-	55,19,63,645
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
	- अथ शेष	1357,00,00,000	1277,00,00,000
	-वर्ष के दौरान परिवर्धन	70,00,00,000	80,00,00,000
	-वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- अंतिम शेष	1427,00,00,000	1357,00,00,000

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	ग) अन्य आरक्षितियाँ		
	I) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
	- अथ शेष	68,35,45,852	52,56,48,130
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,02,40,174	15,78,97,722
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- अंतिम शेष	70,37,86,026	68,35,45,852
	ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	43,56,01,325	40,45,78,028
	ग) निधियाँ		
	क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
	- अथ शेष	255,40,61,491	254,08,68,273
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	89,24,580	1,31,93,218
	-वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- अंतिम शेष	256,29,86,071	255,40,61,491
	ख) स्टाफ कल्याण निधि		
	- अथ शेष	24,52,11,745	22,70,56,982
	-वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,00,00,000	3,36,40,020
	-वर्ष के दौरान उपयोग .	1,83,25,722	1,54,85,257
	- अंतिम शेष	24,68,86,023	24,52,11,745
	ग) अन्य	-	-
	योग / Total	13069,51,76,335	11108,27,11,816
अनुसूची III:	जमा		
	क) सावधि जमा	2048,37,42,622	825,12,27,905
	ख) बैंकों से		
	क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	9000,00,00,000	10000,00,00,000
	ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	1500,00,00,000	1750,00,00,000
	ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
	घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	500,00,00,000	500,00,00,000
	ञ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	2813,54,75,000	2500,00,00,000
	उप-योग (ख)	13813,54,75,000	14750,00,00,000
	योग	15861,92,17,622	15575,12,27,905
अनुसूची IV:	उधारियां		
I)	भारत में उधारियां		
	1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
	2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	2250,10,65,132	2356,12,00,839
	3. बॉण्ड एवं डिबेंचर	9301,00,00,000	13077,60,00,000

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	4. अन्य स्रोतों से		
	- वाणिज्यिक पत्र	17580,00,00,000	9090,00,00,000
	- जमा प्रमाण पत्र	1075,00,00,000	3081,00,00,000
	- बैंकों से सावधि ऋण	643,37,83,120	760,73,58,503
	- सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
	- अन्य	1371,89,34,745	2149,42,56,515
	उप-योग (I)	32221,37,82,997	30514,88,15,857
II)	भारत से बाहर उधारियां		
	(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	1382,11,29,853	1714,36,44,616
	(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	4335,71,46,562	4832,53,51,698
	(ग) आईएफएडी, रोम	112,73,11,010	131,44,98,429
	(घ) विश्व बैंक	4982,91,45,632	4661,92,78,563
	(ङ) अन्य	408,05,41,999	501,52,61,962
	उप-योग (II)	11221,52,75,056	11841,80,35,268
	योग (I व II)	43442,90,58,053	42356,68,51,125
अनुसूची V:	अन्य देयताएं व प्रावधान		
	उपचित ब्याज	201,47,47,211	264,94,67,742
	अन्य (प्रावधान सहित)	4676,09,32,823	4813,03,00,358
	विदेशी मुद्रादर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1444,76,15,756	1398,70,64,311
	मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	318,83,42,975	318,83,42,975
	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	113,05,30,102	113,95,58,731
	योग	6754,21,68,867	6909,47,34,117
	आस्तियाँ	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**
अनुसूची VI:	नकदी और बैंक अतिशेष		
	1.हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,75,054	6,68,296
	2.अन्य बैंकों में अतिशेष		
	(क) भारत में		
	i) चालू खातों में	27,84,72,360	27,86,42,690
	ii) अन्य निक्षेप खातों में	235,19,83,362	307,91,98,866
	(ख) भारत से बाहर		
	i) चालू खातों में	4,51,903	20,48,368
	ii) अन्य निक्षेप खातों में	719,13,50,537	848,45,61,172
	योग	982,29,33,216	1184,51,19,392

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	आस्तियाँ	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अनुसूची VII:	निवेश [प्रावधानों को घटाकर]		
	क) राजकोषीय परिचालन		
	1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	396,80,00,401	685,91,44,458
	2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	23,95,12,137	23,95,12,137
	3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	1097,74,52,685	2359,82,58,840
	4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	248,80,48,275	248,80,48,275
	5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	-	-
	6. अन्य	3202,75,73,351	2505,70,59,819
	उप-योग (क)	4970,05,86,849	5824,20,23,529
	ख) व्यवसाय परिचालन		
	1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	114,92,61,420	61,12,61,440
	2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	-	-
	3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	405,77,31,494	369,79,19,478
	4. सहायक संगठनों में निवेश	1751,04,98,740	751,04,98,740
	5. अन्य	516,34,61,842	429,69,24,674
	उप-योग (ख)	2788,09,53,496	1611,66,04,332
	योग (क+ख)	7758,15,40,345	7435,86,27,861
अनुसूची VIII:	ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]		
	क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
	- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	48503,25,11,104	46543,90,87,880
	- अल्प वित्त संस्थाएँ	2307,50,81,449	2013,25,42,707
	- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	6866,82,93,916	5677,54,89,100
	- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
	- अन्य (संसाधन सहायता)	-	-
	उप-योग (क)	57677,58,86,469	54234,71,19,687
	ख) प्रत्यक्ष ऋण		
	- ऋण एवं अग्रिम	9540,64,92,741	9884,06,90,456
	- प्राप्य वित्त योजना	1070,86,54,657	1512,59,23,439
	- भुनाए गए बिल	52,81,993	72,42,283
	उप-योग (ख)	10612,04,29,391	11397,38,56,178
	योग (क+ख)	68289,63,15,860	65632,09,75,865
अनुसूची IX:	स्थिर आस्तियां [मूल्यह्रास घटाकर]		
	1. परिसर	203,57,06,345	208,64,41,066
	2.अन्य	2,10,80,574	1,71,17,488
	योग	205,67,86,919	210,35,58,554

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	आस्तियाँ	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अनुसूची X:	अन्य आस्तियाँ		
	उपचित ब्याज	1614,41,28,757	948,51,65,690
	अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	323,22,13,344	237,90,50,566
	अन्य	163,77,66,607	418,49,97,978
	व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	345,16,49,829	410,72,51,728
	योग	2446,57,58,537	2015,64,65,962
अनुसूची XI:	आकस्मिक देयताएं		
	i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	378,35,70,266	245,79,68,602
	ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	106,70,90,288	128,47,53,531
	iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	418,59,06,954	2145,38,16,573
	iv) हामीदारी प्रतिबध्दताओं के फलस्वरूप	-	-
	v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप	-	-
	vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएं आदि)	9108,09,45,849	7891,11,59,663
	योग	10011,75,13,357	10410,76,98,369

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	आय	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अनुसूची XII:	ब्याज और बट्टा		
	1. ऋणों, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	5707,98,42,609	5128,83,28,400
	2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय	362,85,24,618	412,99,11,651
	योग	6070,83,67,227	5541,82,40,051
अनुसूची XIII:	अन्य आय		
	1. अपफ्रंट और कार्रवाई शुल्क	28,42,39,805	32,88,79,724
	2. कमीशन और दलाली	2,42,76,355	2,32,35,996
	3. निवेशों की बिक्री से लाभ	144,29,13,742	127,72,09,428
	4. सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय	6,14,14,574	3,74,97,750
	5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
	6. अन्य	93,68,05,178	76,10,16,346
	योग	274,96,49,654	242,78,39,244
	व्यय	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**
अनुसूची XIV:	परिचालन व्यय		
	कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान	407,09,39,524	281,14,72,022
	किराया, कर और बिजली	21,20,12,457	20,30,00,481
	मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	1,04,85,129	1,03,73,383
	विज्ञापन और प्रचार	2,77,29,482	4,20,17,486
	बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास / परिशोधन	20,05,08,564	14,03,49,020
	निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय	57,67,190	78,31,739
	लेखापरीक्षकों की फीस	64,46,071	82,81,009
	विधि प्रभार	1,53,25,992	1,70,66,086
	डाक, कूरियर, दूरभाष, आदि	28,62,042	29,65,358
	मरम्मत और रखरखाव	10,95,30,935	9,54,25,280
	बीमा	53,97,631	50,56,312
	सीजीटीएमएसई को अंशदान	4,44,41,750	17,74,75,000
	अन्य व्यय	61,52,20,931	68,77,93,017
	योग	532,66,67,698	420,91,06,193

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची XV

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

2. राजस्व निर्धारण

क) आय

i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।

iii. बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा जमा प्रमाणपत्र तथा वाणिज्यिक पत्रों के संबंध में प्राप्त बट्टा राशि को लिखतों की मीयाद के अनुसार संविभाजित कर दिया गया है।

iv. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/ सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

vi. उद्यम पूँजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।

vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत व प्रभार

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दण्डात्मक ब्याज

viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ix. निवेश को बिक्री में लाभ या हानि : किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री में लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

ख) व्यय

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया हैः

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, जमा प्रमाणपत्र आदि)

(क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) हेतु प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

(ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है।

(ग) बिक्री हेतु उपलब्ध

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

(iii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

(iv) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

(v) अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

(vi) ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

(vii) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में दर्ज़ किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार किया गया है।

1. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।
2. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।
3. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशमुद्रा ऋण- व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।
4. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

5. व्युत्पन्नी

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6. ऋण और अग्रिम

i. आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

iii. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

iv. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7. कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आय-कर की गणना आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय-कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

8. प्रतिभूतीकरण

बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

(i) अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

(ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है।

यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

(क) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

(iv) बीमांकिक लाभ/हानि तत्काल लाभ-हानि लेखे में दर्ज़ किए जाते हैं और आस्थगित नहीं किए जाते हैं।

31 मार्च, 2017 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(v) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख) सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

क) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

ख) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

(i) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ-100 प्रतिशत की दर से

(ii) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर-100 प्रतिशत की दर से

(iii) भवन-मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

(iv) विद्युत संस्थापनाएंः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ - मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर - 50 प्रतिशत की दर से

(v) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति-50 प्रतिशत की दर से

ग) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

घ) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

एएस - 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा

पट्टा संबंधी किराए को भुगतान के लिए देय होने पर लाभ-हानि लेखे में खर्च/आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सकेः

क) क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

अनुसूची XVI -
लेखे की टिप्पणियाँ

(₹)

		31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
1	**'अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत 'बॉण्डं व डिबेंचर' में निम्नलिखित शामिल हैं:**		
क)	प्रतिभूतिरहित बॉण्ड	9301,00,00,000	13077,60,00,000
2	**अनुसूची V में अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत 'अन्य' में निम्नलिखित शामिल हैं:**		
क)	सिडबी अक्षमता सहायता निधि	-	56,000
ख)	सिडबी स्वास्थ्य सहायता योजना	24,20,93,347	19,87,99,999
3	**अनुसूची X में अन्य आस्तियों के अंतर्गत 'व्यय, जहाँ तक बट्टे खाते नहीं डाले गए' में निम्नलिखित शामिल हैं**		
क)	आरबीआई एनआईसी (एलटीओ) के भारत सरकार के बॉण्डों में अंतरण पर प्रीमियम	21,15,66,806	25,38,80,166
ख)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा – जमा पत्र	58,74,85,424	2,18,76,87,171
ग)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - वाणिज्य पत्र	263,83,88,518	163,84,72,553
घ)	अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	1,42,09,081	2,72,11,839
4	**ब्याज व वित्तीय प्रभार**		
क)	उधारियों पर ब्याज	2265,83,66,622	1919,20,07,158
ख)	जमा पर ब्याज	1099,39,06,063	1017,89,40,323
ग)	वित्तीय प्रभार	681,13,51,810	564,98,36,601
	योग	**4046,36,24,495**	**3502,07,84,082**
5.	अप्रावधानित पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोड़ कर)	3,21,29,675	2,61,30,118
6.	परिसर में परिसर अभिग्रहण से संबंधित अग्रिम राशियां ₹12,34,099 (पिछले वर्ष - ₹12,34,099) एवं प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य से संबंधित ₹3,41,88,676 (पिछले वर्ष - ₹86,61,549) शामिल हैं।		
7.	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) (जिसे पहले जापान बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन - जेबीआईसी के नाम से जाना जाता था) से ऋण व्यवस्था V के अंतर्गत (31मार्च 2017 तक 13.17 बिलियन जापानी येन)प्राप्त 30 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में भारत सरकार के साथ सहमत शर्तों के अनुसार विनिमय दर उतार-चढाव निधि (ईआरएफएफ) सृजित की गई है एवं उसे विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव आरक्षिति निधि में शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण मूलधन खाते में आए ₹346,38,73,018 के अंतर (पिछले वर्ष - ₹399,25,28,223) को भारत सरकार की अनुमति के स्वरूप विनिमय दर उतार-चढ़ाव निधि में समायोजित किया गया है। यदि भविष्य में जरूरी हुआ, तो निधि खाते में भारत सरकार के निदेशानुसार समायोजन किया जाएगा। यदि निधि में अतिशेष अपर्याप्त रहता है, तो इसका दावा भारत सरकार से किया जाएगा।		
8.	जेबीआईसी ऋण IV के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त, ₹305,26,22,182(पिछले वर्ष - ₹348,87,11,064) की उधारी को तुलनपत्र में 'अनुसूची IV - उधारियों' में अपने ऐतिहासिक रुपए मूल्य में अग्रेषित किया गया है, क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी की मूलधन चुकौती की देयता रुपये में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष के योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस ऋण के लिए रखे ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2017 को शेष ₹281,96,49,464 (पिछले वर्ष - ₹319,50,28,876) है।		
9.	31 मार्च, 2017 को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त के तहत ऋण और अग्रिमों में - अनुसूची VIII में अल्प वित्त बैंकों को दिया गया पुनर्वित्त ₹585,00,00,000 [पिछले वर्ष शून्य] शामिल है।		

अनुसूची XVI - लेखे की टिप्पणियाँ

10	बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन डालर की ऋण-व्यवस्था की संविदा की । यह टिकाऊ और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्पपवित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए है। इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमेरिकी डालर के तुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपया ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार यद्यपि भारत सरकार ने सिडबी को रुपया फंड जारी किया, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने हेतु एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया, ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित हो। तदनुसार उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक 80.50 मिलियन अमेरिकी डालर (₹522.04 करोड़ के बराबर) [गत वर्ष 88.20 मिलियन अमेरिकी डालर (₹584.45 करोड़ के बराबर)] के आहरण को भारत सरकार के प्रति रुपया देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा विनिमय जोखिम का बचाव सिडबी द्वारा विदेशी मुद्रा वायदा करार के जरिए किया जा रहा है। इसे अनुसूची IV - 'भारत में उधारियां' के अंतर्गत समूहित किया गया है।
11	भारत सरकार ने सिडबी में ₹300 करोड़ की समूह निधि वाली "इंडिया माइक्रोफाइनान्स इक्विटी निधि" सृजित की है। इस निधि का उपयोग सामाजिक रुझान वाली छोटी माइक्रोफाइनान्स कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टियर – II तथा टियर – III की उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं को ईक्विटी सहायता अथवा किसी अन्य रूप में पूँजी प्रदान करते हुए किया जाएगा, जिनका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा देश के असेवित और अल्पसेवित भागों में परिचालनों का दीर्घावधि टिकाऊपन हासिल करना है। इस निधि का परिचालन/प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है, जिस हेतु सिडबी को एक प्रशासनिक शुल्क प्राप्त होता है। साथ ही, आगम व निर्गम राशियों को फंड को डेबिट/क्रेडिट किया जाता है। अत:, निवेश को हटाकर आईएमईएफ फंड का शेष, तुलनपत्र की अन्य देयताओं" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2017 तक निधि में अथशेष ₹194,61,83,900 (पिछले वर्ष ₹187,16,01,094) रहा।
12	एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निधियों की निधि के लिए ₹60 करोड़ की एस्पायर निधि का आवंटन सिडबी को किया है जिसका प्रबंधन सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि आधारित स्टार्ट–अप/ नये उद्यमों में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश तथा नवोन्मेषिता, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में आगे-पीछे वैल्यू चेन से लिंकेज को बढ़ावा देने तथा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। चूंकि ये निवेश सिडबी द्वारा न्यासी हैसियत से किये गए हैं अत: इसे तुलनपत्र में अन्य देयताओं के संवर्ग में समूहित किया गया है। एस्पायर निधि की अथशेष निधि को तुलनपत्र की अन्य देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2017 तक निधि में अथशेष ₹57,04,38,500 करोड़ (पिछले वर्ष ₹60,00,00,000) रहा।
13	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स में ईक्विटी की सहायता को बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियों की निधि योजना बनायी है। योजना के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ की निधियों की निधि योजना प्रस्तावित है, जिसका प्रबंधन सिडबी को करना है। सरकार ने निधियों की निधि की उक्त कार्पस निधि से ₹600 करोड़ सिडबी को दिए हैं। चूंकि ये निवेश सिडबी द्वारा न्यासी हैसियत से किये गए हैं अत: इसे तुलनपत्र में अन्य देयताओं के संवर्ग में समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2017 तक निधि में अथशेष ₹591,29,39,436 (पिछले वर्ष ₹500,00,00,000) रहा।
14	मुद्रा लि. की ईक्विटी पूंजी में निवेश के लिए भारत सरकार ने सिडबी की इक्विटी पूंजी में ₹1,000 करोड़ संवितरित किये. तदनुसार 4,49,39,781 के ईक्विटी शेयर को ₹222.52 प्रति शेयर के बही मूल्य पर भारत सरकार को जारी किया गया. इसके परिणामस्वरूप बैंक की प्रदत्त पूंजी बढ़कर ₹531,92,20,310 हो गयी. अंकित मूल्य और बही मूल्य के अंतर ₹955,06,02,190 को शेयर प्रीमियम (आरक्षिती) खाते में जमा किया गया।

अनुसूची XVI - लेखे की टिप्पणियाँ

(₹)

15	बैंक ने कुल अंकित मूल्य ₹382,82,00,000(बही मूल्य् ₹401,24,61,432) [गत वर्ष ₹642,82,00,000(बही मूल्य ₹640,75,02,234] की भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को संपार्श्वीकृत उधार एवं ऋण बाध्य ता (सीबीएलओ) हेतु क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास गिरवी रखा है। साथ ही, बैंक ने आईडीबीआई बैंक के साथ कार्यशील पूँजी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने परिचालनों के लिए आईडीबीआई बैंक के पास सावधि जमा राशियां रखी हैं।		
16	हेजिंग रणनीति के हिस्से के रूप में बैंक ने विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरित विदेशी मुद्रा निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा है और इन निक्षेपों के प्रति भारतीय रुपये में ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली है। इन उधारों के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को बकाया राशि ₹643,37,83,119 (गत वर्ष ₹733,18,58,503) थी । यथा 31 मार्च, 2017 को इन विदेशी मुद्रा निक्षेपों पर प्राप्त ब्याज विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के उधारों पर देय ब्याज से मेल खाता है।		
17	अन्य आय में शामिल हैं - विगत वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अग्रिमों से वसूल हुए ₹46,52,53,766 रुपए (गत वर्ष ₹53,19,24,584)		
18	कतिपय अधिकारी फ्लैटों के विक्रय विलेख विधिक मामले लंबित होने के कारण निष्पादित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च, 2017 को इन फ्लैटों का निवल मूल्याह्रासित मूल्य ₹786,93,743(गत वर्ष - ₹8,28,35,519) है।		
19	"आईएफएडी ने, 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य, यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है।		
20	कर्मचारी लाभ ''कर्मचारी लाभ'' (एएस 15) (2005 में संशोधित).पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:		
(क)	निश्चित अंशदान प्लान		
	बैंक ने निम्नलिखित राशियों को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया है:		
	विवरण	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**
	भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	4,36,88,123	4,37,26,850
	नयी पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	1,45,96,318	82,59,836

अनुसूची XVI - लेखे की टिप्पणियाँ

(₹ करोड़)

(ख) बैंक की निश्चित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंधन ट्रस्ट के जरिए किया जाता है।

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016
	1. पूर्वानुमान				
	भुनाई दर - पिछली	7.21%	7.76%	7.29%	7.96%
	नियोजित आस्तियों पर प्रतिफल की दर	7.21%	7.76%	7.29%	7.96%
	वेतन बढोतरी	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
	भुनाई दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	2. लाभ देयता में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका				
	वर्ष के आरंभ में देयता	344.27	305.51	73.09	72.45
	ब्याज लागत	26.72	23.52	5.81	5.76
	वर्तमान सेवा लागत	10.83	12.23	4.92	4.62
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	-	-	-	-
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
	देयता अंतरण आगम	-	-	-	-
	(देयता अंतरण निर्गम)	-	-	-	-
	(प्रदत्त लाभ)	-	(8.34)	(4.62)	(3.45)
	देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	26.28	11.35	(3.71)	(6.29)
	वर्ष के अंत में देयता	**408.10**	**344.27**	**75.49**	**73.09**
	3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं				
	वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	90.47	83.39	106.46	101.49
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	7.02	7.25	8.47	8.83
	अंशदान	-	8.34	1.19	-
	अन्य कंपनी से अंतरण	-	-	-	-
	(अन्य कंपनी को अंतरण)	-	-	-	-
	(प्रदत्त लाभ)	-	(8.34)	(4.62)	(3.46)
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	0.58	(0.17)	0.29	(0.40)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**98.07**	**90.47**	**111.79**	**106.46**
	4. बीमांकिक लाभ / हानि निर्धारण तालिका				
	दायित्व अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	26.28	11.35	(3.71)	(6.29)
	अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(0.58)	0.17	(0.29)	0.40
	आय और व्यय खाते में चिह्नित बीमांकिक लाभ/(हानि)	25.70	11.52	(4.00)	(5.89)
	5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	7.02	7.25	8.47	8.83
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.58	(0.17)	0.29	(0.40)
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**7.60**	**7.09**	**8.76**	**8.43**

अनुसूची XVI - लेखे की टिप्पणियाँ

(₹ करोड़)

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016
6. तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि				
वर्ष के अंत में देयता	(408.09)	(344.27)	(75.50)	(73.09)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	98.07	90.47	111.79	106.46
अंतर	(310.02)	(253.80)	36.29	33.37
वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अनिर्धारित अन्तर्वर्ती देयता	-	-	-	-
तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	**(310.02)**	**(253.80)**	**36.29**	**33.37**
7. आय विवरणी में निर्धारित व्यय				
चालू सेवा लागत	10.84	12.23	4.92	4.62
ब्याज लागत	19.69	16.27	(2.66)	(3.07)
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	-	-	(4.00)	(5.89)
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अन्तर्वर्ती देयता का निर्धारण	-	-	-	-
बीमांकिक (लाभ) /हानि	25.70	11.52	-	-
लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय	**56.23**	**40.02**	**(1.74)**	**(4.34)**
8. तुलनपत्र समाधान				
आरंभिक निवल देयता	253.80	222.12	(33.37)	(29.03)
यथोक्त व्यय	56.23	40.02	(1.74)	(4.34)
नियोक्ता का अंशदान	-	(8.34)	(1.18)	-
तुलनपत्र में निर्धारित राशि	**310.03**	**253.80**	**(36.29)**	**(33.37)**
9. अन्य विवरण				
बैंक की सूचना के अनुसार वेतन बढोतरी को ध्यान में रखा जाता है, जो कर्मचारियों की पदोन्नति, मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप होता है।				
अगले वर्ष (12 महीने) के लिए अनुमानित अंशदान	**25.08**	**22.33**	**0.00**	**0.00**
10. आस्तियों की श्रेणी				
भारत सरकार आस्तियाँ	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	-	-	-	-
विशेष जमा योजना	-	-	-	-
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	-	-	-	-
संपत्ति	-	-	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां (भारतीय जीवन बीमा निगम)	98.07	90.47	111.79	106.46
अन्य	-	-	-	-
योग	**98.07**	**90.47**	**111.79**	**106.46**

11. अनुभव समायोजन	पेंशन					ग्रेच्युटी				
	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2015	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2015	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2013
योजनागत देयता (लाभ) / हानि पर	(5.53)	22.70	(0.90)	24.34	(2.72)	(7.91)	(6.20)	(0.56)	(3.72)	(0.11)
योजनागत आस्ति (हानि) / लाभ पर	0.58	(0.17)	(1.43)	0.32	0.70	0.29	(0.40)	0.21	0.62	0.65

अनुसूची XVI - लेखे की टिप्पणियाँ

(₹ करोड़)

(ग)	स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियां, जो लाभ-हानि खाते में प्रभारित की गईं, इस प्रकार हैं		
	विवरण	**31 मार्च, 2017 को**	**31 मार्च, 2016 को**
	1. साधारण अवकाश नकदीकरण	5.82	4.79
	2. छुट्टी किराया रियायत	0.00	2.00
	3. बीमारी अवकाश	0.69	1.99
	4. पुनर्वास व्यय	0.06	0.02
	5. सेवानिवृत्ति उपरांत स्वास्थ्य योजना सुविधाएं*	4.33	0.03
21	**प्रति शेयर अर्जन (एएस-20*)**		
	अर्जित प्रति शेयर परिकलन के लिए निवल लाभ (₹)	1120,17,93,573	1177,46,64,620
	प्रति शेयर ₹10/ के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	52,18,38,283	47,34,05,205
	प्रति शेयर अर्जन (₹)	21.47	24.87
	* मूलभूत और प्रति शेयर अर्जन तथा अवमिश्रित प्रति शेयर अर्जन समान है क्योंकि अवमिश्रणीय संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं .		
22	खाता बही में प्रस्तावित लाभांश (लाभांश संवितरण कर शामिल है) देयता में गिना जाएगा		
23	निदेशक मंडल के अनुमोदन से चालू वित्तवर्ष के दौरान ₹55.20 करोड़ के निवेश आरक्षिति में अथशेष को सामान्य आरक्षिति में स्थानांतरित किया गया		
24	लेखांकन मानक 22 आय पर कर हेतु लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार , बैंक ने आस्थगित कर व्यय / बचत की समीक्षा की है और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखे में ₹20,09,06,482 की राशि (पिछले वर्ष आस्थगित कर आस्ति / देयता ₹80,74,69,989 थी)आस्थगित कर आस्ति मानी है. यथा 31 मार्च, 2017 को आस्थगित कर आस्ति / देयता के अलग-अलग घटक निम्नलिखित है :		

	समय अंतर	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**
		आस्थगित कर आस्ति/(देयताएं) (₹)	**आस्थगित कर आस्ति/(देयताएं)** (₹)
क)	मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	95,77,629	(1,68,645)
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	(421,81,48,976)	(397,58,92,976)
ग)	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	211,36,06,638	212,05,54,201
घ)	भारत सरकार के बांडों पर प्रीमियम का परिशोधन	(7,32,66,842)	(8,79,10,650)
ङ)	खातों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	3,73,31,705	14,02,21,289
च)	अन्य	191,24,06,158	138,37,96,609
	निवल आस्थगित कर आस्ति/(देयता)	(21,84,93,688)	(41,94,00,172)

25	आयकर हेतु प्रावधान में शामिल है			
	क्रमांक	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(i)	चालू आयकर प्रावधान	523,80,62,259	540,51,60,216
	(ii)	गत वर्षों हेतु किए गए कम / बेशी आयकर प्रावधान	63,57,33,700	(76,33,659)
		पिछले वर्षों के आयकर प्रावधान में बैंक के कर विशेषज्ञ के परामर्श से ₹64.80 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल है, जिसके लिए आय कर प्राधिकारियों से कर देयता के सन्दर्भ में विवाद है और जिसके लिए माननीय हाईकोर्ट/आईटीएटी में अपील लंबित है।		

अनुसूची XVI - लेखे की टिप्पणियाँ

(₹ करोड़)

26	आकस्मिक देयताएं ₹378,35,70,266(गत वर्ष ₹241,61,56,475) की हैं, जिसमें आयकर एवं सेवाकर की देयता शामिल है। बैंक इससे सहमत नहीं है और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। इसमें ₹51,82,80,309 (गत वर्ष ₹50,66,98,988/) शामिल है , जो आयकर विभाग द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर अपील से संबंधित है।
27	प्रबंधन की राय में लेखांकन मानक 28 आस्तियों की हानि के नजरिये से बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं हुई है।
28	आकस्मिक देयताओं के प्रावधान के संबंध में लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत प्रकटन

विवरण	बकाया वेतन/प्रोत्साहन (₹)	अन्य प्रावधान (₹)
आरंभिक शेष	82,93,00,000	3,75,81,575
जोड़ें	89,95,00,000	-
उपयोग	76,31,667	-
प्रतिलेखन	-	3,71,09,615
अंतिम शेष	172,11,68,333	4,71,960

अन्य प्रावधान में वे दावे शामिल हैं जो विभिन्न विधिक मामलों और ऐसी आकस्मिक देयताओं से संबंधित हैं, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है और जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक के विरुद्ध दायर किए जाते हैं।

29	बैंक ने अपने अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है । आवधिक आधार पर इस प्रकार के अरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15/01/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडी बीपीबीसी 85/21.06.200/2013-14 एवं दिनांक 03/06/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडीपीबीसी 116/21.06.200/2013-14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरण से अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए यथा 31 मार्च 2017 तक ₹0.14 करोड़ (गत वर्ष ₹0.21 करोड़) का प्रावधान किया गया है, जिसमें मानक आस्तियों का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा 31 मार्च 2017 तक यू एफ सी ई के सन्दर्भ में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता "शून्य" है (गत वित्तीय वर्ष)
30	निवेशकों की शिकायतें यथा 1 अप्रैल 2016 तक बैंक के पास निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निवेशकों से 6 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा वर्ष के दौरान 6 शिकायतों का निपटान किया गया तथा 31 मार्च 2017 तक कोई शिकायत निपटान हेतु लंबित नहीं है।
31	इंड-एएस का कार्यान्वयन: "भारतीय रिजर्व बैंक के 4 अगस्त 2016 परिपत्र के अनुसार सिडबी को 1 अप्रैल 2018 की लेखा अवधि की शुरुआत से वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा विवरण (इंड एएस) का अनुपालन करना होगा और 30 सितम्बर 2016 से समाप्त छमाही की विवरणी इंड एएस के प्ररूप पर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी। बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की प्रगति को देखने एवं निर्देश देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है। 30 सितम्बर 2016 को समाप्त छमाही की विवरणी इंड एएस के प्ररूप पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है। परामर्शदाता द्वारा सौंपी गई नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट का अध्ययन बैंक कर रहा है । बैंक ने इंड एएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अपने अनुषंगियों में भी शुरू कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा - निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

1. पूंजी पर्याप्तता			
क्रमांक	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी*	लागू नहीं	लागू नहीं
iii)	कुल टियर 1 पूंजी	12,895.49	11,826.83
iv)	टियर 2 पूंजी	–	–
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	12,895.49	11,826.83
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ)	45,371.40	39,607.29
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य इक्विटी में प्रतिशत) *	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत)	28.42%	29.86%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात)	28.42%	29.86%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	15.40	7.59
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूंजी की राशि	44.94	36.98
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसमें से-		
	क) सतत गैर संचयी अधिमान शेयर	-	-
	ख) सतत ऋण लिखत	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूंजी, जिसमें से-		
	क) ऋण पूंजी लिखत	-	-
	ख) सतत संचयी अधिमान शेयर	-	-
	ग) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर	-	-

* चूँकि बासेल III लागू नहीं है, अत: आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है।

(₹ करोड़)

2. निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान			
(क)	**मानक आस्तियों पर प्रावधान**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	मानक आस्तियों(संचयी) पर प्रावधान	318.83	318.83
(ख)	**चल प्रावधान**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	चल प्रावधान खाते में अथशेष	2,333.91	2,639.91
	लेखा वर्ष में किए गए चल प्रावधानों की मात्रा	-	-
	लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि	276.10**	306.00*
	चल प्रावधान खाते में इतिशेष	2,057.81	2,333.91

*भारतीय रिजर्व बैंक के 21 जुलाई 2015 के पत्र डीबीआरएफआईडी संख्या 1164/03.01.11/2015-16 के जरिये प्राप्त अनुमोदन के अनुसार एक उधारकर्ता के खाते के सन्दर्भ में अनर्जक परिसंपत्तियां / अनर्जक निवेश के प्रावधान के लिए राशि का उपयोग किया गया।

**चल प्रावधान पर बैंक की नीति के अनुसार 3 उधार खातों के सन्दर्भ में अनर्जक आस्ति/अनर्जक निवेश के प्रावधान के लिए राशि का उपयोग किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान			
(क)	**अनर्जक अग्रिम**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
i)	**निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)**	**0.44%**	**0.73%**
ii)	**अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन (सकल)**		
	(क) अथशेष	1,008.18	741.11
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	354.03	536.83
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	538.93	269.76
	(घ) अंतिम शेष	823.28	1,008.18
iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन***		
	(क) अथशेष	481.41	431.44
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	(2.75)	94.35
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	176.41	44.38
	(घ) अंतिम शेष	302.25	481.41
iv)	**अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)**		
	(क) अथशेष	526.77	309.67
	(ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	356.78	442.48
	(ग) अधिक प्रावधानों को बट्टे खाते / पुनरांकित करना	362.52	225.38
	(घ) अंतिम शेष	521.03	526.77
	*यदि चल प्रावधान राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी		
(ख)	**अनर्जक निवेश**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
i)	**निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)**	**0.00%**	**1.36%**
ii)	**अनर्जक निवेशों (सकल) में परिवर्तन**		
	(क) अथशेष	621.14	529.85
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	1.27	148.55
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	202.81	57.26
	(घ) अंतिम शेष	**419.60**	**621.14**
iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन**		
	(क) अथशेष	101.26	149.40
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	(62.51)	(38.69)
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	38.75	9.45
	(घ) अंतिम शेष	**0.00**	**101.26**
iv)	**अनर्जक निवेश के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर**		
	(क) अथशेष	519.88	380.45
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	63.78	187.24
	(ग) अधिक प्रावधान को पुनरांकित / बट्टे खाते में डालना	164.06	47.81
	(घ) अंतिम शेष	**419.60**	**519.88**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

(ग)	अनर्जक आस्तियां (क+ख)		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
i)	**निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम+निवेश)(%)**	**0.40%**	**0.80%**
ii)	**अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन (सकल अग्रिम + सकल निवेश)**		
	(क) अथशेष	1,629.32	1,270.96
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	355.30	685.38
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	741.74	327.02
	(घ) अंतिम शेष	**1,242.88**	**1,629.32**
iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन**		
	(क) अथशेष	582.67	580.84
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	(65.26)	55.66
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	215.16	53.83
	(घ) अंतिम शेष	**302.25**	**582.67**
iv)	**अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)**		
	(क) अथशेष	1,046.65	690.12
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	420.56	629.72
	(ग) अधिक प्रावधान को पुनरांकित/बट्टे खाते में डालना	526.58	273.19
	(घ) अंतिम शेष	**940.63**	**1,046.65**

(घ) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावधि में हैं)

ऐसे खातों की संख्या जिनमें एसडीआर अवलंब किया गया है	**रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि**		**जिन खातों में ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि**		**जिन खातों में ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन हो चुका है उनमें रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि**	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
1	-	3.98*	-	-	-	3.98*

*ईक्विटी निवेश की बकाया राशि शामिल है

(ङ) एस डी आर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण(खाते जो अभी सुप्तावस्था अवधि में हैं.)

ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	**रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि**		**जिन खातों में ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन/ बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, उनमें रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि**		**जिन खातों में ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन/ बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, उनमें रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि**		**जिन खातों में नये शेयर जारी कर/अथवा प्रवर्त्तकों के ईक्विटी की बिक्री कर परिवर्तन अभिकल्पित है उनमें रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि**	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(च) परियोजना कार्यान्वयन के अंतर्गत स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो अभी सुप्तावधि में हैं)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या, जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग की तारीख में बकाया रकम		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹करोड़)

3 (छ)	पुनर्संरचित खाते		पुनर्संरचित खातों का प्रकटन																			
क्र.	पुनर्संरचना का प्रकार →		सीडी आर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					योग				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	7	-	7	-	-	-	-	-	91	23	40	-	154	91	23	47	-	161
		बकाया राशि	-	-	328.65	-	328.65	-	-	-	-	-	1,094.21	76.92	81.37	-	1,252.49	1,094.21	76.92	410.01	-	1,581.14
		उन पर किए गए प्रावधान	-	-	1.66	-	1.66	-	-	-	-	-	2.72	1.40	1.72	-	5.84	2.72	1.40	3.38	-	7.50
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	6	1	4	1	-	6
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.21	6.60	17.11	-	38.91	15.21	6.60	17.11	-	38.91
		उन पर किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.20	0.59	-	1.44	0.65	0.20	0.59	-	1.44
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-3		-	2	1	-3	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	2.51	(8.01)		-	5.50	2.51	(8.01)	-	-
		उन पर किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	(0.07)		-	0.07	-	(0.07)	-	-
4	वे पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिन पर वित्त वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भारिता नहीं लगाई जानी है, अतः अगले वित्त वर्ष के आरंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम नहीं दर्शाना है।	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	-					-35				-35	-35				-35
		बकाया राशि	-				-	-					(145.07)				(145.07)	(145.07)				(145.07)
		उन पर किए गए प्रावधान	-				-	-					(1.13)				(1.13)	(1.13)				(1.13)
5	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या		0	-		-	-	-	-	-	-	-12	-7	19	-	-	-12	-7	19	-	-
		बकाया राशि		-	-		-	-	-	-	-	-	(61.06)	9.51	51.55	-	-	(61.06)	9.51	51.55	-	-
		उन पर किए गए प्रावधान		-	-		-	-	-	-	-	-	(0.35)	0.11	0.24	-	-	(0.35)	0.11	0.24	-	0.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹करोड़)

3 (छ)	पुनर्संरचित खातों का प्रकटन																					
क्र.	पुनर्संरचना का प्रकार →		सीडी आर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					योग				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
6	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या			-1		**-1**	–	–	–	–	–	-18	-4	-18		**-40**	-18	-4	-19	–	**-41**
		बकाया राशि			(139.96)		**(139.96)**	–	–	–	–	–	(704.11)	(31.99)	(44.99)		**(781.09)**	(704.11)	(31.99)	(184.96)	–	**(921.06)**
		उन पर किए गए प्रावधान			(1.66)		**(1.66)**	–	–	–	–	–	(0.99)	(1.45)	(1.08)		**(3.52)**	(0.99)	(1.45)	(2.74)	–	**(5.18)**
7	31 मार्च को समाप्त विव को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	–	–	6	–	**6**	–	–	–	–	–	29	17	39	–	**85**	29	17	45	–	**91**
		बकाया राशि	–	–	188.68	–	**188.68**	–	–	–	–	–	204.67	63.54	97.03	–	**365.24**	204.67	63.54	285.71	–	**553.92**
		उन पर किए गए प्रावधान	–	–	-	–	**-**	–	–	–	–	–	0.97	0.26	1.39	–	**2.63**	0.97	0.26	1.39	–	**2.63**

*मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर , जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)

टिप्पणी : क्रमांक 2 के आंकड़ों में मौजूदा उधारकर्ताओं के संबंध में ₹2.46 करोड़ की बकाया राशि में वृद्धि तथा ₹1.26 करोड़ का प्रावधान शामिल है. क्रमांक 6 के आंकड़ों में ₹761.18 करोड़ (29 उधारकर्ता) तथा ₹4.67 करोड़ के प्रावधान की राशि शामिल है जो वसूली के रूप में मौजूदा संरचित में / से कमी / वसूली है.

(₹करोड़)

(ज)	वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना संबंधी प्रकटन				
अवधि	उन उधारकर्ताओं की संख्या, जिनकी लचीली संरचना की गई	लचीली संरचना के लिए ली गयी ऋण राशि		ऋण को लचीली संरचना में लेने के दौरान एक्सपोजर भारित औसत	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने के पूर्व	लचीली संरचना लागू करने के बाद
पिछले वर्ष 2015-16	1	52.87	-	15.99	22.49
चालू वर्ष 2016-17	-	-	-	-	-

(झ)	यथा 31 मार्च 2017 दबावग्रस्त आस्तियों (एस 4 ए) टिकाऊ संरचना योजना का प्रकटन			
खातों की संख्या जहाँ एस 4 ए लागू किया गया है	सकल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग क में	भाग ख में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	-	-	-	-
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	-	-	-	-

(₹करोड़)

(ञ)	अनर्जक आस्तियों की प्रगति		
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
	यथा 1अप्रैल 2016 सकल अनर्जक आस्तियां	1,629.32	1,270.96
	वर्ष के दौरान अतिरिक्त (नई अनर्जक आस्तियां)	355.30	685.38
	उप योग (क)	1,984.62	1,956.34
	घटाएं		
	(i)उन्नयन	40.13	12.33
	(ii) वसूलियाँ (उन्नयनकृत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़ कर)	220.62	115.96
	(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टा खाता	294.35	198.73
	(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए*	186.64	-
	उप योग (ख)	741.74	327.02
	यथा 31 मार्च 2017 को सकल अनर्जक आस्तियां (क - ख)	1,242.88	1,629.32

*निवेश के तहत अग्रिमों और वास्तविक बट्टे खाते में डाली गयी राशि (₹163.60 करोड़) एवं ऋण खाते की (₹23.94 करोड़) की आस्ति वसूली कंपनी को बिक्री

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

(ट)	**बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	यथा 1 अप्रैल 2016 तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में अथशेष	1,377.70	1,233.02
	जोड़िए : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	294.35	198.73
	उप योग (क)	**1,672.05**	**1,431.75**
	घटाएं : वास्तविक बट्टे खाते	51.85	0.88
	घटाएं : वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गयी वसूलियाँ	46.52	53.17
	उप योग (ख)	**98.37**	**54.05**
	31 मार्च 2017 (क-ख) को अंतिम शेष	**1,573.68**	**1,377.70**
(ठ)	**विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	कुल आस्तियां		-
	कुल अनर्जक आस्तियाँ		
	कुल राजस्व		
(ड)	**निवेश एवं मूल्य ह्रास पर प्रावधान**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(1) निवेश		
	(i) सकल निवेश	**8,225.90**	**8,005.90**
	(क) भारत में	8,225.90	8,005.90
	(ख) भारत के बाहर	-	-
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**467.74**	**570.04**
	(क) भारत में	467.74	570.04
	(ख) भारत के बाहर	-	-
	(iii) निवल निवेश	**7,758.16**	**7,435.86**
	(क) भारत में	7,758.16	7,435.86
	(ख) भारत के बाहर	-	-
	(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
	(I) अथशेष	**50.16**	**65.95**
	(ii) जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
	(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई विनियोजन, यदि हो	-	-
	(iv) घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बट्टे खाते में डाले गए	-	-
	(v) घटाएं : निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण, यदि हो	2.02	15.79

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

(vi)	अंतिम शेष	48.14	50.16
	* निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति अंतरण में से वित्त वर्ष 2016-17 का ₹3.89 करोड़ का प्रावधान तथा 2015-16 का ₹11.65 करोड़ का प्रावधान कम कर दिया गया है।		
(ढ)	**प्रावधान एवं आकस्मिकताएं**		
	लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	(24.50)#	(75.22)#
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	103.80#	296.91#
	आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति /देयता सहित)	567.29	459.01
	(अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं) (विवरण सहित)	0.00	3.46$
	# चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन-घटाकर		
	$ मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		
(ण)	**कवरेज अनुपात के लिए प्रावधान (पीसीआर)**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	कवरेज अनुपात के लिए प्रावधान (पीसीआर)*	87%	79%
	* कवरेज अनुपात के लिए प्रावधान के परिकलन के समय चल प्रावधान पर विचार नहीं किया गया		
4.	**निवेश पोर्टफोलियो : संगठन एवं परिचालन**		

(क)	**रेपो संव्यवहार**	**वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया**	**यथा 31 मार्च 2017 को बकाया**
	रेपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
	i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
	ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
	रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
	i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
	ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता के संघटन का प्रकटीकरण

जारीकर्ता	**राशि**	**राशि**			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	**निवेश ग्रेड से निचे की धारित प्रतिभूति**	**बिना रेटिंग की धारित प्रतिभूति**	**असूचीबद्ध प्रतिभूति**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	584.12	-	-	-	-
वित्तीय संस्थायें	314.04	99.99	-	61.73	86.18
बैंक	1,493.95	115.00	-	-	-
निजी कंपनियाँ	1,081.99	308.86	-	392.71	352.59
अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	1,751.05	1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
अन्य	2,599.50	746.73	-	746.73	2,599.50
मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(463.29)				
जोड़	**7,361.36**	**3,021.63**	-	**2,952.22**	**4,789.32**

(ग)	**एच टी एम श्रेणी को/से प्रतिभूति की विक्री एवं अंतरण:**
	भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने एचटीएम से एएफएस श्रेणी में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश को रूपांतरित किया है। उक्त के अलावा एचटीएम श्रेणी को/से कोई निवेश अंतरित नहीं किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

5.	**खरीदी गयी / बेची गयी आस्तियों का विवरण**		
(क)	आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गयी आस्तियों का विवरण		
	(I) बिक्री के विवरण		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16***
	(i) खातों (उधारकर्ताओं) की संख्या	1	-
	(ii) एस सी /आर सी को बेचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	13.17	-
	(iii) सकल प्रतिफल	27.66	-
	(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0	-
	(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ / हानि	14.49	-
	* वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ₹7.02 करोड़ (ब्याज अन्य देय राशियाँ सहित मूलधन) को विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाला गया एक उधार खाता 5.25 करोड़ के सकल प्रतिफल पर ए आर सी को बेचा गया.		
	(ii) प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य के विवरण		
	विवरण	**प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य**	
		वित्तीय वर्ष 2016-17	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(I) अंतर्निहित के रूप में एआईएफआई द्वारा बेचा गया और अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	9.49	-
	(ii) अंतर्निहित रूप में बैंकों द्वारा बेचा गया / अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	-
	योग	9.49	-
	(ख) खरीदी गयी /बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण		
	(I) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
	(ख) सकल बकाया	-	-
	2. (क) वर्ष के दौरान इन संरचित खातों की संख्या	-	-
	(ख) सकल बकाया	-	-
	(ii) बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	बेचे गए खातों की संख्या	1	-
	सकल बकाया	23.04	-
	सकल प्राप्त प्रतिफल	27.66	-
6.	**परिचालन परिणाम**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(I) औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत	7.68	8.34
	(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	0.35	0.37
	(iii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधान पूर्व)	2.24	2.80
	(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व)	2.14	2.46
	(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	0.96	1.11

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹करोड़)

7.	**क्रेडिट सघनता जोखिम**		
	(क) पूंजी बाजार एक्सपोजर		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो.	537.72	458.58
	(ii) शेयरों / बांडों /ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश	-	-
	(iii) किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	-	-
	(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से सुरक्षित है और जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है	-	-
	(v) स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की ओर से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ जारी करना	-	-
	(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
	(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
	(viii) शेयरों की प्राथमिक निर्गम या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचअल निधियों के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी अंकन प्रतिबद्धता		
	(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
	(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्सपोजर	746.72	564.62
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**1,284.44**	**1,023.20**
	(ख) देश जोखिम को एक्सपोजर		
	पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का विदेश में कोई एक्सपोजर नहीं था.		
	(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमायें - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता ऋण सीमा/ सामूहिक उधारकर्ता ऋण सीमा को बढ़ाया जाना		
	(I) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)		

क्रमांक	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग नाम	क्षेत्र	निधि राशि	गैर निधि राशि	पूंजी निधियों प्रतिशत के रूप में एक्सपोजर
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ii) पूंजी निधियों का प्रतिशत के रूप में ऋण एक्स्पोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उसका प्रतिशत, के सम्बन्ध में

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2015-16	
		कुल आस्तियों का %	कुल पूंजी निधियों का %	कुल आस्तियों का %	पूंजी निधियों का %
	1. सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	18.70	115.54	10.25	66.30
	सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं , उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
	2. 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	77.23	477.19	63.88	413.11
	20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं , उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹करोड़)

iii) कुल ऋण आस्तियों में पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2015-16	
उद्योग का नाम	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का %	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का %
परिवहन उपकरण	1,887.10	2.76	1,474.46	2.25
वस्त्र उद्योग (जूट भी शामिल)	1,202.62	1.76	1,045.63	1.59
धातु उत्पाद	1,196.79	1.75	892.23	1.36
होटल	696.67	1.02	660.96	1.01
रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद	674.80	0.99	508.54	0.77

iv) यथा 31 मार्च 2017 कुल अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अनुज्ञप्तियां , प्राधिकार आदि लिया गया है वह ₹52.01 करोड़ है और यथा 31 मार्च 2017 अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य 30 करोड़ है.

v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था.

vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया

(घ) उधारकर्ताओं / ऋण व्यवस्था , ऋण एक्सपोजर एवं अनर्जक आस्तियां उधारियों / ऋण व्यवस्था का संकेन्द्रण

(i) उधारियों / ऋण व्यवस्था का संकेन्द्रण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	44,425.40	42,158.58
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	74.91%	72.77%

(ii) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	51,430.65	48,434.65
कुल अग्रिमों का बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	75.31%	73.80%
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	62,136.93	52,057.56
कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	66.65%	64.06%

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

	(iii) एक्सपोजर एवं अनर्जक आस्तियां का क्षेत्रवार संकेन्द्रण						
क्रमांक	क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2016-17			वित्तीय वर्ष 2015-16		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
i)	औद्योगिक क्षेत्र	59,051.33	823.28	1.39%	58,285.09	690.29	1.18%
1	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकारें		-	-	-	-	-
4	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	861.13	1.10	0.13%	1250.86	2.26	0.18%
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	47,058.22	-	0.00%	45,295.30	-	0.00%
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-
7	सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
8	निजी क्षेत्र	11,131.98	822.18	7.39%	11,738.93	688.03	5.86%
ii.	अल्प वित्त क्षेत्र	2,307.51	-	0.00%	2,196.24	317.89	14.47%
iii.	अन्य*	7,451.83	-	0.00%	5,677.55	-	0.00%
	योग (i+ii+iii)	**68,810.67**	**823.28**	**1.20%**	**66,158.88**	1,008.18	1.52%
	* लघु वित्त बैंक एवं गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं।						

8.	**व्युत्पन्नियाँ**		
	(क) वादा दर करार / ब्याज दर विनिमय		
क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
i)	विनिमय करारों का आनुमानिक मूल्य	-	-
ii)	इस करार के तहत अन्य प्रतिपक्षकरों द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	-	-
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक	-	-
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	-	-
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	-	-
	(ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ		
क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
I)	वर्ष के दौरान लिए गए विनिमय व्यपारित ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	-	-
ii)	यथा 31 मार्च बकाया विनिमय व्यपारित ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	-	-
iii)	बकाया विनिमय व्यपारित ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि और "अत्यन्त प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	-	-
iv)	बकाया विनिमय व्यपारित ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और "अत्यन्त प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

	(ग) व्युत्पन्नों में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटीकरण
i)	**गुणात्मक प्रकटीकरण**
1)	बैंक अपनी आस्तियों एवं देयताओं के असंतुलन से हुए ब्याज दर तथा विनिमय जोखिम की बचाव व्यवस्था व्युत्पन्न का इस्तेमाल करके करता है. बैंक के सभी व्युत्पन्न उन विदेशी मुद्रा उधार के प्रति जोखिम बचाव के लिए है, जो एमटीएम नहीं हैं, किन्तु केवल परिवर्तित हैं, बैंक व्युत्पन्नों का व्यापार नहीं करता है।
2)	आंतरिक नियंत्रण दिशा- निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित की जाती है। व्युत्पन्न संरचनाओं का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद किया जाता है। व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है।
3)	व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने व्यवस्था बना रखी है। व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखाकरण करने के लिए बैंक प्रोद्भवन विधि का पालन करता है।
ii)	गुणात्मक प्रकटीकरण

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2015-16	
		मुद्रा व्युत्पन्नियाँ	ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ	मुद्रा व्युत्पन्नियाँ	ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ
1	व्युत्पन्नियाँ / (आनुमानिक मूल राशि)	9,108.09	-	7,891.12	-
(i)	बचाव के लिए	9,108.09	-	7,891.12	-
(ii)	व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित	(122.27)	-	318.52	-
(i)	आस्तियां (+)	(122.27)	-	318.52	-
(ii)	देयताएं (-)	-	-	-	-
3	ऋण एक्सपोजर	747.61	-	874.20	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पी वी 01)	204.22	-	228.39	-
(i)	बचाव व्युत्पन्नों पर	204.22	-	228.39	-
(ii)	व्यापार व्युत्पन्नों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100* पी वी 01	-	-	-	-
(i)	बचाव पर	258.27/204.22	-	228.39/161.58	-
(ii)	व्यापार पर	-	-	-	-

9.	एआई एफ आई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण
	वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं के विवरण निम्न प्रकार से हैं-

	यथा 31 मार्च 2016 को एलओसी का बकाया		वर्ष के दौरान जारी एलओसी		वर्ष के दौरान भुनाई गयी एलओसी		यथा मार्च 31, 2017 बकाया एलओसी	
	एल ओ सी की संख्या	राशि	एलओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि
	2	3.27	5	10.41	6	11.88	1	1.80

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

10.	**आस्ति देयता प्रबन्धन**									
		1 से 14 दिन	**15 से 28 दिन**	**29 दिन से 3 महीना**	**3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक**	**6 महीनेसे अधिक एवं 1 वर्ष तक**	**1वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक**	**3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक**	**5 वर्ष से अधिक**	**योग**
	जमा	10	4	87	107	393	14,244	516	500	15,862
	अग्रिम	897	4,123	5,519	6,773	10,644	25,576	12,228	2,530	68,290
	निवेश	1,853	0	25	24	350	0	609	4,897	7,758
	उधारियां	1,772	3,925	11,151	53	4,617	10,600	4,449	6,876	43,443
	विदेशी मुद्रा आस्तियां	18	31	177	104	224	992	470	995	3,011
	विदेशी मुद्रा देयताएं	0	0	381	53	455	2,683	2,076	5,574	11,222

11.	**आराक्षितियों से आहरित**		
	पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आराक्षितियों से कोई राशि आहरित नहीं की गयी.		
12.	**व्यवसाय अनुपात**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर पर प्रावधान से पूर्व)	13.70	15.72
	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर पर प्रावधान से पूर्व)	2.14	2.46
	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹करोड़)	0.96	1.11
13.	**भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण**		
	पिछले वर्ष और न ही इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया		
14.	**ग्राहक शिकायतें**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2	5
	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	67	59
	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	67	62
	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2	2
15.	**एस पी वी प्रायोजित तुलन पत्रेतर**		
	पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलनपत्रेतर आंकड़ा नहीं है		
16.	**विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण**		
	(क) लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ पर हानि, पूर्व अवधि के मद और लेखांकन नीतियों में परिवर्त		
	अनुसूची XIII में आय - वि व 2016-17 के दौरान अन्य आय में ₹1,78,32,983 की अवधि पूर्व की आय शामिल है जिसमें [पिछले वर्ष (₹49,07,708)और अनुसूची XIV में वर्णित अन्य आय विव 2016-17 के (₹41,27,095) के अवधि पूर्व के परिचालनगत व्यय में पिछले वर्ष (₹1,80,56,736)] का व्यय शामिल है.		

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

	(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग
	जैसा कि लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है , बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है. चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अत: रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है. बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त और ट्रेजरी - ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं. ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप , संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा वर्गीकृत किया गया है.

	भाग क : कारोबारी खंड								
	कारोबारी खंड	बड़े परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		बड़े परिचालन (पुनर्वित्त)		राजकोष		योग	
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016
1	खंड राजस्व	1,243	1,362	4,577	3,878	526	545	6,346	5,785
	असाधारण मदें							-	-
	योग							6,346	5,785
2	खंड परिणाम	46	183	1,612	1,441	168	150	1,826	1,774
	असाधारण मदें							-	-
	योग							1,826	1,774
	अविनिधानीय खर्चे							139	138
	परिचालन लाभ							1,687	1,636
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							567	459
	निवल लाभ							1,120	1,177
	अन्य सूचना								
	खंड आस्तियां	10,709	11,490	59,097	54,945	8,841	8,768	78,647	75,203
	अविनिधानीय आस्तियां							1,035	1,275
	कुल आस्तियां							79,682	76,478
	खण्ड देयताएं	7,497	8,108	52,034	48,915	5,037	6,246	64,568	63,269
	अविनिधानीय देयताएं							1,794	1,894
	योग							66,362	65,163
	पूंजी /आरक्षितियाँ	3,215	3,339	6,372	5,530	3,733	2,446	13,320	11,315
	योग							13,320	11,315
	कुल देयताएं							79,682	76,478
	भाग ख : भौगोलिक खंड - शून्य								

	(ग) लेखांकन मानक 18 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण						
	मदें /संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार अथवा नियन्त्रण)	अनुषंगी	सहयोगी /संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक @	मुख्य प्रबंध कार्मिक के संबंधी	योग
	उधारियां #						
	वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
	जमा#						
	वर्ष के अंत में बकाया		60.46	-	0.26		60.72

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा -निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

(₹ करोड़)

	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	60.46	-	0.41	-	60.87
	जमा स्थान						
	वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
	अग्रिम						
	वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
	निवेश#						
	वर्ष के अंत में बकाया		1,751.05	28.60	-		1,779.65
	वर्ष के दौरान अधिकतम		1,751.05	28.60	-		1,779.65
	गैर निधीकरण वचनबद्धताएं						
	वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
	ली गयी पट्टा व्यवस्था #						
	वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
	उपलब्ध काराई गयी पट्टा व्यवस्था#						
	वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
	अचल आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
	अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-
	भुगतान किया गया ब्याज	-	3.54	-	0.02	-	3.56
	प्राप्त ब्याज	-	-	4.92	-	-	4.92
	सेवा देना*	-	5.24	1.48	-	-	6.72
	सेवाओं की प्राप्ति*	-	-	-	-	-	-
	करारों का प्रबंध*	-	-	-	0.68**	-	0.68
	@निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक						
	#वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटन किया जाना है						
	* करार गत सेवाएं आदि किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएं नहीं हैं						
	** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक						
17.	**पेंशन एवं उपदान देयताओं का अपरिशोधन**						
	पेंशन एवं उपदान देयतओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। बीमांकिक लाभ /हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिए जाता है, उनका परिशोधन नहीं होता है						

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पर

कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101569डब्ल्यू

यू. जे. लालवानी
मुख्य महाप्रबंधक
(निगम लेखा वर्टिकल)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

दर्शित दोशी
साझेदार
एम सं. 133755

मुंबई, मई 18, 2017

सत्यानंद मिश्रा
निदेशक

आर. रामचन्द्रन
निदेशक

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹)

31 मार्च, 2016	विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1636,47,21,187	लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		1687,46,83,051
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
14,03,49,020	मूल्यह्रास	20,05,08,564	
115,71,97,341	निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान	61,30,31,066	
203,27,28,042	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	178,24,55,144	
(127,72,09,428)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(144,29,13,742)	
(36,54,403)	स्थिर आस्थिओं की बिक्री से लाभ	(35,54,143)	
(13,35,20,358)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(18,02,93,561)	96,92,33,327
1828,06,11,401	**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		1784,39,16,378
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन		
(622,93,43,579)	चालू आस्तियाँ	(345,61,29,798)	
120,43,15,792	चालू देयताएँ	(503,77,84,236)	
568,94,34,285	विनिमय बिल	404,85,71,508	
(11074,23,44,445)	ऋण एवं अग्रिम	3055,75,66,206)	
11683,81,21,162	बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	1086,22,06,929	
2128,30,59,911	प्राप्त जमा	286,79,89,717	
2804,32,43,126	.		(2127,27,12,087)
4632,38,54,527			(342,87,95,709)
(585,00,47,507)	कर अदायगी	(673,92,53,652)	(673,92,53,652)
4047,38,07,020	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		(1016,80,49,361)
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(17,92,51,251)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/विक्रय	(15,01,82,785)	
(4539,91,71,680)	निवेशों का निवल (क्रय)/विक्रय/शोधन	1764,78,04,520	
13,35,20,358	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	18,02,93,561	
(4544,49,02,573)	**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		1767,79,15,295
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
750,00,00,000	शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	1000,00,00,000	
(134,63,89,870)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(112,72,63,816)	
615,36,10,130	**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		887,27,36,184

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹)

31 मार्च, 2016	विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017
118,25,14,577	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी)**		**1638,26,02,118**
1078,53,89,874	**5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**1196,79,04,451**
1196,79,04,451	**6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**2835,05,06,570**
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी-तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,68,296	हाथ में नकदी		6,75,054
28,06,91,058	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		27,89,24,263
12,27,85,059	म्यूचुअल फ़ंड		1852,75,73,354
1156,37,60,038	जमाराशियाँ		954,33,33,899

टिप्पणी: नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ए एस - 3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ **XV**

लेखा टिप्पणियाँ **XVI**

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पर

कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
एफआरएन 101569डब्ल्यू

यू . जे. लालवानी
मुख्य महाप्रबंधक
निगम लेखा वर्टिकल

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

दर्शित दोशी
साझेदार
एम सं. 133755

मुंबई, मई 18, 2017

सत्यानंद मिश्रा
निदेशक

आर. रामचन्द्रन
निदेशक

भारतीय
लघु उद्योग
विकास बैंक

परिशिष्ट - II

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक) तथा इसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं (बैंक, उसके सहायक एवं सहयोगी घटक मिलकर 'समूह' बनते हैं) के 31 मार्च 2017 तक के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2017 का तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखा-नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना ('समेकित वित्तीय विवरण') शामिल हैं ।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धान्तों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले घटकों के बारे में अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बैंक का प्रबन्धन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए लेखांकन के पर्याप्त अभिलेख रखा जाना, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय तथा अनुमान लगाना तथा ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, क्रियान्वित व अनुरक्षित करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की दृष्टि से प्रभावपूर्ण तरीके से काम करते हों और जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक हों, जो सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हों तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश संभावित तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त हों, और जैसाकि पहले कहा गया, जिनका उपयोग बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है जो हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा-मानकों के अनुरूप संपन्न की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि आश्वस्त हुआ जा सके कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखा-परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का समावेश रहता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखा-धड़ी से अथवा त्रुटिवश तथ्यात्मक मिथ्या-कथन के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा-परीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा-प्रक्रियाएं तैयार की जाएं जो उक्त परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। किन्तु इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर कोई राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा-परीक्षकों ने नीचे दिए गए 'अन्य मामले' शीर्षक परिच्छेद में उल्लिखित अपनी रिपोर्ट के अनुसार लेखा-परीक्षा के जो प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में लेखा-परीक्षा संबंधी हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मंतव्य

हमारे मत में और हमारी अधिकतम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसाकि नीचे दिए गए 'अन्य मामले' शीर्षक परिच्छेद में उल्लिखित है, सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के विभिन्न वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के संबंध में अन्य लेखा- परीक्षकों की रिपोर्ट के मद्देनज़र, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हैं:

- i) समूह के कामकाज के यथा 31 मार्च 2017 के समेकित तुलनपत्र के मामले में
- ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के लाभ के लिए समेकित लाभ-हानि लेखा विवरण के मामले में
- iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में

बलाधीन विषय

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं-

1) 6 सहयोगी संस्थाओं के गैर-समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध I की टिप्पणी संख्या 4ख और 4घ, जिसमें प्रबन्धन के अनुसार निवेशों की राशि वसूली योग्य नहीं है और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

2) 6 सहयोगी संस्थाओं के गैर-समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध I की टिप्पणी संख्या 4ग और 4 घ, जो प्रबन्धन के अनुसार महत्त्वपूर्ण घटक नहीं हैं और इसलिए समेकन के लिए उनपर विचार नहीं किया गया है।

   इस मामले के सम्बन्ध में हमारे मत का कोई प्रयोजन नहीं है।

अन्य मामले

हमने 3 सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा नहीं की। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के इनके वित्तीय विवरण में ₹10207,47,44,150/- की कुल आस्तियाँ, ₹552,98,48,646/- का कुल राजस्व और ₹(292,24,95,831/-) का निवल नकदी प्रवाह द्रष्टव्य है, जो समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है। हमने 1 सहयोगी संस्था के वित्तीय विवरण की भी लेखा-परीक्षा नहीं की, जिसका 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में समूह में निवल लाभ का हिस्सा ₹66,41,010/- का था, जो मार्च 2016 को समाप्त उसके लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित था, और जिसे समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है। ये वित्तीय विवरण एवं अन्य वित्तीय सूचनाएं अन्य लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित हैं, जिनकी रिपोर्ट प्रबन्धन ने हमें प्रदान की है, और जहाँ तक इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समाहित राशियों और प्रकटनों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी राय और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया दूसरे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का ₹27,00,833/- का निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल किया गया है, जो 4 सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है, जिनके वित्तीय विवरण की हमने लेखा-परीक्षा नहीं की है। उक्त वित्तीय विवरण गैर-लेखा-परीक्षित हैं और हमें प्रबन्धन द्वारा प्रदान किए गए हैं और जहाँ तक

उन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समाहित राशियों और प्रकटनों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी राय और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया ऐसे गैर-लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है। यदि उपर्युक्त सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा की गई होती तो उसके परिणामस्वरूप यथा 31 मार्च 2017 समूह के लाभ के हिस्से पर क्या प्रभाव पडा होता, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में और प्रबन्धन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए अर्थगर्भित नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, दूसरे लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा उनकी रिपोर्टों और प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता की दृष्टि से इस संबंध में प्रासंगिक नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं किः

1. बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)21, "समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक (एएस)23, "सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन" की अपेक्षानुरूप तथा बैंक, उसकी सहायक और सहयोगी संस्थाओं के पृथक-पृथक वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए हैं।

2. हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

3. हमारी राय में, जहाँ तक उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में अपेक्षित खाता-बहियों की जाँच से और अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है, उक्त खाता-बही तैयार करने संबंधी कानून के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त खाता-बही रखी गई हैं।

4. इस रिपोर्ट के संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ-हानि खाता विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखी गई खाता-बहियों के अनुरूप हैं।

5. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

कृते बोरकर एंड मजूमदार

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 101569डब्ल्यू

दर्शित दोषी

साझेदार

सदस्यता सं. 133755

स्थानः मुम्बई

दिनांकः 18 मई 2017

31 मार्च, 2017 का समेकित तुलन-पत्र

(₹)

पूँजी एवं देयताएँ	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
पूँजी	I	531,92,20,309	486,98,22,500
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां	II	13300,14,67,502	11230,06,69,051
जमा	III	23986,92,17,622	20575,12,27,905
उधार	IV	43382,44,06,602	42356,68,51,125
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	6867,61,06,996	6925,96,89,195
आस्थगित कर देयता		21,60,46,642	41,74,30,482
योग		**88090,64,65,673**	**81616,56,90,258**
आस्तियां			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	3151,65,20,257	3285,38,58,558
निवेश	VII	7939,51,07,745	7126,29,58,093
ऋण एवं अग्रिम	VIII	74241,79,39,816	68873,79,41,265
स्थिर आस्तियां	IX	205,93,43,964	210,57,37,391
अन्य आस्तियां	X	2551,75,53,891	2120,51,94,951
योग		**88090,64,65,673**	**81616,56,90,258**
आकस्मिक देयताएं	XI	10011,96,46,746	10410,76,98,369

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणियाँ (अनुबंध I)
उक्त अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
एफआरएन.101569 डब्ल्यू

दर्शित दोशी
साझेदार
एम. सं. 133755
मुंबई, मई 18, 2017

यू. जे. लालवानी
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा वर्टिकल)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

सत्यानंद मिश्रा
निदेशक

आर. रामचंद्रन
निदेशक

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि खाता

(₹)

आय	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
ब्याज एवं बट्टा	XII	6508,49,00,033	5879,07,90,854
अन्य आय	XIII	379,81,19,063	281,20,57,033
योग		**6888,30,19,096**	**6160,28,47,887**
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		4386,47,21,888	3745,39,10,605
परिचालन व्यय	XIV	547,24,19,960	431,85,65,251
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		91,58,70,357	2,34,87,18,729
योग		**5025,30,12,205**	**4412,11,94,585**
कर-पूर्व लाभ		**1863,00,06,891**	**1748,16,53,302**
आयकर के लिए प्रावधान		655,15,17,517	582,33,90,333
आस्थगित कर-समायोजन [(आस्ति)/देयता]		(20,13,83,841)	(80,77,02,628)
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा		93,41,843	1,57,86,774
कर-पश्चात लाभ		**1228,92,15,058**	**1248,17,52,371**
अग्रानीत लाभ		72,65,74,101	61,30,43,673
कुल लाभ/(हानि)		**1301,57,89,159**	**1309,47,96,044**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		1000,60,00,000	1011,66,00,000
आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		70,00,00,000	80,00,00,000
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति का अंतरण		21,56,73,919	13,18,69,340
अन्य			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		2,02,40,173	15,78,97,722
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		2,00,00,000	1,00,00,000
विकास निधि		-	
शेयरों पर लाभांश		93,93,08,909	94,68,10,409
लाभांश पर कर		19,12,21,193	20,50,44,472
अग्रानीत लाभ-हानि खाते में अधिशेष		92,33,44,965	72,65,74,101
योग		**1301,57,89,159**	**1309,47,96,044**
प्रति शेयर मूल/विलयित अर्जन		23.55	26.37

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणियाँ (अनुबंध I)
उक्त अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
एफआरएन.101569 डब्ल्यू

दर्शित दोशी
साझेदार
एम. सं. 133755

मुंबई, मई 18, 2017

यू. जे. लालवानी
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा वर्टिकल)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

सत्यानंद मिश्रा
निदेशक

आर. रामचंद्रन
निदेशक

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अनुसूची I	पूंजी		
	(क) प्राधिकृत पूंजी		
	- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर	750,00,00,000	750,00,00,000
	- अधिमान शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर	250,00,00,000	250,00,00,000
	(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी - ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	531,92,20,309	486,98,22,500
	-अधिमान शेयर पूंजी	-	-
	योग	531,92,20,309	486,98,22,500
अनुसूची II	आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां		
	क) आरक्षितियां		
	i) सामान्य आरक्षितियां		
	-अथ शेष	8670,72,65,377	7658,27,79,622
	-वर्ष के दौरान परिवर्धन	1055,88,76,092	1012,44,85,755
	-वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	-इति शेष	**9726,61,41,469**	**8670,72,65,377**
	ii) शेयर प्रीमियम		
	- अथ शेष	713,01,77,500	-
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	955,06,02,190	713,01,77,500
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इति शेष	**1668,07,79,690**	**713,01,77,500**
	iii) विशेष आरक्षितियां		
	क) निवेश आरक्षिति		
	- अथ शेष	55,19,63,645	55,19,63,645
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	- वर्ष के दौरान उपयोग	55,19,63,645	-
	- इति शेष	-	55,19,63,645
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
	- अथ शेष	1357,00,00,000	1277,00,00,000
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	70,00,00,000	80,00,00,000
	- वर्ष के दौरान उपयोग		-
	- इति शेष	**1427,00,00,000**	**1357,00,00,000**

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित संबिधिक आरक्षिति		
	- अथ शेष	13,18,69,340	-
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	21,56,73,919	13,18,69,340
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इति शेष	34,75,43,259	13,18,69,340
	घ) अन्य आरक्षितियाँ		
	- अथ शेष	68,35,45,852	52,56,48,130
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,02,40,173	15,78,97,722
	- वर्ष के दौरान उपयोग		
	- इति शेष	70,37,86,025	68,35,45,852
	ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	**92,33,44,965**	**72,65,74,101**
	ग) निधियाँ		
	क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
	- अथ शेष	255,40,61,491	254,08,68,273
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	89,24,580	1,31,93,218
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इति शेष	256,29,86,071	255,40,61,491
	ख) स्टाफ कल्याण निधि		
	- अथ शेष	24,52,11,745	22,70,56,982
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,00,00,000	3,36,40,020
	- वर्ष के दौरान उपयोग	1,83,25,722	1,54,85,257
	- इति शेष	**24,68,86,023**	**24,52,11,745**
	ग) अन्य	-	-
	योग	**13300,14,67,502**	**11230,06,69,051**
अनुसूची III	**जमा**		
	क) सावधि जमा	**2048,37,42,622**	**825,12,27,905**
	ख) बैंको से		
	क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	9000,00,00,000	10000,00,00,000
	ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	1500,00,00,000	1750,00,00,000
	ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
	घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	500,00,00,000	500,00,00,000
	ङ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	2813,54,75,000	2500,00,00,000
	च) प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित अंतराल के अंतर्गत	8125,00,00,000	500,00,00,000
	उप-योग (ख)	**21938,54,75,000**	**19750,00,00,000**
	योग	**23986,92,17,622**	**20575,12,27,905**

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अनुसूची IV	**उधारियां**		
	i)भारत में उधारियां		
	क) भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
	ख) भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	2250,10,65,132	2356,12,00,839
	ग) बॉण्ड एवं डिबेंचर	9301,00,00,000	13077,60,00,000
	घ) अन्य स्रोतों से		
	- वाणिज्यिक पत्र	17580,00,00,000	9090,00,00,000
	- जमा प्रमाण पत्र	1014,53,48,550	3081,00,00,000
	- बैंकों से सावधि ऋण	643,37,83,119	760,73,58,503
	- सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
	- अन्य	1371,89,34,746	2149,42,56,515
	उप-योग (i)	**32160,91,31,547**	**30514,88,15,857**
	ii) भारत से बाहर उधारियां		
	(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	1382,11,29,853	1714,36,44,616
	(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	4335,71,46,562	4832,53,51,698
	(ग) आईएफएडी, रोम	112,73,11,009	131,44,98,429
	(घ) विश्व बैंक	4982,91,45,632	4661,92,78,563
	(ङ) अन्य .	408,05,41,999	501,52,61,962
	उप-योग (ii)	**11221,52,75,055**	**11841,80,35,268**
	योग (i+ii)	**43382,44,06,602**	**42356,68,51,125**
अनुसूची V	**अन्य देयताएं व प्रावधान**		
	उपचित ब्याज	288,58,29,371	266,45,52,527
	अन्य (प्रावधान सहित)	4680,98,03,175	4817,06,23,603
	विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1444,76,15,756	1398,70,64,312
	मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	340,23,28,592	328,55,93,872
	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	113,05,30,102	115,18,54,881
	योग	**6867,61,06,996**	**6925,96,89,195**
	आस्तियाँ	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**
अनुसूची VI	**नकदी और बैंक अतिशेष**		
	1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,83,614	6,74,499
	2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
	(क) भारत में		
	i) चालू खातों में	27,87,20,038	27,90,41,457
	ii) अन्य निक्षेप खातों में	2404,53,14,166	2408,75,33,062
	(ख) भारत से बाहर		
	i) चालू खातों में	4,51,902	20,48,368
	ii) अन्य निक्षेप खातों में	719,13,50,537	848,45,61,172
	योग	**3151,65,20,257**	**3285,38,58,558**

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	आस्तियाँ	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अनुसूची VII	**निवेश [प्रावधानों को घटाकर]**		
	क) राजकोषीय परिचालन		
	1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	396,80,00,401	685,91,44,458
	2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	23,95,12,137	23,95,12,137
	3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	1097,74,52,685	2359,82,58,840
	4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	248,80,48,275	248,80,48,275
	5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	-	-
	6. अन्य	3202,75,73,351	2505,70,59,819
	उप-योग (क)	**4970,05,86,849**	**5824,20,23,529**
	ख) व्यवसाय परिचालन		
	1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	114,92,61,420	61,12,61,440
	2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	5,65,33,000	5,92,10,312
	3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	405,77,31,494	369,79,19,478
	4. सहायक संगठनों में निवेश	-	-
	5. अन्य	2443,09,94,982	865,25,43,334
	उप-योग (ख)	**2969,45,20,896**	**1302,09,34,564**
	योग (क+ख)	**7939,51,07,745**	**7126,29,58,093**
अनुसूची VIII	**ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]**		
	क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
	- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	52970,48,57,960	49209,31,38,280
	- अल्प वित्त संस्थाएँ	3393,43,58,549	2589,54,57,707
	- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	7265,82,93,916	5677,54,89,100
	- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
	- अन्य (संसाधन सहायता)	-	-
	उप-योग (क)	**63629,75,10,425**	**57476,40,85,087**
	ख) प्रत्यक्ष ऋण		
	- ऋण एवं अग्रिम	9540,64,92,741	9884,06,90,456
	- प्राप्य वित्त योजना	1070,86,54,657	1512,59,23,439
	- भुनाए गए बिल	52,81,993	72,42,283
	उप-योग (ख)	**10612,04,29,391**	**11397,38,56,178**
	योग (क+ख)	**74241,79,39,816**	**68873,79,41,265**

31 मार्च, 2017 के समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(₹)

	आस्तियाँ	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अनुसूची IX	**स्थिर आस्तियां [मूल्यह्रास घटाकर]**		
	1. परिसर	203,57,06,345	208,64,41,065
	2. अन्य	2,36,37,619	1,92,96,326
	योग	**205,93,43,964**	**210,57,37,391**
अनुसूची X	**अन्य आस्तियां**		
	उपचित ब्याज	1702,33,62,481	1040,51,91,079
	अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	331,31,93,676	238,17,96,704
	अन्य	170,67,30,165	428,07,98,454
	व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	347,42,67,569	413,74,08,714
	योग	**2551,75,53,891**	**2120,51,94,951**
अनुसूची XI	**आकस्मिक देयताएं**		
	I) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	378,57,03,656	245,79,68,602
	ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	106,70,90,288	128,47,53,531
	iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	418,59,06,954	2145,38,16,573
	iv) हामीदारी प्रतिबध्द्ताओं के फलस्वरूप	-	-
	v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप .	- 9108,09,45,848	- 7891,11,59,663
	vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	**10011,96,46,746**	**10410,76,98,369**
	योग		

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ

(₹)

		31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अनुसूची XII	**ब्याज और बट्टा**		
	1. ऋणों, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	5979,42,76,215	5178,93,84,941
	2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय	529,06,23,818	700,14,05,913
	योग	**6508,49,00,033**	**5879,07,90,854**
अनुसूची XIII	**अन्य आय**		
	1. अपफ्रंट और कार्रवाई शुल्क	33,63,39,805	37,77,29,724
	2. कमीशन और दलाली	2,42,76,355	2,32,35,996
	3. निवेशों की बिक्री से लाभ	234,88,06,643	151,32,42,701
	4. सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय	10,20,000	-
	5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	92,953
	6. अन्य	108,76,76,260	89,77,55,659
	योग	**379,81,19,063**	**281,20,57,033**
अनुसूची XIV	**परिचालन व्यय**		
	कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान	415,82,86,656	287,78,49,331
	किराया, कर और बिजली	22,61,72,820	21,43,44,291
	मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	1,15,67,839	1,14,83,935
	विज्ञापन और प्रचार	2,79,65,165	4,35,60,584
	बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास / परिशोधन	20,14,10,951	14,10,29,220
	निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय	67,57,190	83,41,739
	लेखापरीक्षकों की फीस	70,86,071	86,71,009
	विधि प्रभार	1,74,88,521	1,94,18,324
	डाक, कूरियर, दूरभाष, आदि	32,16,068	34,43,438
	मरम्मत और रखरखाव	10,97,93,926	9,59,02,333
	बीमा	57,78,557	52,68,564
	सीजीटीएमएसई को अंशदान	4,44,41,750	17,74,75,000
	अन्य व्यय	65,24,54,446	71,17,77,483
	योग	**547,24,19,960**	**431,85,65,251**

समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

अनुबंध महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1	एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची XV में उल्लिखित सभी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में भी पालन किया गया है।
2	बैंक और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर मिश्रित किया गया है, जिसके लिए एएस 21 "समेकित वित्तय विवरण" के अनुसार अंतःसमूह शेष तथा अंतर-समूह संव्यवहारों को पूरी तरह घटाने के बाद एक जैसी विभिन्न मदों जैसे आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के बही मूल्यों को परस्पर जोड़ा गया है। सहयोगी संस्थाओं का लेखांकन एएस-23 "सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन" में विहित ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया है।
3	समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के ब्यौरे

(₹)

क्रमांक	सहायक संस्था का नाम	निगमन-देश	स्वामित्व का अनुपात	लाभ/हानि
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (एसवीसीएल)	भारत	100%	5,5821,174
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि. (एसटीसीएल)	भारत	100%	42,85,700
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा लि.)	भारत	100%	107,83,69,592
	योग			**113,84,76,466**

सहायक संस्थाओं की वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षित हैं।

4.क. समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित सहयोगी संस्थाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं

(₹)

क्रमांक	सहयोगी संस्था का नाम	(%) धारिता	विवरण	निवेश	लाभ/(हानि) का हिस्सा	आरक्षितियों में हिस्सा *
1	स्मेरा	34.29	एसएमई की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	5,10,00,000	14,63,401	1,17,87,717
2	आईएसटीएसएल	22.72	एसएमई को प्रौद्योगिकी सहयोग	1,00,00,000	11,07,528	30,94,396
3	आइसार्क	26.00 **	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	26,00,00,000	98,89,481	6,46,08,880
4	डीएफसी	23.76	राज्य वित्तीय निगम	6,27,75,000	66,41,010	10,73,97,090
5	रेक्सिल	30.00	व्यापारिक प्राप्य-राशियों की फैक्टरिंग/भुनाई के लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म (ट्रेड्स)	7,50,00,000	(97,59,577)	-
योग				**45,87,75,000**	**93,41,843**	**18,68,88,083**

*समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची II क(i) में ₹9726,61,41,469 (गत वर्ष ₹8670,72,65,377) की आरक्षिति निधि में समाहित।

** इसमें (सिडबी की 100% सहायक संस्था) एसवीसीएल की 11% धारिता शामिल है।

ख. समेकित वित्तीय विवरण में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम शामिल नहीं हैं। किन्तु हानियों के शेयर के लिए वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(₹)

क्रमांक	सहयोगी संस्था का नाम	(%) धारिता	विवरण	निवेश	लाभ/ (हानि) का हिस्सा
1	बीएसएफसी	48.43	राज्य वित्तीय निगम	18,84,88,500	(18,84,88,500)
2	जीएसएफसी	28.41	राज्य वित्तीय निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)
3	जेकेएसएफसी	28.65	राज्य वित्तीय निगम	10,46,20,000	(10,46,20,000)
4	एमएसएफसी	39.99	राज्य वित्तीय निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)
5	पीएफसी	25.92	राज्य वित्तीय निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)
6	उप्रएसएफसी	24.18	राज्य वित्तीय निगम	21,67,59,000	(21,67,59,000)
	योग			**81,40,61,100**	**(81,40,61,100)**

समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

ग. हालांकि निम्नलिखित निकायों के मामले में,बैंक के पास 20% से अधिक मताधिकार है, किन्तु उन्हें एसएस23 'सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन' के अनुसार सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि उन्हें ऐसा महत्त्वपूर्ण निवेश नहीं माना जाता है, जिसके समेकन की आवश्यकता हो।

(₹)

क्रमांक	सहयोगी संस्था का नाम	धारिता (%)	विवरण	निवेश
1	ऐपिटको लि.	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन	54,70,975
2	किटको लि.	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	24,95,296
3	बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लि.	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन	1
4	पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लि.	43.44	तकनीकी परामर्श संगठन	1
5	ओड़िशा औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लि.	49.42	तकनीकी परामर्श संगठन	1
6	वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लि. (पूर्ववर्ती पश्चिम बंगाल परामर्श्श संगठन लि.)	21.67	तकनीकी परामर्श संगठन	4,86,783
	योग			**84,53,057**

घ. 4क और 4 ख में उल्लिखित राज्य वित्तीय निगमों से इतर सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण अंकेक्षित नहीं हैं। जेकेएसएफसी, एसएसएफसी और यूपीएसएफसी से इतर राज्य वित्तीय निगमों के आँकड़े 31 मार्च 2016 को समाप्त अंकेक्षित परिणामों पर आधारित हैं। जेकेएसएफसी और एमएसएफसी के संबंध में, आंकड़े 31 मार्च 2015 को समाप्त अंकेक्षित परिणामों के आँकड़ों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के मामले में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के अनन्तिम परिणाम उपलब्ध हैं।

बैंक ने 4ख और 4ग में उल्लिखित उपर्युक्त सहयोगी संस्थाओँ (सिवाय वेबकॉन कंसल्टिंग (इं.)लि.) की ओर से कोई देयता नहीं निर्मित की है अथवा कोई भुगतान नहीं किया है, न ही उक्त सहयोगी संस्थाओं में निवेश-मूल्य से अधिक कोई गारंटी दी है, न उनकी हानियों के प्रति कोई वचनबद्धता की है। वेबकॉन कंसल्टिंग (इं) लि. के एमडी की नियुक्ति के संबंध में सिडबी ने ₹2,23,013/- की राशि व्यय की है और कंपनी से ₹1,11,506/- की वसूली की है। शेष ₹1,11,507/- की वसूली कंपनी से की जानी है।

5. सहयोगी संस्थाओं से लेन-देन के विवरण निम्नवत हैं।

क्रमांक	सहयोगी संस्था का नाम	विवरण	संवितरण	चुकौतियाँ (ब्याज सहित)
1	डीएफसी	पुनर्वित्त सहायता	-	5,45,96,792

6 सिडबी की मूल्यह्रास नीति के अंतर्गत आस्तियों पर पूर्व-निर्धारित दरों से एसएलएम/डब्ल्यूडीवी के अनुसार मूल्यह्रास लगाया जाता है। इसके विपरीत सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार एसएलएम/डब्ल्यूडीवी आधार पर मूल्यह्रास की गणना करती हैं। इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण में समाहित ₹20,14,10,951 (गत वर्ष ₹14,10,29,220) के कुल मूल्यह्रास में ₹9,02,387 यानी राशि का 0.45% (गत वर्ष ₹6,80,200 यानीराशि का 0.48%) का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 में विहित मूल्यह्रास के अनुसार किया गया है।

7 चूंकि सहायक संस्थाओं के सभी शेयर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, अतः अल्प हितों के संबंध में अलग से कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

8 एसवीसीएल और मुद्रा लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशकों को अदा सकल पारिश्रमिक क्रमशः ₹57,23,206 (पिछले वर्ष ₹52,90,989) तथा ₹67,46,805 (पिछले वर्ष ₹37,15,637)

समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹)

9	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)*	**31 मार्च 2017**	**31 मार्च, 2016**
	ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ	1228,92,15,058	1248,17,52,371
	प्रति ₹10 के अंकित मूल्य पर ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	52,18,38,283	47,34,05,205
	प्रति शेयर अर्जन	23.55	26.37
	*चूंकि कोई विलेय संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं, इसलिए मूल्य एवं विलयित ईपीएस एक समान हैं।		
10	लेखांकन मानक 22, आय पर कर का लेखांकन, के अनुसार बैंक ने आस्थगित कर व्यय/बचत की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में आस्थगित कर के रूप में ₹20,13,83,841/- का निर्धारित किया है (गत वर्ष आस्थगित कर ₹80,77,02,628/- था)।यथा 31 मार्च, 2017 आस्थगित कर आस्ति/(देयता) की पृथक-पृथक राशियाँ निम्नवत हैः		

क्रमांक	समय-अंतराल	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016
		आस्थगित कर आस्ति/(देयता)	आस्थगित कर आस्ति/(देयता)
1	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	95,74,653	(1,09,719)
2	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) के अंतर्गत विशेष प्रतिप्रविष्टि	(421,81,48,976)	(397,58,92,976)
3	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान	211,36,06,638	212,05,54,201
4	भारत सरकार के बॉण्डों पर प्रीमियम का परिशोधन	(7,32,66,842)	(8,79,10,650)
5	लेखों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	3,73,31,705	14,02,21,289
6	अन्य	191,48,56,181	138,57,07,372
	निवल आस्थगित कर आस्ति/(देयता)	**(21,60,46,641)**	**(41,74,30,483)**

11	**आकस्मिक देयताएँ**
	एसवीसीएल की नगरपालिका के कर संबंधी विवादित देयता है, जिसकी राशि निर्धारित नहीं की जा सकती।
12	मूल एवं सहायक संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना का समेकित वित्तीय विवरणों की सत्य एवं उचित तस्वीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और जो मदें महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, उनसे संबंधित सूचना भी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के मद्देनज़र, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

1	पूंजी पर्याप्तता		
क्रमांक	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी*	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कुल टियर 1 पूँजी	14500.49	12264.02
(iv)	टियर 2 पूँजी	340.23	383.75
v)	कुल पूँजी (टियर 1 + टियर 2)	14840.72	12647.77
vi)	कुल जोखिम-भारित आस्तियाँ (जोभाआ)	48234.34	41189.02
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (कुल जोभाआ के अनुपात के रूप में सामान्य ईक्विटी)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	30.06%	29.77%
ix)	पूँजी व जोखिम भारिता आस्ति अनुपात (जोभाआअ) (कुल पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	30.77%	30.71%
x)	भारत सरकार की अंशधारिता का प्रतिशत	15.40	7.59
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि	44.94	36.98
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (स्गैअसअशे)	-	-
	ख) स्थायी ऋण लिखत (स्ऋलि)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) ऋण पूँजी लिखतें	-	-
	ख) स्थायी संचयी अधिमानी शेयर	-	-
	ग) मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (मोयोगैसंअशे)	-	-
	घ) प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (प्रसंअशे)	-	-

*बेसल-III के लागू न होने के कारण वर्तमान में आँकड़ों की गणना नहीं की जा रही है।

(₹ करोड़)

2.	निर्बंध आरक्षितियाँ एवं प्रावधान	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
(क)	**मानक आस्तियों पर प्रावधान**		
	विवरण		
	मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान (संचयी)	340.23	328.56
(ख)	**अस्थायी प्रावधान**		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	2333.91	2639.91
	लेखा-वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	-	-
	लेखा वर्ष में किए गए आहरण की राशि	276.10**	306.00*
	अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	2057.81	2333.91
	* भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 जुलाई 2015 के पत्र डीबीआर.एफाईडी सं. 1164/03.01.11/2015-16 के अनुसार उक्त राशि का उपयोग एक उधार-खाते के संबंधि में एनपीए/एनपीआई प्रावधान करने के लिए किया गया।		
	** अस्थायी प्रावधान के संबंध में बैंक की नीति के अनुसार राशि का उपयोग 3 उधार-खातों के संबंध में एनपीए/एनपीआई प्रावधान करने के लिए किया गया।		

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

3.	आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान		
(क)	अनर्जक अग्रिम		
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
	(i) निवल ऋण की तुलना में निवल एनपीए	**0.44%**	**0.73%**
	(ii) एनपीए (सकल) में परिवर्तन		
	(क) अथ शेष	1008.18	741.11
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	354.03	536.83
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	538.93	269.76
	(घ) अंतिम शेष	823.28	1008.18
	(iii) निवल एनपीए में परिवर्तन *		
	(क) अथ शेष	481.41	431.44
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	(2.75)	94.35
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	176.41	44.38
	(घ) अंतिम शेष	302.25	481.41
	(iv) एनपीए हेतु प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को घटाकर)		
	(क) अथ शेष	526.77	309.67
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	356.78	442.48
	(ग) अतिरिक्त प्रावधान का अवलेखन/प्रतिलेखन	362.52	225.38
	(घ) अंतिम शेष	521.03	526.77
	* यदि अस्थायी प्रावधान की राशि को एनपीए के प्रति समायोजित किया गया हो तो चालू वर्ष और पिछले वर्ष का निवल एनपीए शून्य होगा।		
(ख)	**अनर्जक निवेश**		
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
	(i) निवल निवेश की तुलना में निवल एनपीआई	**0.00%**	**1.36%**
	(ii) अनर्जक आस्तियों (सकल) में परिवर्तन		
	(क) अथशेष	621.14	529.85
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	1.27	148.55
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	202.81	57.26
	(घ) अन्तिम शेष	**419.60**	**621.14**
	(iii) निवल एनपीआई में परिवर्तन		
	(क) अथशेष	101.26	149.40
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	(62.51)	(38.69)
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	38.75	9.45
	(घ) अंतिम शेष	**0.00**	**101.26**
	(iv) एनपीआई के प्रावधान में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
	(क) अथ शेष	519.88	380.45
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	63.78	187.24
	(ग) अतिरिक्त प्रावधान का अवलेखन/प्रतिलेखन	164.06	47.81
	(घ) अन्तिम शेष	**419.60**	**519.88**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

(ग)	अनर्जक आस्तियाँ (क+ख)		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (ऋण+निवेश)	**0.40%**	**0.80%**
	(ii) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (ऋण+निवेश)		
	(क) अथशेष	1,629.32	1,270.96
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	355.30	685.38
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	741.74	327.02
	(घ) अन्तिम शेष	**1,242.88**	**1,629.32**
	(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
	(क) अथशेष	582.67	580.84
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	(65.26)	55.66
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	215.16	53.83
	(घ) अन्तिम शेष	**302.25**	**582.67**
	(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	(क) अथशेष	1,046.65	690.12
	(ख) वर्ष के दौरान प्रावधान	420.56	629.72
	(ग) अतिरिक्त प्रावधान का अवलेखन/प्रतिलेखन	526.58	273.19
	(घ) अन्तिम शेष	**940.63**	**1,046.65**

(घ) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावधि के अंतर्गत हैं)

उन खातों की संख्या जिनमें एसडीआर का अह्वान किया गया है	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि, जिनमें ऋण को ईक्विटी में रूपान्तरित किया जाना शेष है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि, जिनमें ऋण को ईक्विटी में रूपान्तरित किया जा चुका है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
1	-	3.98*	-	-	-	3.98*

*ईक्विटी निवेश की बकाया राशि शामिल है

(ङ) एस डी आर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण(खाते जो अभी सुप्तावस्था अवधि में हैं.)

ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन/ बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया जाना लंबित है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन/ बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ नये शेयर जारी कर/अथवा प्रवर्तकों के ईक्विटी की विक्री कर परिवर्तन अभिकल्पित है में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(च) क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि में हैं)

ऐसे परियोजना ऋण खाते जिनमें बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय किया है	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

3	पुनर्संरचित खाते का प्रकटन																					
क्र.	पुनर्संरचित प्रकार →		सीडी आर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					योग				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	7	-	7	-	-	-	-	-	91	23	40	-	154	91	23	47	-	**161**
		बकाया राशि	-	-	328.65	-	328.65	-	-	-	-	-	1,094.21	76.92	81.37	-	1,252.49	1,094.21	76.92	410.01	-	**1,581.14**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	1.66	-	1.66	-	-	-	-	-	2.72	1.40	1.72	-	5.84	2.72	1.40	3.38	-	**7.50**
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	6	1	4	1	-	**6**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.21	6.60	17.11	-	38.91	15.21	6.60	17.11	-	**38.91**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.20	0.59	-	1.44	0.65	0.20	0.59	-	**1.44**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	**0**	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-3		-	2	1	-3	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	2.51	(8.01)		-	5.50	2.51	(8.01)	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	(0.07)		-	0.07	-	(0.07)	-	-
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर विव के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ इसलिए उन्हें अगले विव के आरम्भ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है	उधारकर्ताओं की संख्या	**0**				**0**	-					-35				-35	-35				**-35**
		बकाया राशि	-				-	-					(145.07)				(145.07)	(145.07)				**(145.07)**
		उस पर किए गया प्रावधान	-				-	-					(1.13)				(1.13)	(1.13)				**(1.13)**
5	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या		**0**	-		-	-	-	-	-	-	-12	-7	19	-	-	-12	-7	19	-	-
		बकाया राशि		-	-		-	-	-	-	-	-	(61.06)	9.51	51.55	-	-	(61.06)	9.51	51.55	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान		-	-		-	-	-	-	-	-	(0.35)	0.11	0.24	-	-	(0.35)	0.11	0.24	-	**0.00**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

3	पुनर्संरचित खाते का प्रकटन																					
क्र.	पुनर्संरचित प्रकार →		सीडी आर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					योग				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
6	वित्‍व के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या			-1		**-1**	–	–	–	–	**–**	-18	-4	-18		**-40**	-18	-4	-19	–	**-41**
		बकाया राशि			(139.96)		(139.96)	–	–	–	–	**–**	(704.11)	(31.99)	(44.99)		**(781.09)**	(704.11)	(31.99)	(184.96)	–	**(921.06)**
		उस पर किए गया प्रावधान			(1.66)		(1.66)	–	–	–	–	**–**	(0.99)	(1.45)	(1.08)		**(3.52)**	(0.99)	(1.45)	(2.74)	–	**(5.18)**
7	31 मार्च को समाप्त वित्‍व को पुनर्संरचितखाते (अंतिम आंकड़ें) *	उधारकर्ताओं की संख्या	–	–	6	–	**6**	–	–	–	–	–	29	17	39	–	**85**	29	17	45	–	**91**
		बकाया राशि	–	–	188.68	–	**188.68**	–	–	–	–	–	204.67	63.54	97.03	–	**365.24**	204.67	63.54	285.71	–	**553.92**
		उस पर किए गया प्रावधान	–	–	-	–	-	–	–	–	–	–	0.97	0.26	1.39	–	**2.63**	0.97	0.26	1.39	–	**2.63**

*मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर , जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)

टिप्पणी : क्रमांक 2 के आंकड़ों में मौजूदा उधारकर्ताओं के संबंध में ₹ 2.46 करोड़ की बकाया राशि में वृद्धि तथा ₹ 1.26 करोड़ का प्रावधान शामिल है. क्रमांक 6 के आंकड़ों में ₹ 761.18 करोड़ (29 उधारकर्ता) तथा ₹ 4.67 करोड़ का प्रावधान की राशि शामिल है जो वसूली के रूप में मौजूदा संरचित में / से कमी / वसूली है .

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

(छ) वर्तमान ऋणों की लचीलेपन संरचना पर प्रकटन

अवधि	उन उधारकर्ताओं की संख्या जहाँ पर लचीलेपन के साथ पुनर्संरचित किया गया है	लचीलेपन संरचना के लिए ली गयी ऋण राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर-भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	लचीला संरचना लागू करने के पूर्व	लचीला संरचना लागू करने के बाद
पिछले वर्ष विव 2015-16	1	52.87	-	15.99	22.49
चालू वर्ष विव 2016-17	-	-	-	-	-

(I) यथा 31 मार्च 2017 दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की टिकाऊ संरचना-योजना संबंधी प्रकटन

उन खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में	-	-	-	-
वर्गीकृत	-	-	-	-

(ज) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
यथा 01 अप्रैल 2016 सकल अनर्जक आस्तियाँ	1,629.32	1,270.96
वर्ष के दौरान वृद्धि (नयी अनर्जक आस्तियाँ)	355.30	685.38
उप-योग (क)	1,984.62	1,956.34
घटाएँ :-		
(I) उन्नयन	40.13	12.33
(ii) वसूली (उन्नयनकृत खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	220.62	115.96
(iii) तकनीकी/विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गए	294.35	198.73
(iv) उक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते डाले गए *	186.64	-
उप-योग (ख)	741.74	327.02
यथा 31 मार्च 2017 सकल अनर्जक आस्तियाँ (क-ख)	1,242.88	1,629.32

* अग्रिम एवं वास्तविक बट्टे खाते डाले गये में आस्ति पुनर्रचना कंपनी को ऋण खातों की बिक्री (₹23.94 करोड़) और निवेश में बट्टे खाते डाली गई वास्तविक राशि

(झ) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
तकनीकी/विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गए खातों का 1 अप्रैल 2016 का अथशेष	1,377.70	1,233.02
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गए	294.35	198.73
उप-योग (क)	**1,672.05**	**1,431.75**
घटाएँ: वास्तविक बट्टे खाते डाले गए	51.85	0.88
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले तकनीकी/विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गए में से वसूली	46.52	53.17
उप-योग (ख)	**98.37**	**54.05**
मार्च 31, 2017 को अंतिम शेष (क-ख)	**1,573.68**	**1,377.70**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

(ञ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व			
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	कुल आस्तियां	-	-
	कुल अनर्जक आस्तियाँ	-	-
	कुल राजस्व	-	-
(ट) मूल्य ह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान			
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(1) निवेश		
	(i) सकल निवेश	**8,407.88**	**7,696.36**
	(a) भारत में	8,407.88	7,696.36
	(b) भारत के बाहर	-	-
	(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**468.37**	**570.06**
	(क) भारत में	468.37	570.06
	(b) भारत के बाहर	-	-
	(iii) निवल निवेश	**7,939.51**	**7,126.30**
	(क) भारत में	7,939.51	7,126.30
	(ख) भारत के बाहर	-	-
	(2) निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति प्रावधानों में परिवर्तन	-	-
	(i) अथशेष	50.18	65.97
	(ii) जोड़ें : वर्ष में किए गए प्रावधान	0.61	-
	(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति खाते से विनियोजन, यदि कोई हो	-	-
	(iv) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/प्रतिलेखन	-	-
	(v) घटाएँ: निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति खाते में अंतरण, यदि हो*	2.02	15.79
	(vi) अंतिम शेष	48.77	50.18
* प्रावधान घटाकर निवेश उतारचढ़ाव आरक्षिति में विव 2016-17 में ₹ 3.99 करोड़ और विव 2015-16 में ₹ 11.65 करोड़ अंतरण किया गया।			
(ठ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ		**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	लाभ-हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' का पृथक-पृथक विवरण		
	निवेश पर मूल्यह्रास/ एनपीआई हेतु प्रावधान#	(23.89)	(75.22)
	अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान#	103.80	296.91
	आयकर के प्रति किया गया प्रावधान (आस्थगित कर-आस्ति/देयता सहित)	635.01	501.57
	अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (विवरण सहित)$	11.68	13.18

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

(ड) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	87%	79%

* पीसीआर की गणना करते समय अस्थिर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया

4. निवेश संविभाग : संरचना और परिचालन

(क) रेपो संव्यवहार

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च 2017 बकाया
रेपो के अंतर्गत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
ii.नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रीत प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
ii. नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में जारीकर्ता की संरचना का प्रकटन

		राशि			
जारीकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी प्रतिभूति से निम्न में धारित	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	589.47	-	-	-	366.46
वित्तीय संस्थाएं	680.80	99.99	-	61.73	146.65
बैंक	1,554.42	115.00	-	-	-
निजी कॉर्पोरेट	1,081.99	308.86	-	392.71	352.59
सहायक संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	–	0.00	0.00
अन्य	4,099.95	746.73	–	746.73	4,126.72
मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(463.92)				
जोड़	**7,542.71**	**1,270.58**	–	**1,201.17**	**4,992.42**

(ग) एचटीएम वर्ग को/से प्रतिभूतियों की बिक्री/अंतरण

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने उद्यम पूँजी निधि में निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार एचटीएम से एएफएस वर्ग में अंतरित किया। उपर्युक्त के अलावा, एचटीएम वर्ग में/से कोई अंतरण नहीं हुआ।

5. खरीदी गयी/बेची गयी आस्तियों का विवरण

(क) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनियों बेंची गयी आस्तियों का विवरण

(i) विक्री का विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
(i) खातों की संख्या (उधारकर्ता)	1	-
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	13.17	-
(iii) कुल मूल्य	27.66	-
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में संग्रहीत अतिरिक्त मूल्य	0	-
(v) निवल बही मूल्य की तुलना में कुल लाभ/हानि	14.49	-

* विव 2015-16 में विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गए ₹ 7.02 करोड़ (मूलधन एवं ब्याज/अन्य देयता) के एक ऋण खाते को कुल ₹5.25 करोड़ मूल्य में एआरसी को बेचा गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

	(ii) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण		
	विवरण	**प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य**	
		वित्तीय वर्ष 2016-17	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(i) एआईएफआई द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	9.49	-
	(ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	0.00	-
	योग	**9.49**	-
	(ख) खरीदी गयी / बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण		
	(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
	(ख) सकल बकाया	-	-
	2. (क)वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	-	-
	(ख) सकल बकाया	-	-
	(ii) बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	बेचे गए खातों की संख्या	1	-
	सकल बकाया	23.04	-
	सकल प्राप्त प्रतिफल .	27.66	-
	6. परिचालित परिणाम		
	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(i) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.59	8.41
	(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.44	0.40
	(iii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन-लाभ (प्रावधान-पूर्व)	2.28	2.84
	(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (कराधान हेतु प्रावधान पूर्व)	2.17	2.50
	(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	1.05	1.18
7.	**ऋण संकेन्द्रण जोखिम**		
	(क) पूंजी बाजार एक्सपोजर		
		वित्तीय वर्ष 2016-17	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, ऐसे परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं ईक्विटी-उन्मुख म्युचुअल निधियों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी समूह निधि पूर्णतया नैगम ऋण में निविष्ट नहीं है।	548.72	469.58
	(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी-उन्मुख म्युचुअल निधियों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा गैर-जमानती आधार पर अग्रिम	-	-
	(iii) किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम, जहाँ शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की युनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

7.	ऋण संकेन्द्रण जोखिम		
	(क) पूंजी बाजार एक्सपोजर	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
	(iv) किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम, जो शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के ज़रिए प्रतिभूत हों यानी जहाँ शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधियों की यूनिटों की प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर न करती हो।	-	-
	(v) शेयर दलालों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा तथा शेयर दलालों व मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियाँ	-	-
	(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
	(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को पूरक ऋण	-	-
	(viii)शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी-उन्मुख म्युचुअल निधियों की यूनिटों की बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी-वचनबद्धता	-	-
	(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर-दलालों को वित्तपोषण	-	-
	(x) उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत, दोनों) में समस्त एक्सपोज़र	749.79	567.53
	पूँजी बाज़ार में कुल एक्सपोज़र	**1298.51**	**1037.11**

(ख) देश जोखिम को एक्सपोजर

चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में बैंक का कोई विदेशी एक्सपोज़र नहीं था।

(ग) विवेकाधीन एक्सपोज़र सीमाएं- एकल उधारकर्ता सीमा (एउसी)/समूह उधारकर्ता सीमा (सउसी) जो अभाविसं ने लाँघी हो

(i) वर्ष के दौरान विवेकाधीन एक्सपोज़र सीमा से अधिक एक्सपोज़रों की संख्या व राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

क्रमांक	स्थायी खाता सं.	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग नाम	क्षेत्र	निधिकृत राशि	अनिधिकृत राशि	पूँजीगत निधि के प्रतिशत के रूप में एक्पोज़र
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ii) निम्नलिखित के संबंध में ऋण एक्सपोज़र- पूँजीगत निधियों के प्रतिशत और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2015-16	
		कुल आस्तियों के % के रूप में	पूँजीगत निधियों के % के रूप में	कुल आस्तियों के % के रूप में	पूँजीगत निधियों के % के रूप में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	16.91	100.40	9.61	62.00
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं होती हैं, इसलिए उधारकर्ता-समूह की संकल्पना लागू नहीं है।			
2	20 विशालतम एकल उधारकर्ता	71.47	424.25	60.55	390.74
	20 विशालतम उधारकर्ता-समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं , उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

iii) समस्त ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच विशालतम औद्योगिक क्षेत्र

उद्योग का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2015-16	
	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत
परिवहन उपकरण	1,887.10	2.54	1,474.46	2.14
वस्त्र (जूट सहित)	1,202.62	1.62	1,045.63	1.52
धातु उत्पाद	1,196.79	1.61	892.23	1.30
होटल	696.67	0.94	660.96	0.96
रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	674.80	0.91	508.54	0.74

(iv) यथा 31 मार्च 2017 ऐसे अग्रिम की समग्र राशि ₹ 52.01 करोड़ है, जिसमें अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे कि अधिकारों, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार लिया गया है और यथा 31 मार्च 2017 अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य ₹30.00 करोड़ है।

(v) चालू वर्ष और उससे पूर्ववर्ती वर्ष में बैंक का फैक्टरिंग में कोई एक्सपोज़र नहीं था।

(vi) चालू वर्ष और उससे पूर्ववर्ती वर्ष में बैंक ने विवेकाधीन एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधार/ऋण-व्यवस्था, ऋण एक्सपोज़र तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधार एवं ऋण-व्यवस्था का संकेंद्रण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
बीस विशालतम ऋणकर्ताओं का कुल उधार	49,658.04	46,538.65
समस्त उधार में बीस विशालतम उधारकर्ताओं के उधार का प्रतिशत	73.71%	73.95%

(ii) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
बीस विशालतम ऋणकर्ताओं का समस्त ऋण	52,805.39	49,219.30
कुल अग्रिमों का बीस बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	71.13%	71.46%
बीस विशालतम ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	65,657.52	54,551.10
बीस विशालतम ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	64.44%	62.86%

(iii) एक्सपोज़र का क्षेत्रवार संकेंद्रण और अनर्जक आस्तियाँ

क्रमांक	क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2016-17			वित्तीय वर्ष 2015-16		
		कुल बकाया ऋण	सकल अनर्जक आस्तियाँ	क्षेत्र में समग्र ऋण की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया समग्र ऋण	सकल अनर्जक आस्तियाँ	क्षेत्र में समग्र ऋण की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	63,518.56	823.28	1.30%	60,950.50	690.29	1.13%
	1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
	2. केंद्रीय पीएसयू	-	-	-	-	-	-
	3. राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-
	4. राज्य पीएसयू	861.13	1.10	0.13%	1,250.86	2.26	0.18%
	5. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	51,248.41	-	-	47,960.71	-	-
	6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	277.04	-	-	-	-	-
	7. सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
	8. निजी क्षेत्र (बैंकों के अलावा)	11,131.98	822.18	7.39%	11,738.93	688.03	5.86%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	3,393.44	-	-	2,772.53	317.89	11.47%
III.	अन्य *	7,850.83	-	-	5,677.55	-	-
	योग (I+II+III)	**74,762.83**	**823.28**	**1.10%**	**69,400.58**	**1,008.18**	**1.45%**

* गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा लघु वित्त बैंकों को प्रदत्त ऋण सहित

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

8.	व्युत्पन्नियाँ		
	(क) अगाऊ दर करार/ब्याज दर स्वैप		
क्रमांक	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**
i)	स्वैप करारों का सांकेतिक मूलधन	-	-
ii)	यदि प्रतिपक्षकार करार के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहें तो संभावित हानियाँ	-	-
iii)	स्वैप के उपरान्त बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	-	-
iv)	स्वैपों से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	-	-
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	-	-
	(ख) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नी		
क्रमांक	**विवरण**		
i)	वर्ष के दौरान संपन्न एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों की सांकेतिक मूलधन राशि (लिखत-वार)	-	-
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों की सांकेतिक मूलधन राशि (लिखत-वार)	-	-
iii)	बकाया एवं 'अधिक प्रभावी' नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों की सांकेतिक मूलधन राशि (लिखत-वार)	-	-
iv)	बकाया एवं 'अधिक प्रभावी' नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नियों का मार्क-टु-मार्केट मूल्य (लिखत-वार)	-	-

(ग) व्युत्पन्नियों में जोखिम एक्सपोज़र संबंधी प्रकटन

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है। बैंक द्वारा ली गई सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से हैं और और ऐसी विदेशी मुद्रा उधार के रूप में हैं जो एमटीएम न होकर केवल रूपान्तरित हैं। बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता।

2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश तथा लेखांकन नीतियाँ बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं। व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात् ही अपनाया गया है। व्युत्पन्नियों के विवरण आलको/बोर्ड को भी सूचित किए जाते हैं।

3) व्युत्पन्नियों के सौदे से उत्पन्न होनेवाले जोखिम के शमन के लिए बैंक ने व्यवस्था की है। व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक उपचय पद्धति का पालन करता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटन

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2015-16	
		मुद्रा व्युत्पन्नियाँ	ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ	मुद्रा व्युत्पन्नियाँ	ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ
1	व्युत्पन्नियाँ (सांकेतिक मूलधन राशि)	9,108.09	-	7,891.12	
	(i) हेजिंग हेतु	9,108.09	-	7,891.12	-
	(ii) व्यापार हेतु	-	-	-	-
2	बाजार की स्थिति अनुसार चिह्नित	(122.27)	-	318.52	-
	(i) आस्ति (+)	(122.27)	-	318.52	-
	(ii) देयता (-)	-	-	-	-
3	ऋण एक्सपोज़र [2]	747.61	-	874.20	-
4	ब्याज-दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव	204.22	-	228.39	-
	(i) हेजिंग व्युत्पन्नियों पर	204.22	-	228.39	-
	(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान देखा गया 100*पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	(i) हेजिंग पर	258.27/204.22	-	228.39/161.58	-
	(ii) व्यापार पर	-	-	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

9. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आश्वस्ति-पत्रों का प्रकटन

"वर्ष के दौरान जारी आश्वस्ति-पत्रों के विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले जारी किए गए आश्वस्ति-पत्रों के अंतर्गत आकलित संचयी वित्तीय देयताएँ तथा बकाया निम्नवत हैं-

31 मार्च 2016 को बकाया आश्वस्ति-पत्र		वर्ष के दौरान जारी आश्वस्ति-पत्र		वर्ष के दौरान प्रतिदत्त आश्वस्ति-पत्र		31 मार्च 2017 को बकाया आश्वस्ति-पत्र	
आश्वस्ति-पत्रों की सं.	राशि	आश्वस्ति-पत्रों की सं.	राशि	आश्वस्ति-पत्रों की सं.	राशि	आश्वस्ति-पत्रों की सं.	राशि
2	3.27	5	10.41	6	11.88	1	1.80

10. आस्ति-देयता प्रबन्धन

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	10.00	4.00	87.00	107.00	393.00	22,369.00	516.00	500.00	23,986.00
अग्रिम	924.77	4,123.00	5,715.87	7,065.76	12,541.81	28,932.96	12,381.00	2,557.00	74,242.17
निवेश	3,584.97	19.13	120.41	72.07	392.14	17.42	609.00	4,916.10	9,731.24
उधार	1,772.00	3,925.00	11,151.00	53.00	4,617.00	10,601.00	4,449.00	6,876.00	43,444.00
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	18.00	31.00	177.00	104.00	224.00	992.00	470.00	995.00	3,011.00
विदेशी मुद्रा देयताएँ	-	-	381.00	53.00	455.00	2,683.00	2,076.00	5,574.00	11,222.00

11. आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कमी

चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है।

12. व्यवसाय-अनुपात

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
औसत ईक्विटी पर प्रतिलाभ (कराधान हेतु प्रावधान-पूर्व)	14.68	16.44
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (कराधान हेतु प्रावधान-पूर्व)	2.17	2.50
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	1.05	1.18

13. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्ड संबंधी प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बैंक पर कोई दण्ड नहीं लगाया।

14. ग्राहक-शिकायतें

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
वर्ष की शुरुआत में लम्बित शिकायतों की सं.	2	5
वर्ष के दौरान मिली शिकायतों की सं.	67	59
वर्ष के दौरान दूर की गयी शिकायतों की सं.	67	62
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	2	2

15. प्रायोजित किए गए तुलन-पत्रेतर एसपीवी

16. विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन

(क) लेखांकन मानक 5 - अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय- विव 2016-17 की 'अन्य आय' में पूर्ववर्ती अवधि की ₹1,78,32,983 (पूर्ववर्ती वर्ष -₹49,07,708) की आय शामिल है। अनुसूची XIV के अन्य व्यय में विव 2017 के 'परिचालन व्यय' में पूर्ववर्ती अवधि का ₹17,24,434 (पूर्ववर्ती अवधि -₹1,80,56,736) शामिल है।

(ख) लेखांकन मानक 17 - घटक रिपोर्टिंग

जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देशों और लेखांकन मानक-17 के अनुसार अपेक्षित है, बैंक ने 'व्यवसाय घटक' को प्राथमिक घटक के रूप में दर्शाया है। व्यवसाय घटक के अंतर्गत बैंक ने थोक परिचालनों (प्रत्यक्ष ऋण), थोक परिचालनों (पुनर्वित्त), राजकोषीय एवं अन्य व्यवसाय को अपने चार रिपोर्टिंग घटकों के रूप में प्रकट किया है। अन्य व्यवसाय में बैंक की दो सहायक संस्थाओं- सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड और सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के परिचालनों को शामिल किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

	भाग कः व्यवसाय घटक										
	व्यवसाय घटक	थोक परिचालन (प्रत्यक्ष उधार)		थोक परिचालन (पुनर्वित्त)		राजकोषीय		अन्य व्यवसाय		योग	
	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2016
1	**घटक राजस्व**	1,243	1,362	5,107	4,241	520	541	18	16	6,888	6,160
	अपवादस्वरूप मदें									-	-
	योग									**6,888**	**6,160**
2	**घटक परिणाम**	46	183	1,784	1,547	163	146	9	10	2,002	1,886
	घटक मदें									-	-
	योग									**2,002**	**1,886**
	अविनियोजनीय व्यय									139	138
	परिचालन लाभ									**1,863**	**1,748**
	आय-कर (प्रतिलेखन उपरान्त)									635	502
	सहयोगी संस्थाओं लाभ का हिस्सा									1	2
	निवल लाभ									**1,229**	**1,248**
3	**अन्य सूचना**										
	घटक आस्तियाँ	10,709	11,490	69,192	60,773	7,109	8,036	46	42	87,056	80,341
	अविनियोजित आस्तियाँ									1,035	1,276
	कुल आस्तियाँ									**88,091**	**81,617**
	घटक देयताएँ	7,497	8,108	60,207	53,931	5,037	6,243	5	4	72,746	68,286
	अविनियोजित देयताएँ									1,794	1,894
	योग									**74,540**	**70,180**
	पूँजी/आरक्षितियाँ	3,215	3,339	6,577	5,629	3,733	2,447	26	22	**13,551**	11,437
	योग									13,551	11,437
	कुल देयताएँ									**88,091**	**81,617**
	भाग खः भौगोलिक घटक- शून्य										

(ग) लेखांकन मानक 18- संबंधित पक्षकार प्रकटन

मदें/संबंधित पक्षकार	"मूल Parent (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार"	सहायक संस्थाएं	सहयोगी संस्थाएँ/ संयुक्त उपक्रम	"मुख्य प्रबन्धन-कार्मिक"@	मुख्य प्रबन्धन कार्मिकों के संबंधी	योग
उधार #						
वर्षान्त में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष में अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा #						
वर्षान्त में बकाया	-	-	-	0.26	-	0.26
वर्ष में अधिकतम	-	-	-	0.41	-	0.41
जमा का उपयोग						
वर्षान्त में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष में अधिकतम	-	-	-	-	-	-
अग्रिम #						
वर्षान्त में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष में अधिकतम	-	-	-	-	-	-
निवेश						
वर्षान्त में बकाया	-	-	28.60	-	-	28.60
वर्ष में अधिकतम	-	-	28.60	-	-	28.60
अनिधिकृत वचनबद्धताएँ						
वर्षान्त में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष में अधिकतम	-	-	-	-	-	-
उपयोग की गई लीजिंग व्यवस्थाएँ #						
वर्षान्त में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष में अधिकतम	-	-	-	-	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

(₹ करोड़)

	प्रदत्त लीजिंग व्यवस्थाएं #						
	वर्षान्त में बकाया	-	-	-	-	-	-
	वर्ष में अधिकतम	-	-	-	-	-	-
	स्थिर आस्तियों की ख़रीद	-	-	-	-	-	-
	स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-
	प्रदत्त ब्याज	-	-	-	0.02	-	0.02
	प्राप्त ब्याज	-	-	4.92	-	-	4.92
	सेवा-प्रदायगी*	-	-	19.43	-	-	19.43
	सेवा-प्राप्ति*	-	-	-	1.41	-	1.41
	प्रबन्धन संविदाएँ*	-	-	-	1.31**	-	1.31**
	@निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक # वर्षान्त में बकाया और वर्ष में अधिकतम का प्रकटन किया जाना है। * संविदा सेवाएं आदि, न कि विप्रेषण सुविधा, लॉकर सुविधा आदि जैसी सेवाएँ ** मुख्य प्रबन्धन कार्यमिकों को पारिश्रमिक						
17.	**अपरिशोधित पेंशन एवं ग्रैच्युटी देयताएँ** पेंशन और ग्रैच्युटी देयता का प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किए गए ऐक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। एक्चूरियल लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में नहीं लिया गया है और परिशोधित नहीं किया गया है।						

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
एफआरएन.101569 डब्ल्यू

दर्शित दोशी
साझेदार
एम. सं. 133755

मुंबई, मई 18, 2017

यू. जे. लालवानी
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा वर्टिकल)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

सत्यानंद मिश्रा
निदेशक

आर. रामचंद्रन
निदेशक

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹)

31 मार्च, 2016	विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1748,16,53,301	लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ निम्नलिखित के लिए समायोजन		1863,00,06,890
14,10,29,220	मूल्यह्रास	20,14,10,951	
115,71,97,341	निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान	61,30,31,066	
184,36,74,056	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	189,75,58,851	
(127,72,09,428)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(234,88,06,643)	
(36,54,403)	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(35,54,143)	
(11,39,38,261)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(11,98,96,737)	23,97,43,345
1922,87,51,826	**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		**1886,97,50,235**
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन		
(720,61,65,968)	चालू आस्तियाँ	(335,97,77,242)	
153,84,62,354	चालू देयताएँ	(419,37,68,002)	
568,94,34,285	विनिमय बिल	404,85,71,508	
(14315,93,09,845)	ऋण एवं अग्रिम	(5877,96,88,144)	
11683,81,21,162	बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	1086,22,06,929	
7128,30,59,911	प्राप्त जमा .	3411,79,89,717	
4498,36,01,899			(1730,44,65,234)
6421,23,53,725			156,52,85,001
(628,34,52,472)	कर अदायगी	(749,43,40,588)	(749,43,40,588)
5792,89,01,253	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		(592,90,55,586)
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(18,09,51,990)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/विक्रय	(15,14,63,380)	
(4591,65,51,476)	निवेशों का निवल (क्रय)/विक्रय/शोधन	1795,34,79,388	
11,44,81,179	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	11,98,96,737	
(4598,30,22,287)	**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**1792,19,12,744**
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1499,95,00,000	शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	1999,99,99,999	
(139,92,95,746)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(113,95,59,966)	
1360,02,04,254	**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**1886,04,40,033**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹)

31 मार्च, 2016	विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017
2554,60,83,220	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी)**		**3085,32,97,191**
1096,44,60,399	**5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**3651,05,43,619**
3651,05,43,619	**6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**6736,38,40,810**
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी-तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,74,499	हाथ में नकदी		6,83,614
28,10,89,825	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		27,91,71,940
365,66,85,061	म्यूचुअल फ़ंड		3584,73,20,553
3257,20,94,234	जमाराशियाँ		3123,66,64,703

टिप्पणी: नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ए एस - 3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ XVI

बोर्ड के आदेशानुसार

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोरकर एंड मजूमदार
सनदी लेखाकार
एफआरएन.101569 डब्ल्यू

दर्शित दोशी
साझेदार
एम. सं. 133755

मुंबई, मई 18, 2017

यू. जे. लालवानी
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा वर्टिकल)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

सत्यानंद मिश्रा
निदेशक

आर. रामचंद्रन
निदेशक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष: +91 - 522 - 2288547-50, फैक्स: +91 - 522 - 2288455-59

शाखा नेटवर्क

क्षेत्रीय कार्यालय	शाखा कार्यालय
अहमदाबाद	अहमदाबाद, गांधीधाम, जामनगर, मोरबी, राजकोट, सूरत, वडोदरा, वटवा
बेंगलूरु	बेंगलूरु, होसूर, हुबली, मैसूरु, पीन्या
कोलकाता	भुवनेश्वर, जमशेदपुर, कोलकाता, पटना, रांची, राउरकेला
चेन्नई	अम्बत्तूर, चेन्नई, पुदुच्चेरी
कोयंबटूर	कोयंबटूर, ईरोड, कोच्चि, मदुरै, तिरुपुर, त्रिची
चंडीगढ़	चंडीगढ़, जालंधर, जम्मू, लुधियाना, शिमला
फरीदाबाद	फरीदाबाद, गुरुग्राम
गुवाहाटी	गुवाहाटी, अगरतला, आइजॉल, दीमापुर, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, शिलांग
हैदराबाद	बालानगर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखपट्टणम
इंदौर	भोपाल, इंदौर, नागपुर, रायपुर
जयपुर	अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, उदयपुर
लखनऊ	आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
मुंबई	अंधेरी, पणजी, ठाणे
नई दिल्ली	बहादुरगढ़, देहरादून, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कुंडली, नई दिल्ली, नोएडा, ओखला, रुद्रपुर
पुणे	अहमदनगर, औरंगाबाद, चिंचवड़, कोल्हापुर, नासिक, पुणे

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Pratibha Press & Multimedia Pvt. Ltd., Lucknow Ph. : 2630369